राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारवें सत्र, १६६१ का १२वां दिवस [संख्या १०

शुक्रवार, दिनांक २२ सितम्बर, १६६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २१ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[केबिनेट, गृह, कृषि, शिक्षा, उद्योग, सहकारी, खाद्य, खनिज, पंचायत, वित्त, यातायात तथा विकास—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मंत्रियों द्वारा यात्रा व दैनिक भत्ते की वसूली

२७४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जनवरी, फरवरी व मार्च, सन् ५७ के हरेक महीने का यात्रा व दैनिक भत्ते के रूप में हरेक मंत्री ने कितना कितना रुपया वसूल किया? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन्हीं महीनों में हरेक मंत्री एवं उप-मंत्री ने स्टेट गैरेज की कारों से कितने २ मील का सफर किया? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) १ मई, सन् १६५७ से लेकर ३१ जुलाई, सन् १६६१ तक यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते के रूप में प्रति वर्ष हरेक मंत्री एवं उप-मंत्री ने कितना रुपया वसूल किया व कितना सफर सरकारी गाड़ी से हरेक ने किया प्रति वर्ष? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

थाना खण्डेला के भूतपूर्व एस० आई० श्री दशरथसिंह के विरुद्ध शिकायतें

२७५. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि थाना खण्डेला, जिला सीकर के भूतपूर्व एस० आई० श्री दशरथसिंह के विरुद्ध जनता द्वारा जिला एस० पी० के पास कई शिकायतें भेजी गई ? यदि हां, तो किन किन की शिकायत किस किस तरह की कब कब जिला एस० पी० द्वारा प्राप्त की गई ?

(२) किन किन शिकायतों की कब कब किस किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ?

(३) इन सब शिकायतों में शिकायत कुनिन्दान के बयानात लिए गये या नहीं ? और यदि नहीं, तो किन किन में और क्यों ?

(४) इन शिकायतों पर की गई जांच का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, कुल १२ शिकायतें परेशान करने, भ्रष्टाचार करने तथा दुराचरण करने के बारे में मैं एस० पी० सीकर को प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं:—

द्वारा:—	दिनांक:—	
(१) सर्व श्री रामदेव, मदनलाल, नानूराम व कानाराम	७—६—६०	४
(२) सर्व श्री जी० एस० पारीक व गोविन्दसिंह	१५—६—६०	२
(३) श्री भोलाराम	२६—६—६०	१
(४) श्री विजयसिंह	१३—१०—६०	१
(५) पब्लिक, मोजा उदयपुर	२८—१०—६०	१
(६) श्री बंशीधर	१—१०—६०	१
(७) अध्यक्ष, कृषि सहकारी समिति, खण्डेला।	३०—६—६०	१
(८) श्री श्यामलाल	१६—८—६०	१

(२) उपरोक्त उत्तर के अनुपात नं० १,३,४ की जांच सी० आई सीकर कर रहे हैं नं० २,७,१० की जांच डीवाई० एस० पी०, सीकर कर रहे हैं। नं० ६ व १२ की डीवाई० एस० पी०, नीम का थाना कर रहे हैं। शिकायत नं० ५ व ६ की डीवाई० एस० पी०, सीकर ने की जिसमें शिकायत करनेवालों का कोई पता नहीं पाया। अतः फायल की गई। नं० ८ की जांच डीवाई० एस० पी०, नीम का थाना ने की प्रार्थी ने लिखित में दिया कि न तो वह परेशान किया गया और न वह जांच चाहता है। प्रार्थना

(श्री रामकिशोर व्यास)

नं० ११ की जांच भी डीवाई० एस० पी०, नीम का थाना ने की। उसने लिखित में दिया कि मामला अदालत में चल रहा है वह जांच नहीं चाहता।

(३) नं० २ शिकायती श्री मदनलाल, नं० ५, ६, ७ व १० शिकायतियों श्री जी. एल. पारीक, गोविन्दसिंह शेखावत, मोलाराम गूजर व बंशीधर शर्मा का पता न लगने के कारण बयानात न हो सके। नं. ६ जनरल पब्लिक की शिकायत थी, अतः किसी के भी बयान लेना उचित नहीं समझा गया। बाकी सब में शिकायत कुनिन्दान के बयानात लिये गये।

(४) इसका उत्तर भाग (२) के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : जिन शिकायतों की जांच की जा रही है, यह जांच कब से की जा रही है?

श्री रामकिशोर व्यास : दरख्वास्त देने के बाद से।

श्री भैरोंसिंह : दरख्वास्तें कब दी गई थीं?

श्री रामकिशोर व्यास : वो तो मैंने तारीखें पढ़ दी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो तारीखें बताई उनमें से कई शिकायतें ऐसी थीं कि जिनकी तुरन्त जांच की जानी चाहिये थी?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : शिकायतें डेढ़ साल पहले हुईं और जांच अब तक हो रही है?

श्री रामकिशोर व्यास : रिजल्ट्स आनेवाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय उचित समझते हैं कि डेढ़, डेढ़ साल तक पब्लिक की शिकायतों की जांच पूरी नहीं हो?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि कइयों में कइयों प्रकार की दिक्कतें आईं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि व्यक्ति मिले नहीं, तो क्या उन व्यक्तियों को लैटर लिख कर सूचित किया गया कि अमुक स्थान पर बयान देने को हाजिर हों?

श्री रामकिशोर व्यास : तलाश किया गया, मिले नहीं। लैटर लिखे गये या नहीं; यह मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस श्री मदनलाल के लिये कहा जाता है कि मिला नहीं, क्या यह सही है कि श्री मदनलाल खण्डेला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वहीं मौजूद हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर मौजूद हैं तो उनको दुबारा लिखा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : तो जिसने यह लिखा कि श्री मदनलाल मिलते नहीं हैं, क्या उसके बारे में जांच की जायेगी?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुलिस की तरफ से इस प्रकार गलत सूचना दी गई तो इसकी जांच करेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : आप फर्माते हैं कि गलत है तो जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ट्रेक्टर खरीदने के लिये दी गई धनराशि

२७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि उद्यान के लिये सरकार ने सोसाइटीज़ को और कुछ व्यक्तियों को ट्रेक्टर खरीदने के लिये कोई धन राशि दी थी? अगर हां, तो किन किन को? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त धन राशि कब कब किन आधारों पर दी गई? क्या यह सही है कि अब तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने न तो ट्रेक्टर ही खरीदा है और न रकम ही वापिस जमा कराई है?

(३) अगर हां, तो क्रम या डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ सन् १९५४ से १९६० तक किस किस में रकम बाकी निकलती है; सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) उद्यान के लिये ट्रेक्टर खरीदने हेतु कोई धन राशि नहीं दी गई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

हिस्ट्रीशीट खोलने का मामला

२७७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि एस० पी० श्री भागीरथ, जिला जोधपुर ने श्री उदयसिंह राजपूत साकिन आमला, उप-प्रधान, पंचायत समिति, बाथ के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने का थानेदार, थाना लोहावट को आदेश दिया था?

(ख) क्या यह सही है कि थानेदार ने श्री उदयसिंह के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने से इन्कार कर दिया और बताया कि श्री उदय-सिंह का चाल-चलन बहुत अच्छा है और इस कारण कोई हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जा सकती?

(ग) क्या यह सही है कि इस पर एस.-पी. नाराज हुए और फिर हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश दिया?

(घ) क्या यह सही है कि इस पर श्री उदयसिंह की हिस्ट्रीशीट खोली गई जिसकी शिकायत श्री उदयसिंह ने डी० आई० जी०, जोधपुर को की?

(ङ) क्या यह सही है कि डी० आई०-

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

जी० ने इस मामले की जांच की तो एस०-आई० ने डी० आई० जी० को बयान दिया कि उसने एस० पी० के दबाव के कारण खोली है ?

(च) यदि हां, तो सरकार ने पुलिस की इन गलत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ।

(घ) श्री उदयसिंह ने कोई शिकायत डी० आई० जी०, जोधपुर को नहीं की।

(ङ) डी० आई० जी० ने कोई जांच नहीं की और इस कारण एस० आई० के बयान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(च) कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : कोई हिस्ट्रीशीट नहीं खोली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने हां कहा है

श्री भैरोंसिंह : एक में कहा हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश दिये गये थे, बाकी में ना कर दिया तो क्या हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश नहीं दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने हिस्ट्रीशीट खोलने का हां कहा है, और बातों के लिये ना किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश दिये गये हैं वह पंचायत समिति का प्रधान है ?

श्री रामकिशोर व्यास : है तो है, इससे क्या मतलब ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान में रखा है कि किसी पंचायत समिति के प्रधान की हिस्ट्रीशीट खोली जाय तो पंचायत विभाग को सूचित किया जाय और पूछा जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसकी हिस्ट्रीशीट खोली जाती है तो उसको राइट ऑफ अपील होता है, किसी ने बेजा हुक्म दिया है तो वह अपील कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा अपील का क्वेश्चन नहीं है। आपने मिसकन्डक्ट के कारण हिस्ट्रीशीट खोला है तो पंचायत समिति जिला परिषद् एक्ट के अनुसार जो मिसकन्डक्ट हो उसको पंचायत समिति से हटाया जा सकता है तो पंचायत विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पंचायत विभाग को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं थी।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से वितरित कोटा

२७९. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) १ अप्रेल, सन् १९६० से अब तक किन किन व्यक्तियों अथवा फैक्ट्रीज को कब कब कितना कितना और किस किस सामान का कोटा मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से दिया गया?

(२) उपरोक्त मामलात में डाइरेक्टर अथवा स्क्रूटिनाइज़िंग कमेटी की क्या क्या सिफारिशें थीं?

(३) क्या उपरोक्त मामलात में कोटा दिये जाने से पूर्व नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूरी कर ली गई थी?

(४) नियमों के अनुसार कोटा प्राप्त होने से पूर्व कब कब और क्या क्या कार्यवाही होनी आवश्यक है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) कोई कोटा नहीं दिया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) कोटा देने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही पूरी होनी आवश्यक है—

१. जमीन का प्रबन्ध कर लिया हो।

२. पॉवर कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया हो।

३. मशीनरी का फर्म (फर्म) ऑर्डर दे दिया गया हो।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न है कि मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से, टेलीफोन के कारण से किन किन को हुक्म दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि कागज़ात बने हुए ही नहीं थे। कागजात बने हुए थे पर मन्त्री महोदय के टेलीफोन से कोटा दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका यह सवाल था कि किन किन व्यक्तियों या फैक्ट्रीज को मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से कोटा दिया गया; तो मैंने यह जवाब दिया कि नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइल पर यह लिखा हुआ है :

"Under verbal orders of the Industries Minister, the Committee is requested to pass a permit in favour of.........firm" ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर दिया

(श्री आबिदअली)

या नहीं दिया, मन्त्री महोदय होते तो कहते। मेरे पास दफ्तर से जांच होकर आई है उसमें लिखा है कि कोई इस प्रकार की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि फाइल पर यह लिखा हुआ है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से सवाल है। डाइरेक्टर के दफ्तर से सूचना आई है उसके अनुसार मैं यह सूचना दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि वर्बल ऑर्डर से नहीं दिया है। मैं कहता हूँ कि फाइल पर यह लिखा हुआ है। तो मन्त्री महोदय दफ्तर की सूचना पर यह भी कह दें कि फाइल पर इस प्रकार का नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप प्रिज्यूम करना चाहें तो यह प्रिज़म्प्शन का सवाल नहीं है। उनका कहना यह है कि जुबानी हुक्म से कोई कोटा (Quota) नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : There is no question of presumption. This is a question of facts. मैं यह पूछ रहा हूँ कि मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से परमिट नहीं दिया ? आपने तो इन्कार कर दिया। लेकिन फलां फाइल पर यह लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री महोदय के जबानी हुक्म से परमिट देने की सिफारिश की जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्री महोदय जानकारी करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर ऐसा है तो जानकारी करने के लिए तैयार हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री महोदय उस मन्त्री के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे जिसने ऐसा किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल नहीं है। हुक्म हो सकता है। दफ्तर ने मुझे जो सूचना दी है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत की।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानकारी चाहूँगा कि यह किस रूल के अन्तर्गत आता है कि इस प्रकार का जबानी हुक्म देकर कार्यवाही कराई जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइल पर कन्फर्म कराया होगा। लिख दिया।

श्री भैरोंसिंह : There is a lot of difference between a verbal and written order.

वर्बल ऑर्डर के लिए सरकार के क्या नियम हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि कोई मिनिस्टर वर्बल ऑर्डर देता है तो ऑफिसर राइटिंग में करा लेते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं।

Page No.8

श्री भैरोंसिंह : फिर आप यह मंजूर कर लीजिये कि वर्बल ऑर्डर दिया होगा और रिटन में कर दिया होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने नहीं किया वर्बल ऑर्डर। मुझे नहीं मालूम है। इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब की ओर से जवाब दे रहा हूं। डिपार्टमेंट से जो सूचना आई वह दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बद्रीप्रसादजी गुप्ता से नहीं प्रश्न कर रहा हूं; मैं यह इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर से कह रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am giving this reply on behalf of the Industries Minister and not from Shri Dhariwal.

श्री भैरोंसिंह : Should I take that no such instructions have been given by Shri Dhariwal?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I presume...

श्री भैरोंसिंह : आप कहिये साफ साफ। रुक क्यों गये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कह दिया, I have said it very clearly.

श्री भैरोंसिंह : You have said it as Badri Prasad and I want as Dhariwal.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am telling as Industries Minister that I have no information like that.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

गंगानगर जिले की पंजीकृत सहकारी समितियां

२८०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर जिले में कुल कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर हुईं और उनमें से कितनी इस समय कार्य कर रही हैं?

(२) क्या यह सही है कि इन सहकारी समितियों के हिसाब का ऑडिट अब तक पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो किस किस का और क्या ऐसी अवस्था में इन समितियों को सरकारी सहायता या कर्जा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(३) इन सहकारी समितियों को कुल कितनी रकम सहायता या कर्जे के रूप में सहायता दी गई है तथा इनमें से कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनसे वसूली बाकी है और कब से?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) १,०६७ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुईं जिनमें से ६७४ कार्य कर रही हैं।

(२) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(३) इसका उत्तर भी संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.9

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संलग्न का क्या मतलब ?

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): अटेच्ड।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास नहीं है। दफ्तर से आया, लिखा हुआ पढ़ दिया, तालिका तो मिली नहीं । नोटिस ऑफिस में भी जाकर आया २७४ के बारे में सूची मिली, बाकी की नहीं मिली।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने ऑफिस में भेज दी है। नोटिस ऑफिस में होगी।

श्री अध्यक्ष : आपको इत्तला मिली उसके बारे में ही पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन सहकारी समितियों का हिसाब ऑडिट नहीं होता है तो क्या उनको कर्जा नहीं मिलता है या मिल जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची को देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक ही परिशिष्ट (क) है। आपको मिला होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी सूची नहीं मिली। २७६ की मिली थी।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में नहीं मिली ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं।

क्या यह सही है कि ऑडिट न हो जाय तब तक नियमों के अनुसार सहकारी समितियों को कर्जा नहीं दिया जा सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे नियम नहीं हैं कि ऑडिट न हो जाय तो मदद ही नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस विभाग में स्थानान्तरण तथा नियुक्तियां

२८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रेल, सन् १९५७ से लेकर अब तक कितने हैड कॉन्सटेबल, कितने सब-इन्सपेक्टर व इनके बराबर के ओहदेदार आर. ए. सी. से ए. पी. में ए. पी. से वायरलैस सेक्शन में, वायरलैस से सी. पी. में तथा सी. आई. डी. से सी. पी. में स्थानान्तरित अथवा नियुक्त किये गये और कब कब से तथा कौन कौन ? कृपया सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ख) पुलिस विभाग के उपरोक्त सेक्शन में किस २ सेक्शन से किस २ सेक्शन में स्थानान्तरण किया जा सकता है और किस किस में नहीं और क्यों ? इस सम्बन्ध में बने नियम अथवा आज्ञायें हों, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(ग) जिन २ सेक्शन्स से इनका स्थानान्तरण हुआ है उनमें ऐसे ओहदेदारों की नियुक्ति किस २ पद पर, कब २ और किस २ प्रकार से हुई हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि ऐसी हुई नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण विभाग के प्रचलित नियमों अथवा व्यवस्थाओं के विपरीत हुई हैं ? यदि हां, तो किन २ के और क्यों ?

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) उपरोक्त स्थानान्तरण व नियुक्तियां किस २ अधिकारी द्वारा की गई हैं ?

(च) उपरोक्त हैडकॉन्सटेबल्स अथवा सब इन्सपेक्टर्स की क्या २ योग्यतायें हैं ? इन्होंने पुलिस सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो किस २ कार्य का और कब कब ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) स्थानान्तरण की सूचना इस प्रकार है :शे

श्री भैरोंसिंह : पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने को है तो वह क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतना बड़ा जबाब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तीन पेज दिये हुए हैं, पढ़ कर सुनायेंगे !

श्री रामकिशोर व्यास : चार लाइन पढ़ कर सुनाऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दो पेज सप्लीमेन्टरी के लिए हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : चार लाइन सुनाऊंगा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : सूची देते नहीं। यह ऐसा डिपार्टमेंट है जो देने की जिम्मेदारी नहीं समझता है।

श्री रामकिशोर व्यास : (क) स्थानान्तरण की सूचना इस प्रकार है :—

	१९५७ एस. आई. है. कॉ.	५८ एस. आई. है. कॉ.	५९ एस. आई. है. कॉ.	६० एस. आई. है. कॉ.	६१ एस. आई. है. कॉ.
१. आर. ए. सी. से ए. पी. में	१	१	२	१	४
	२	५	३	१	१
२. ए. पी. से वायरलैस में	....	....	....	....	....
३. वायरलैस से सी. पी. में	१	....	....	....	....
४. सी. आई. डी. से सी. पी. में	३५	२०	१६	२०	१०
	१	३	६	४	१२

(ख) एक ब्रान्च से दूसरी ब्रान्च में स्थानान्तरण की कोई पाबन्दी नहीं है। परन्तु स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये जाते हैं।

(ग) वायरलैस के एक अधिकारी के अलावा सभी का जिस पद पर से स्थानान्तरण किया गया था उसी पद पर दूसरे सेक्शनों में नियुक्ति की गई है।

(घ) इस विषय में पुलिस विभाग के विशेष नियम नहीं बने हैं; अतः नियम के विपरीत होने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे

Page No.11

(श्री रामकिशोर व्यास)

नियमों का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। आर. ए. सी. से ए. पी. तथा सी. आई. डी. से सी. पी. में आम तौर से स्थानान्तरण होता है क्योंकि दोनों के कार्यों में समानता है।

वायरलैस से अन्य ब्रान्चों में स्थानान्तरण आम तौर से नहीं किये जाते हैं परन्तु विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है।

(ङ) यह स्थानान्तरण आई. जी. पी., जयपुर के आदेश पर किये गये हैं। इनकी नियुक्तियां अधिकृत अफसरों द्वारा की गई थीं।

(च) सी. आई. डी. वाले १२७ पदाधिकारियों में से ४२ एब्व मेट्रिक, ५० मेट्रिक, ३५ नॉन मेट्रिक हैं तथा इनमें से ६३ व्यक्ति स्थानीय शिक्षण केन्द्र, ५० पी. टी. एस., किशनगढ़, १४ राजस्थान से बाहर शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षित हैं।

आर. ए. सी. वाले २१ में से ४ एब्व मेट्रिक, ५ मेट्रिक, १२ नॉन मेट्रिक हैं। १ पी. टी. एस., मुरादाबाद ट्रेन्ड शेष २० स्थानीय, आर. ए. सी. तथा आरमी ट्रेन्ड हैं।

वायरलैस से सी. पी. में जाने वाला व्यक्ति इन्टरमीडियेट है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आ. ए. सी. से जाने वाला एस. आई. सी. पी. में पहुँच गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : सी. पी. में सीधा नहीं आया है। आर. ए. सी. से ए. पी. में।

श्री भैरोंसिंह : आर. ए. सी. से वायरलैस और सी. पी. में पहुँच गया। वायरलैस में नियुक्त किया गया और सी. पी. में पहुँच गया।

श्री रामकिशोर व्यास : लिस्ट मैंने आपको बता दी। आर. ए. सी. से ए. पी. में, ए. पी. से वायरलैस और वायरलैस से सी. पी., सी. आई. डी. से सी. पी.। कितने कितने गये, यह सब मैंने आपको बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : सी. आई. डी. में भेजे हैं उनमें से कितने सी. पी. में ट्रेनिंग शुदा हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : सी. आई.-डी. में पहले ट्रान्सफर होता है।

श्री भैरोंसिंह : सी. आई. डी. से जिनको सी. पी. में भेजा है उनमें से किन किन ने पुलिस ट्रेनिंग कोर्स पास किया है और किन किन को अनुभव प्राप्त हुआ है?

श्री रामकिशोर व्यास : ५० तो ऐसे हैं जो किशनगढ़ ट्रेन्ड हैं और १४ ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर शिक्षण प्राप्त कर सके हैं।

श्री भैरोंसिंह : १४ बाहर के जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति रेगुलर नियुक्ति व्यवस्था के अनुसार हुई है या सी. आई. डी. में अलग से?

श्री रामकिशोर व्यास : सी. आई.-डी. में नियुक्ति नहीं की गई।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : बाहर के शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति सी. आई. डी. में रेगुलर अपोइन्टमेंट के अनुसार हुई है या डाइरेक्ट ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि शिक्षण प्राप्त हैं। कुछ बाहर के और कुछ किशनगढ़ से।

प्रश्न संख्या २८२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८३

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

२८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पोटेन्शियल मालूम करने के लिये सरकार किन बातों पर निर्भर करती है ?

(२) प्रति वर्ष वास्तविक उत्पादन जानने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सिंचाई, खाद व उन्नत बीजों का प्रयोग, फसल संरक्षण व उन्नत कृषि विधि में लाना तथा क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादन क्षमता यानि प्रोडक्शन पोटेन्शियल आंका जाता है।

(२) क्रोप कटिंग सर्वे व गिरदावरी की जाती है।

भूमिगत पदार्थों की खोज

२८५. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान बनने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार ने किन किन भूगर्भित पदार्थों की बीकानेर के उस एरिया में जो भूतपूर्व रियासत के अन्तर्गत आता था खोज की है और उसके क्या क्या परिणाम रहे ? अब कहां कहां पर खोज का कार्य चालू है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): राज्य सरकार ने राजस्थान बनने के बाद बीकानेर क्षेत्र में विशेषतः खड़िया के लिए चांदी, नयागांव, मढ, जिप्सम के लिए सूरतगढ़, ताराचगढ़ एवं माधोगढ़ तथा मुल्तानी मिट्टी (फलर्स अर्थ) के लिए इन्डोका वाला, श्री कोलायतजी व मढ़ के निकट। काँच बनाने की बालू का भी अन्वेषण किया गया। जिनमें से जिप्सम तथा खड़िया के कतिपय क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिये गये हैं।

अभी पलाना के क्षेत्र में लिनाइट का विशेष अन्वेषण का कार्य चालू है। भारत सरकार द्वारा जिप्सम व पानी के लिये अन्वेषण इस वर्ष के कार्यक्रम में रखा गया है।

श्री रावतमल पारीक : क्या नोहर के मातरपुर क्षेत्र में जिप्सम प्रचुर मात्रा में मिली है ?

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। वहां डिपोजिट भी है।

प्रश्न संख्या २८६

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता

२८७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर जिले में प्राय: अकाल की छाया रहती है और इस कारण वहां के लोगों को रोजी कमाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला स्तर पर कुछ ऐसे लघु उद्योग खोलने की ओर ध्यान दे रही है कि जिससे जिले के हर जरूरतमन्द गांव के लोगों को रोजगार मिल सके ? यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, राज्य सरकार बीकानेर जिले के औद्योगिक विकास के प्रति जागरूक है। बीकानेर जिले में २८ शेड की एक औद्योगिक सम्पदा स्थापित की जा रही है। प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये नोखा में चर्म उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। जिले में उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिये एक जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त है। एक क्लस्टर टाइप ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया है। इसके अतिरिक्त ऊन उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र खुले हैं। उद्योगों के विकास के लिये ऋण, हायर परचेज, विद्युत् पर सहायता, भूमि एवं कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता इत्यादि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

श्री रावतमल पारीक : मेरा प्रश्न यह है कि परमानेन्ट अकाल की रोकथाम के लिये गांवों में विशेष कर हर गांव में राहत देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? कितना रुपया लगाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आपने बीकानेर जिले का पूछा है। मैंने सारे जिले का जवाब दिया है। कोई गांव बाकी थोड़े ही रहा है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : एक तो आपने नोखा में बताया, एक आपने चालू करवाने के लिये सूचना दी है। बाकी के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं, कुल मिला कर कितने आदमियों को लगा सकते हैं या अभी लगा रखे हैं, इसके बारे में सूचना दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की उद्योग नीति के बारे में मैं कह चुका हूं। सहायता देते हैं, ऋण देते हैं, सस्ती रेट पर बिजली देते हैं, जमीन देते हैं। बीकानेर में जितने उद्योग जो कोई लगाना चाहे लगा सकता है। रोक थोड़े ही है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर में कितने ऋण और कितनी सहायता आपने दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह तो

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बड़ा लम्बा चौड़ा सवाल पूछ लिया । आप इसके लिये अलग से नोटिस दीजिये।

श्री किशनाराम : साधारणतया अकाल पड़ते रहते हैं वहां। तो माननीय मेम्बर ने इस बारे में प्रश्न पूछा कि आपने उद्योगों के द्वारा कितने लोगों को काम में लगाया व कितनों को लगा सकेंगे ? आपने कुल मिला कर कितने लोगों को रोजी पर लगा दिया है, हम तो यह पूछना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोखा के बारे में मैंने नहीं बताया। प्लास्टर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सम्भवत: यह जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेन्ट कितने आदमियों को आपकी इन योजनाओं से मिल सकेगा; यह आप उनको बताएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एम्पलॉयमेंट डिपार्टमेंट से मालूम पड़ सकता है।

श्री किशनाराम : नोखा के लिये आपने कहा है। याददाश्त आपकी कमजोर मालूम पड़ती है भूल गये हैं अपना उत्तर ही।

राजस्थान कैनाल के उद्घाटन के अवसर पर प्रेस पब्लिसिटी

२८८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) [illegible] मार्च, १९५८ को राजस्थान कैनाल के उद्घाटन के अवसर पर प्रेस पब्लिसिटी के लिये कितने रुपये की स्वीकृति की गई थी और कब ?

(२) किन किन समाचार पत्रों द्वारा कब कब पब्लिसिटी की गई और उन समाचारों का कैनाल के उद्घाटन के अवसर से क्या सम्बन्ध था ?

(३) इसमें कुल कितना खर्चा हुआ और प्रत्येक समाचार पत्र को कितना कितना रुपया इसके लिये दिया गया ? कृपया इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) दिनांक २५-३-१९५८ को २५,०००) रुपये स्वीकृत हुए थे।

(२) निम्नलिखित अखबारों को विज्ञापन दिया गया :—

विज्ञापन प्रकाशित होने का दिनांक	पत्र का नाम	विज्ञापन की धनराशि
१	२	३
मार्च, ५८	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	३,२१६)रु०
मार्च, ५८	हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, दिल्ली	२,२४०)रु०
मार्च, ५८	टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली	५,७६०)रु०
मार्च, ५८	हिन्दुस्तान, दिल्ली	१,५८६)५८ न० पै०
मार्च, ५८	नवयुग, जयपुर	१,७००)रु०
मार्च, ५८	आयोजन, जयपुर	१,२००)रु०
अप्रेल, ५८	स्टेट्समैन, दिल्ली	३,८७०)रु०

Page No.15

(श्री रामकिशोर व्यास)

१	२	३
अप्रेल, ५८	इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली	३,३६०)रु०
	नवभारत टाइम्स, दिल्ली	१,८००)रु०
	कुल	२४,७३५)५८न०पै०

इस विज्ञापन का राजस्थान नहर के उद्घाटन के अवसर से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। हालां कि जो राजस्थान का नक्शा विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराया गया था उसमें राजस्थान नहर तथा राजस्थान के अन्य विकास कार्य ही दिखाये गये थे।

(३) कुल रुपया २४,७३५.५८ न० पै० खर्च हुए। प्रत्येक समाचार पत्र को दिये गये विज्ञापन की राशि प्रश्न (२) के उत्तर में दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुए थे, उस उद्घाटन के पहले कराया जाने की मंशा थी या बाद में ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस अवसर पर कराने की मंशा थी।

श्री भैरोंसिंह : उस अवसर से मतलब कैनाल के उद्घाटन पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस वक्त ओपनिंग के वक्त पर तो उस अवसर पर ही था।

श्री भैरोंसिंह : मतलब यह इच्छा आपकी थी कि उस अवसर का लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें ? इसलिये जितनी पब्लिसिटी हो और जितना अवसर हो पूरी पब्लिसिटी उसकी लोगों तक हो जानी चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह राजस्थान कैनाल नहर और यहां की प्रगति एक सीक्रेट सी चली आ रही थी। हम चाहते थे कि सब लोग जानें, सब को जानकारी मिलनी चाहिये, इसलिये यह किया।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी मिल गई। पर उद्घाटन के एक्चुअल डेट को या उससे पहले मिली या बाद में ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें फर्क क्या पड़ता है, एक दिन पहले या पीछे ?

श्री भैरोंसिंह : फर्क का सवाल नहीं है। मंशा आपकी क्या थी ? पहले पब्लिश होनी चाहिये थी सूचना या बाद में ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक, दो दिन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो मैटर पब्लिस के लिये भेजा था उसमें पत्रों को आदेश दिया गया था कि कैनाल के उद्घाटन तक यह पब्लिसिटी हो जानी चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका तो मुझे पता नहीं। अलग से जानकारी करने के लिये अलग से सवाल पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन समाचार पत्रों में राजस्थान के दैनिक समाचार पत्र भी थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, बताया न कि एक नवयुग था।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के समाचार पत्रों में आपने यह समझ कर नहीं दिया क्या कि अगर इनमें देंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिनने निकालना चाहा उनको दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बाकी पत्रों ने तो इसका मतलब यह हुआ इन्कार कर दिया था क्या कि नहीं, हम नहीं छापना चाहते आपका यह विज्ञापन ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन पर सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं आया। यह डेमोक्रेसी में बड़ी खतरनाक पॉलिसी है सरकार की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनफॉर्मेशन यह आपके पास कहां से आई कि बाकी के अखबारों ने चूंकि इन्कार कर दिया इसलिये उनको यह विज्ञापन छापने को नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की इस विज्ञापन की नीति के बारे में कई बार यहां सदन में चर्चा की जा चुकी है। आपने यह प्रश्न पूछा कि किन किन को दिया, वह बता दिया और यह भी बता दिया कि इन इन को इतना इतना रुपया दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार अपने राज्य में क्या क्या विकास कार्य कर रही है और कैनाल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाना चाहती है और यह बात वह जनता को और खास कर राजस्थान की जनता को बताना चाहती थी। ऐसी हालत में जिन पत्रों का सर्कुलेशन राजस्थान की जनता में या तो नहीं है या उतना नहीं है जितना दूसरों का है और यह आपका उद्देश्य है नहीं कि नहर आखिर दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई तो जावेगी नहीं, गंगानगर के गांवों में जावेगी तो ऐसी हालत में गांवों में जो अखबार जाते हों उन अखबारों को, उन जयपुर के और अन्य जगह के अखबारों को विज्ञापन देना चाहिये था। अगर ऐसा होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। पर ऐसा नहीं करके बाकी सब को दिया, तो इसमें आपत्ति होना स्वाभाविक भी है। राजस्थान के जितने साप्ताहिक, पाक्षिक या दैनिक समाचार पत्र हैं जो गांव गांव में जाते हैं गंगानगर या बीकानेर या चुरू से निकलने वाले भी हैं उनको विज्ञापन नहीं देना और बाहर के पत्रों को देना; यह सरकार की नीति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहस की बात हो गई। श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर में डेयरी फार्म खोलने की योजना पर कार्य

२८६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या जयपुर में कोई डेयरी फार्म

Page No.17

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

खोलने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य आरम्भ हुआ है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि अभी तक उस डेयरी पर कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है ? यदि नहीं, तो अब तक डेयरी के कार्य में क्या प्रगति हुई है, उसकी सूचना दी जावे ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। इसका शिलान्यास १२ अप्रेल, सन् १६५८ को हुआ है ।

(ख) दुग्ध वितरण का काम अभी इस डेयरी पर आरम्भ नहीं हो पाया है। विदेशों से जो डेयरी की मशीन आ रही है उसके आने में विलम्ब हो गया है। यद्यपि दुग्ध शाला (भवन), आमेर रोड़ पर बन कर तैयार हो गया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह दुग्ध शाला बनाई गई है या दुग्ध भी वहां तैयार होने लगा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मकान वहां तैयार हुआ है, मशीनें आने वाली हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इनके कब तक आने की आशा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आशा तो पहले ही जल्दी थी, उम्मीद तो इस साल के शुरू में मिलने की थी, पर अभी तक आई नहीं हैं।

पंचायत समिति सरकाबाद द्वारा धन राशि का वितरण

२६०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति, सरकाबाद, तहसील देवली ने जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी सरकाबाद को कुए में पम्प लगाने की धन राशि दी है ? अगर हां, तो कब और कितनी ?

(२) क्या वह पम्पिंग सेट कुए में लग गया है ? अगर हां, तो उससे कितनी जमीन पीवल हुई और कितनी उपज हुई ?

(३) यह धन राशि किन किन शर्तों व किश्तों पर दी गई थी ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि तहसील देवली में पम्पिंग सेट के लिये यह रकम दी गई और पम्पिंग सेट आ चुका है और आप कहते हैं कि धन राशि नहीं दी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पम्पिंग सेट आ गया होगा लेकिन धन राशि नहीं दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर पम्पिंग सेट कहां से आया ?

Page No.18

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा सरकार द्वारा धन राशि नहीं दी गई।

प्रश्न संख्या २६१

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन)

२६२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Finance Minister be pleased to state :—

1. How many persons have been taken on deputation in various Government Departments from the Office of the A. G., Rajasthan and other States ? Please place list of all such persons stating their present postings, date of deputation, period of original deputation and subsequent extension and extra emoluments in all on this account.

2. Is it a fact that the Government has to pay to the lending Government leave and pension contribution in addition to extra emoluments paid directly to the deputationists ?

3. Is it a fact that the equivalent posts of the lending Government already carry sufficiently higher scales of pay and allowances ?

4. Is it a fact that the U. D. Cs. on deputation in Chambal and Rajasthan Canal Projects are being paid even upto Rs. 470/-per month apart from pension and leave contributions while the Accounts Officer recruited in the Accounts Service of the State Government gets nearly Rs. 290/- only though being their Boss ?

5. Is it a fact that some of these deputationists are not paid anything extra than their original emoluments in their parent Department ? If so, why ?

6. Is it also a fact that some deputationists posted at Chambal Project, whose permanent residential addresses are of Kotah city, are being paid 44% extra of their original emoluments ? If so, why when they belong to these places ?

7. Why this Project Allowance is paid at all ?

8. Why this Project Allowance is being paid even now when the Barrage has been inaugurated ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : 1. 82 persons have been taken on deputation in the following Departments from the Office of the Accountant General, Rajasthan and other States :

1. Office of Chief Accounts Officer, Chambal Project- 25

2. Office of Chief Accounts Officer Rajasthan Canal Project- 50

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

3. Office of Examiner, Local Fund Audit Department. 5

4. Government Secretariat- 2

82

A list of all the 82 persons stating their present postings, date of deputation, period of original deputation and subsequent extension and extra emoluments in all on this account is put up.

2. Yes.

3. Yes.

4. No.

5. No.

6. Yes. No discrimination can be made for persons belonging to Kotah or other places since they are entitled to emoluments while on deputation according to terms of deputation.

7. It is usual to grant Project Allowances to the staff working in the Projects with huge constructional activities in view of the ardous nature of their duties.

8. The payment of Project Allowance had no connection with the completion of the Barage alone. In view however of reduced constructional activity and change of conditions it has since been ordered that employees who are posted on or after 1-7-1961 will not be entitled to the grant of Project Allowance. In the case of others Project Allowance has been reduced to 50% and all staff working in Kota city will cease to get Project Allowances with effect from 1-3-1962.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सदन की मेज पर दे दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चम्बल प्रोजेक्ट पर जो यू० डी० सी० डेप्यूटेशन पर हैं उनको सब मिला कर इमोल्युमेंट्स कितने मिलते हैं और अकाउन्ट्स ऑफिसर को कितने मिलते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टोटल इमोल्युमेंट्स कितने मिलते हैं, यह तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो पे होती है उससे तीस प्रतिशत प्रोजेक्ट अलाउंन्स और दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर यू०डी० सी० की पे और अलाउन्सेज़ मिला कर केलकुलेट की जाय तो राजस्थान सरकार के अकाउन्ट्स ऑफिसर हैं उनसे अधिक इमोल्युमेंट्स इनको मिलते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है, लेकिन जो पे स्केल्स है उनमें तो फर्क है। उसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में और हमारे यहां के वेतन में फर्क भी ज्यादा है।

Page No.20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित समझती है कि यू० डी० सी० का जो मास्टर होता है उसकी तनख्वाह तो कम रहे और जो डेप्यूटेशन पर यू० डी० सी० आते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा रहे ?

। रभाऊ उपाध्याय : डेप्यूटेशन पर आने से ज्यादा हो सकती है लेकिन स्केल तो उनका वही है । बहरहाल जिस प्रकार की कन्डीशन हैं, जो नियम हैं उन्हीं के मुताबिक दे रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके यहां यू० डी० सीज० की कमी है जिसके कारण आप अकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस से डेपूटेशन पर लेते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रोजेक्ट का काम नया नया था इसलिये वहां पर अकाउन्ट्स रखने के लिये ट्रेन्ड और अनुभवी व्यक्तियों को रखना जरूरी था । कहीं ऐसा न हो कि कम अनुभवी और अनट्रेन्ड आदमियों को रख दिया जाय जिनसे हिसाब किताब में गड़बड़ी होने की संभावना हो इसलिये ए० जी० के ऑफिस के क्लर्कों को लिया गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेप्यूटेशन पर जो लिये गये हैं क्या वे सब अकाउन्ट्स में ट्रेन्ड हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अकाउन्ट्स के ही व्यक्ति लिये गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट और राजस्थान नहर के लिये जो यू० डी० सी० लिये गये हैं वे सब अकाउन्ट्स ट्रेन्ड नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ट्रेन्ड एक्चुअली न भी हों तो एक्सपीरियेन्स्ड तो हैं ही ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप ट्रेन्ड और एक्सपीरियेन्स्ड दोनों में अन्तर नहीं समझते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक्सपीरियेन्स को भी महत्व दिया जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यू० डी० सी० जो डेप्यूटेशन पर लिये जाते हैं वे पांच साल के कम एक्सपीरियेन्स के नहीं होने चाहिये; जब कि आपके इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे भी यू० डी० सीज० हैं जिनको सर्विस में आये एक साल ही हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि राजस्थान के कर्मचारी भी इन जगहों के लिये मिल सकते हैं; ऐसी हालत में ए० जी० के ऑफिस के लोगों को लेकर अपने फाइनेन्स पर क्यों ज्यादा बर्डन डालती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रश्न सरकार के सामने भी आया है सरकार गौर कर रही है ।

कुम्हेर के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

२६३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(डीग) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या कुम्हेर, जिला भरतपुर के पुलिस सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध वहां की जनता ने रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार तथा गत पंचायतों के चुनावों में सक्रिय रुचि लेने आदि के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए उसका तबादला करके खुली जांच करने की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के एक बार पुलिस लाइन में उपस्थित होने के आदेश भी हो गये थे जो बाद में मन्सूख किये गये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस थानेदार के विरुद्ध भूतपूर्व जिलाधीश, जयपुर, भरतपुर ने जांच करके कोई रिपोर्ट भी सरकार को दी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या तथ्य बतलाये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये ।

(२) जी नहीं ।

(३) श्री कैलाप्रसाद एस० आई०, कुम्हेर के विरुद्ध श्री अमरसिंह को पुलिस की हिरासत में पीटने के कारण मृत्यु होने के आरोप के विषय में भूतपूर्व जिलाधीश की आज्ञानुसार एस० डी० एम०, भरतपुर द्वारा अदालती जांच की गई । जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जांच किसने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस० डी० एम०, भरतपुर ने ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या कलेक्टर ने यह जांच नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर ने उस जांच से अपने को एग्री किया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे आप से निवेदन करना है माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सूची नहीं मिलती । वैसी हालत में जो पूरक प्रश्न होते हैं उसके बिना हम पूछ नहीं सकते । आम तौर पर मन्त्री महोदय सूची देने में गुरेज क्यों करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सूची आप किस बात की चाहते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कलेक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है उसकी ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : बीभत्स मामलों के अन्दर तो जरूर रखी जानी चाहिये ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : पांच साल का पीरियड है ये आसानी से निकालना चाहते हैं ।

Page No.22

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने अभी बतलाया कि कलेक्टर ने उस रिपोर्ट से एग्री किया है, मैं कहता हूँ एग्री नहीं किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से सवाल है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक तो सूची नहीं दी जाती है और दूसरा जब हम सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिये कहते हैं यह अलग सवाल है।

श्री अध्यक्ष : सूची उस चीज की दी जाती है जिसकी जानकारी लम्बी हो और जो सदन में पढ़ी नहीं जा सकती हो। आप तो रिपोर्ट क्या थी यह मांग रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रिपोर्ट के तथ्य काफी लम्बे हैं उनको देना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने प्रश्न पूछा है उसे मैं पढ़ देता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने कलेक्टर साहब की रिपोर्ट मांगी है।

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट पढ़ी जाया नहीं करती।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो मुझे दीजिये रिपोर्ट।

एक माननीय सदस्य : आखिर रहस्य क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया और जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा सकती तो सप्लाई तो की जा सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर वह कॉन्फीडेन्सियल नहीं होगी तो दी जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एस०डी० एम० और कलेक्टर ने जनता की शिकायत पर जो जांच की है क्या आप उसको कॉन्फीडेन्सियल रिपोर्ट मानते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया अगर कॉन्फीडेन्सियल नहीं हुई तो दी जा सकती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि जो जांच एस० डी० एम० ने की उस जांच से कलेक्टर ने एग्री नहीं किया, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरे पास ऐसी जानकारी है कि वह रिपोर्ट जिलाधीश ने एग्री नहीं की।

श्री अध्यक्ष : सरकार किसी भी ऑफिसर द्वारा इन्क्वायरी करावे, लेकिन यह सरकार के लिये बाध्य नहीं है कि वह किसी अफसर के निर्णय से एग्री करे। चाहे किसी ने कुछ भी राय प्रगट की हो वह सदन में नहीं आनी चाहिये। सरकार की जो निश्चित राय है वह माननीय मन्त्री महोदय ने बताई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एस० डी० एम० ने जिस वक्त रिपोर्ट दी उसके बाद दूसरे लोगों ने शिकायत की और उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पर फिर कलेक्टर ने जांच की और कलेक्टर ने उस रिपोर्ट से एग्री नहीं किया है। उस रिपोर्ट को सप्रेस कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कलेक्टर ने उस रिपोर्ट से सहमति प्रगट की है।

श्री अध्यक्ष : जो निश्चय प्रगट किया गया है वह सरकार का निश्चय है, न कि कलेक्टर या एस०डी०एम० का। एस० डी०-एम० या कलेक्टर की रिपोर्ट पर सरकार सहमति प्रगट करे या न करे, यह सरकार के देखने की है।

(१२ म० प०)

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन कर दूं कि इस पर जो एस० डी० एम० की रिपोर्ट है उसी से कलेक्टर ने एग्री किया है। इसमें कोई भ्रांति की बात नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है और अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं निवेदन करूं कि इस एस० एच० ओ० के खिलाफ शिकायत मेरे पास आई थी और मैंने उसको इस शिकायत के ऊपर सस्पेन्ड किया था। जब एस० डी० एम० की रिपोर्ट आई कि शिकायत सही नहीं है तो उसको वापिस री-इन्सटेट कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि छिपाने की बात क्या है। एस० डी० एम० की रिपोर्ट से कलेक्टर ने एग्री किया है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पुलिस की कार्यवाही तो मानी नहीं जा सकती लेकिन अदालत की मानी जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विस रूल्स के मुताबिक एक अधिकारी की जांच और विशेषकर पुलिस विभाग के अधिकारी की जांच केवल डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो सकती है तो इस जांच के लिए एस० डी०-एम० को मुकर्रर नहीं किया जा सकता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो शिकायत थी कि किसी आदमी को मार दिया तो इसकी इन्क्वायरी तो मजिस्ट्रेट से ही कराते।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जब आप ने उसको सस्पेन्ड कर दिया तो सस्पेन्शन के बाद तो डिपार्टमेन्ट के रूल्स लागू होते हैं। इसलिए डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होनी चाहिए थी। तो इसकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी क्यों नहीं कराई ?

श्री रामकिशोर व्यास : You did not follow me.

वह तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Should we presume that the enquiry of S.D.-O. under the Code of Criminal Procedure ?

श्री रामकिशोर व्यास : Certainly.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उनमें केवल आदमी को मारने का ही नहीं है; बल्कि रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार, ग्राम पंचायतों के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चुनाव में सक्रिय भाग लेने और राजनीति में सक्रिय भाग लेने के बारे में इन्क्वायरी हो रही है; उसका जवाब क्या आया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि शिकायत आई लेकिन आरोप साबित नहीं हुए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मारने की घटना को तो किस तरह से बदला गया; इसको तो जाने दो, लेकिन इन बातों में जो शिकायत हो रही है उसकी इन्क्वायरी की है और कलेक्टर ने उसको ठीक माना है कि 'हां' इनके खिलाफ यह शिकायतें हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इससे गंध यह आती है कि कोई न कोई इसमें रहस्य जरूर है क्योंकि इसके खिलाफ चार, पांच आरोप हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री तनसिंह।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर दे दिया जाये।

जोधपुर की चौपासनी स्कूल को वार्षिक सहायता

२६४. श्री तनसिंह [बाडमेर—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) जोधपुर की चौपासनी स्कूल को गत ७ वर्षों में कितनी वार्षिक सहायता प्रति वर्ष दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उसकी सहायता इस वर्ष घटा दी गई है ?

(३) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि चौपासनी स्कूल में भाषण देते हुए शिक्षा विभाग के संचालक ने तारीख २६-२-६१ को कहा था कि इस संस्था में किसी प्रकार का सरकारी रुपया खर्च करना व्यर्थ है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) चौपासनी स्कूल, जोधपुर को गत ७ वर्षों में जो सहायता दी गई उसकी तालिका संलग्न है।

(२) जी नहीं, बल्कि सहायता बढ़ाई गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं, दिनांक २६-२-६१ को शिक्षा विभाग के संचालक जोधपुर में नहीं थे। अतः उनके उस दिन उपरोक्त स्कूल में भाषण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जालोर-बागोड़ा बस सर्विस

२६५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) जालोर से बागोड़ा जाने वाली बस सर्विस को किन किन गांवों में होकर जाने का परमिट दिया गया है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या यह सत्य है कि इस सर्विस को किशनगढ़ से तीखी गांव में होकर जाने के आदेश सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सर्विस किशनगढ़ से तीखी होकर न जाकर सीधी डांगरा चली जाती है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की तामील न किये जाने के क्या कारण हैं ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जालोर से बागोड़ा बस सर्विस को २४-१-५३ को वाया रिसावरी, पहाड़पुर, किशनगढ़, मंडावली, डागरा, सेलाना, गोलसारल, ओरवाला, सामला, चौरड़, करलीओना, रोना, मंडार, रीडवाला, मुराना, पीलोरा, डोडाला गांव में होकर जाने का परमिट किया गया है। बाद में तीखी गांव तारीख २७-४-५७ को शामिल किया गया है।

(२) जी हां, तीखी गांव होकर जाने के आदेश तारीख २७-४-५७ को दिये जा चुके हैं।

(३) जी नहीं, यह सर्विस किशनगढ़ से तीखी तो नहीं जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह तीखी होकर जा रही है या नहीं ? आपके ऑर्डर्स तो हो जाते हैं लेकिन कम्पलायेन्स नहीं होती है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आपका ऐसा फर्माना है कि नहीं जाती है तो अब ऐसा हो जायेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : हां, तीखी होकर नहीं जाती है। किशनगढ़ से सीधी सीधी चली जाती है।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

पशु मेले का कुम्हेर पंचायत द्वारा ही आयोजन

२६७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कुम्हेर (जिला भरतपुर) पंचायत की ओर से गत तारीख १२ अगस्त से आरम्भ होने वाले पशु मेले के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र राज्य सरकार को दिया गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उस मेले को पंचायत समिति, कुम्हेर ने अपने अधीन बतलाकर उक्त पंचायत को पाबन्द कर दिया था कि वह उस मेले को न लगाये ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत के सरपंच द्वारा अपील करने पर राज्य सरकार ने स्टे देकर पंचायत को ही उस मेले को करने की इजाजत दे दी थी ? क्या इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह भी उस समय ले ली थी ?

(४) क्या फिर राज्य सरकार ने उस स्टे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के रहते हुए भी पंचायत समिति को ही मेला लगाने की फिर इजाजत दे दी थी ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार तथा क्या ऐसा करने की सलाह विधि विभाग से ले ली गई थी ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, विधि विभाग से भी सम्मति ली गई थी।

(४) जी नहीं, स्टे ऑर्डर के रहते हुए पंचायत समिति को मेला आयोजित करने की स्वीकृति नहीं दी गई; बल्कि स्टे ऑर्डर रिक्त कर दिया गया और उसके बाद स्वीकृति दी गई। पंचायत समिति ने जिला परिषद् के प्रस्तावानुसार कुम्हेर में मेला लगाने के लिए काफी कुछ तैयारी कर ली थी और खर्चा भी कर चुकी थी। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद पंचायत ने भी तैयारी नहीं की थी। अतः पंचायत समिति द्वारा किया गया खर्चा व्यर्थ न जाये; इस बात को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर कि इस मेले की कुल आय (खर्चा मिला कर) पंचायत समिति पंचायत कुम्हेर को हस्तान्तरित कर देगी, मेला लगाने की स्वीकृति पंचायत समिति को दी गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि इजाजत मेला लगाने की पहले पंचायत ने मांगी और पंचायत ने अपनी तैयारी पहले शुरू की या पंचायत समिति ने इजाजत पहले मांगी, किसने पहले इजाजत मांगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले इजाजत किसने मांगी, यह तो मेरे पास नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे पास नकल मौजूद है। कुम्हेर पंचायत ने पहले आपसे इजाजत मांगी और आपने दे दी। पंचायत समिति ने जब आपसे कहा तो उनको स्टे दी गई कि नहीं पंचायत ही लगायेगी। बाद में पंचायत समिति ने आ कर आप से कहा तो आपने स्टे को हटा कर उनको वापिस इजाजत दे दी। ऐसा क्यों किया, जब कि पहले वहां की पंचायत ने आप से पहले इजाजत मांगी और उसने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूँ कि जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया। इस एक्ट के तहत मेलों के सम्बन्ध में जो अधिकार दिये थे उनके अनुसार ५ हजार रुपये तक की आमदनी के जो मेले या प्रदर्शनी होंगी वह तो ग्राम पंचायत मेले लगायेगी और उससे ऊपर की आमदनी जिनमें होगी तो वह पंचायत समिति लगायेगी। तो जिला परिषद् अपने आदेश दे चुकी थी इसलिए यह समस्या खड़ी हुई और हमारे पास शिकायत आई और वह पंचायत समिति, कुम्हेर लेकर आई कि यह मेला ५ हजार से ऊपर की आमदनी का है ! इस हिसाब से वहां की ग्राम पंचायत को एक पैसा भी नहीं मिल सकता था। तो सरकार ने यह उचित समझा दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कि क्योंकि पंचायत समिति मेले की सारी शुरूआत कर चुकी थी और खर्चा कर चुकी थी और उसके मुकाबले में ग्राम पंचायत ने बहुत कम तैयारी की थी तो सोचा यह गया कि अगर ग्राम पंचायत को इजाजत दी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जायेगी तो उसको फिर खर्चा करना पड़ता और आमदनी कम होती। इसलिए ग्राम पंचायत के इन्टरेस्ट में ही मेला लगाने की इजाजत पंचायत समिति को दी गई; क्योंकि वह इसकी तैयारी में काफी पैसा खर्च पहले ही कर चुकी थी। लेकिन यह तय किया गया कि पंचायत समिति जो मेला लगायेगी और उससे जो आमदनी होगी वह ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : स्थिति यह है कि पंचायत खुद इस प्रश्न को लेकर आई जिला परिषद् के फैसले के खिलाफ आपके महकमे में और उसमें उन्होंने पंचायत समिति के लिए स्टे ऑर्डर दिया कि पंचायत ही लगायेगी। पंचायत समिति तो बाद में आई है और पंचायत पहले आई है और जिला परिषद् ने जो निर्णय किया था उसके खिलाफ आपके पास आई है कि जिला परिषद् का निर्णय ठीक नहीं है और यह मेला लगाने का अधिकार पंचायत को ही है। इस पर महकमे ने भी यही कहा कि मेला पंचायत को ही लगाना चाहिए और इस पर पंचायत ने काम शुरू कर दिया। उसके बाद में पंचायत समिति को मालूम हुआ तो वह अपनी शिकायत लेकर आपके पास आई और उसने कहा कि नहीं हमने सारी तैयारी कर ली थी। पर मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं हुआ। पहले ही तो पंचायत ने इजाजत मांगी, मेला लगाने के लिए और पंचायत ने ही अपना सारा काम शुरू कर दिया—पर्चे छपाये, इश्तिहार बंटवाये। दो दिन पहले पंचायत समिति आई है और फिर आपने कहा है कि इस समय मेला तुम लगा लो। यह स्थिति है या नहीं; आप ही बतायें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो इजाजत दी गई वह ग्राम पंचायत के इन्टरेस्ट में दी गई। दोनों पार्टीज़ हमारे सामने आई और हमें जानकारी मिली कि पंचायत समिति ने ज्यादा काम शुरु कर दिया है और ज्यादा खर्च कर दिया है तो यह मुनासिब नहीं समझा गया उसूलन दृष्टि से कि ग्राम पंचायत उसको लगाये। लिहाज़ा इस इन्टरेस्ट में इस साल के मेले के लिए सरकार ने सोचा कि क्योंकि पंचायत समिति सारी तैयारियां शुरु कर चुकी है इसलिए पंचायत समिति ही उसको लगाये। पर अगली साल से ग्राम पंचायत को ही लगाने के लिए तय किया गया है। पर इस साल सोचा गया कि ग्राम पंचायत न लगा कर पंचायत समिति ही लगाये क्योंकि उसने काफी पैसा खर्च कर दिया था; पर उसकी जितनी भी आमदनी हो वह पंचायत समिति ग्राम पंचायत को दे। तो यह तो ग्राम पंचायत को ही लाभ हुआ है। इसमें माननीय सदस्य को आपत्ति क्या है ?

मैं यह मानता हूँ कि पहले स्टे ऑर्डर दिया, उसके बाद जब वह फैक्ट सामने आये कि खर्चा ज्यादा कर चुके हैं और आमदनी कम है मेले की तो उस हुक्म को बदल दिया गया इस इन्ट्रेस्ट से कि पैसा ग्राम पंचायत को मिल जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पंचायत समिति ने जो खर्च कर दिया उसकी सूचना कैसे मिली ? आपको कैसे मालूम हुआ कि पंचायत समिति ने ज्यादा खर्च किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो बड़ी मोटी सी बात है कि दोनों पार्टियां मेरे पास आई थीं तो दो घन्टे तक सारे डिटेल्स पर मैंने ध्यान दिया है।

एक माननीय सदस्य : मेले के बारे में जिला परिषद् का क्या निर्णय था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह इस तरह का है कि ५,०००)रु. से ऊपर का जो मेला है वह पंचायत समिति को मिलेगा और ५,०००) रु. से कम का ग्राम पंचायतें लेगी। कुम्हेर में पहले म्युनिसिपैलिटी थी तो वहां पर मेले की आमदनी ज्यादा होती थी। जिला परिषद् के प्रस्ताव से तो ग्राम पंचायत को एक पैसा भी नहीं मिलता था अगर पंचायत समिति लगा देती तो। ग्राम पंचायत के इन्ट्रेस्ट में सारी कार्यवाही की है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सवाल यह है कि जिला परिषद् का जो निर्णय था उसके विरुद्ध किया था, स्टे उसके विरुद्ध दिया था। पहले ही कैसे मालूम था कि जिला परिषद् ने यह कर दिया है ?

श्री होतीलाल (भरतपुर) : ऑनरेबल मेम्बर को मालूम होना चाहिए कि स्टे और डिसीज़न में फर्क होता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऑनरेबल मेम्बर को मालूम नहीं है कि फाइनल डिसीज़न तो अब भी नहीं हुआ है।

श्री होतीलाल : I think I know more than the Hon'ble Member.

प्रश्न संख्या २९८

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

बालोतरा-सांचोर बस सर्विस

२९९. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिविजन में बालोतरा से सांचोर जाने वाली बससर्विस का हडिचा होकर सांचोर आने का सुझाव सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो कब और इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, बालोतरा से सांचोर जाने वाली बस सर्विस को हडिचा होकर जाने का सुझाव आर. टी. ए. के पास आया है जिस पर जिलाधीश, जोधपुर की सम्मति मांगी गई है। जिलाधीश की राय आने पर आगे की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिलाधीश की राय कब मांगी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ३००

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ३०१

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

गङ्गा बाल विद्यालय, बीकानेर

३०२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Education Minister be pleased to state :—

Is it a fact that Ganga Children School, Bikaner imparts education upto 3rd Standard only ? If so, will it be possible for the Government to raise it atleast upto 5th Standard if not to Middle Standard ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : Yes. Ganga Children School, Bikaner imparts education upto 3rd Standard. It would not be possible to raise it upto 5th Standard as all Montessory Schools in Rajasthan are imparting education upto 3rd Standard. These institutions are meant primarily for Pre-Primary Education only.

प्रश्न संख्या ३०३

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): इस प्रश्न का जवाब दिया जाय।

नापासर हाई स्कूल में साइन्स का कमरा

३०४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नापासर हाई स्कूल में साइन्स का कमरा बनाने हेतु नागरिकों द्वारा २,५००) रु० सहायता के रूप में जमा कराये जा चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा चीफ इन्जीनियर, भवन व सड़क के पास इकजाई रकम ट्रान्सफर कर दी गई है तथा अलग अलग कार्यों के लिये निश्चित राशि निर्धारित नहीं करने से नापासर में साइन्स के कमरे नहीं बनाये जा रहे हैं ?

(३) क्या शिक्षा विभाग नापासर के साइन्स के कमरों के निर्माण हेतु अलग से धन राशि निर्धारित करके एक्स. ई. एन., पी. डब्ल्यू. डी., बीकानेर को सूचित करेंगे ताकि कमरे शीघ्र बनाये जा सकें ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) यह सत्य नहीं है। नापासर की जनता ने २,५००) रुपये साइन्स का सामान खरीदने के लिये दिया था। साइन्स का सामान खरीद करके भेज दिया गया है।

(२) व (३) यह सत्य है कि विभाग ने इकजाई रकम पी० डब्ल्यु० डी० को दी है। परन्तु यह सत्य नहीं है कि इस कारण से ही कमरों का बनना रुका हुआ है। पी० डब्ल्यु० डी० ने कई बार साइन्स के कमरों को बनाने के लिये टेन्डर मांगे परन्तु टेन्डर प्राप्त नहीं

Page No.30

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हो सके। अब फिर टेन्डर नोटिस जारी किया गया है और १५-६-६१ टेन्डर प्राप्त करने की तारीख थी। टेन्डर प्राप्त होने पर व उसकी स्वीकृति के पश्चात् साइन्स के कमरों को बनाने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

श्री भीमसेन : कमरें बनाने के लिए सरकार ने कितने रुपये स्वीकृत कर दिए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और ज्यादा जानकारी मेरें पास इस वक्त नहीं है।

श्री भीमसेन : स्वीकृति कब दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया tenders for the above works have been invited several times but no tender has been received so far. That is the Engineer's Report.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बिना रुपये की स्वीकृति के कमरें कैसे बनायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्वीकृत तो है ही। टेन्डर इन्वाइट किये जा रहे हैं।

नीम का थाना के ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें

३०४. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नीम का थाना के कुछ ठेकेदारों के खिलाफ खनिज विभाग, राजस्थान व भ्रष्टाचार विभाग, राजस्थान के अधिकारियों के पास बुचेरा, श्रीमाधोपुर, कोटपुतली, नीम का थाना व तहसील बैराठ के क्षेत्रों में चोरी से खानें खोदने तथा डेडरेन्ट के लाखों रुपये हजम कर जाने की शिकायत आई थी ?

(ख) क्या इसी सिलसिले में खरखरा, मांवड़ा आदि के लाइम स्टोन व चूने की खानों की एक्सेज़ रॉयल्टी आदि की लाखों रुपये की रकम हजम करने आदि की शिकायत आई थी ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जयपुर डिविजन के माइनिंग इन्जीनियर के निवास स्थान की तलाशी ली गई थी और क्या सम्पत्ति को कब्जे में करके उक्त इन्जीनियर को मुअत्तिल करके गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका चालान कब पेश किया गया ? क्या उपरोक्त इन्जीनियर द्वारा दिये गये एस्टीमेट द्वारा उनकी जायज कमाई के आंकड़े अलहदा छांट लिये गये हैं ? यदि हां, तो बाकी नाजायज कमाई कितनी निकली है ? उसकी सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त माइनिंग इन्जीनियर के खिलाफ रिपोर्ट कुनिन्दा को जहर देकर मरवाना व पिटवाना व जयपुर पुलिस के साथ उक्त इन्जीनियर द्वारा मिल कर झूठा डकैतियों का केस बनाकर रिपोर्ट कुनिन्दा को जाल में फँसाने के सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

Page No.31

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। शिकायत की खनिज विभाग द्वारा जांच की गई व सम्बन्धित ठेकेदार से हिसाब के अनुसार रकम वसूल कर ली गई।

(ग) जी नहीं। माइनिंग इन्जीनियर, जयपुर के निवास स्थान की तलाशी इस सम्बन्ध में नहीं, एक अन्य शिकायत के सम्बन्ध में ली गई थी। उसी सम्बन्ध में उन्हें गिरफ्तार किया जाकर जमानत पर छोड़ा गया था। अनुसन्धान के बाद दिनांक १७-६-६० को मुकदमें का न्यायालय में चालान कर दिया गया जहां विचाराधीन है। जायज आमद व खर्च के आंकड़े छांटने पर १,६३,०७३) रुपया के मूल्य की नाजायज चल व अचल संपत्ति पाई गई।

(घ) सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री किशनाराम : यह शिकायत किसने की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वही होगा आपका।

श्री किशनाराम : मैंने सुना नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप दर्याफ्त फर्मा सकते हैं कि कौन शिकायत करता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी की रकम वसूल की है सरकार ने तो यह मान कर की है कि अनधिकृत रूप से सारा खोदने का काम किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : माइनिंग डिपार्टमेंट ने यही समझ कर की होगी।

श्री भैरोंसिंह : किस रूप में की है ? पैनेल्टी के रूप में या इस रूप में की है कि उसको ऑथेरिटी नहीं थी और खोदा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी बात पूछना चाहते हैं तो मेरे पास सूचना नहीं है। क्रिमिनल साइड का जहां तक ताल्लुक है वह मैंने अर्ज किया है।

श्री भैरोंसिंह : एक्सेस रॉयल्टी वसूल की है तो क्या यह सही है कि किसी प्रकार से खान खोदने का अधिकार नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : अनधिकृत होगा तभी चार्ज किया होगा। मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि आपको डेफिनेट रिप्लाई दे सकूं। उस विभाग की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन्हें इस प्रकार का अधिकार नहीं था खान खोदने का उन्होंने चोरी की थी और चोरी के कारण उन पर पैनेल्टी इम्पोज की गई, लेकिन प्रोसीक्युशन नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : माइनिंग डिपार्टमेंट ने रुपया वसूल कर लिया। दोनों का प्रोविजन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में इस प्रकार का ऑल्टर्नेटिव प्रोविजन नहीं है कि चोरी करने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

मामले में केवल पैनेल्टी इम्पोज़ कर दी जाय और चोरी का प्रोसीक्युशन नहीं कराया जाय?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज़ है । माइनिंग कन्सेशन्स रूल्स के अन्दर अनऑथेराइज्ड एक्सकेवेशन पर क्रिमिनल प्रोसीक्युशन होता है । उस पर रॉयल्टी वसूल नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री ने कहा कि यह उनसे सम्बन्धित नहीं है । सम्बन्धित मंत्री महोदय से पूछिये ।

पंचायत समिति नोहर के अधीनस्थ पाठशालाएं

३०६. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, नोहर के अधीनस्थ कितनी पाठशालायें हैं ? उनमें कितनी पाठशालाएं जिला बोर्ड तथा कितनी शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई थीं ?

(२) पंचायत समिति ने कितनी पाठशालायें चालू की हैं तथा इस वर्ष कितनी पाठशालायें और खोलने का विचार है ?

(३) समस्त पाठशालाओं में कुल कितने छात्र हैं और इस वर्ष उनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण—अनुत्तीर्ण का औसत अंक क्या है ?

(४) अध्यापक कुल कितने हैं तथा उनमें से अस्थाई नियुक्तियां कितने अध्यापकों की हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) कुल ८१ पाठशालाएं हैं । क्रमशः १७ व ४५ पाठशालाएं जिला बोर्ड व शिक्षा विभाग से हस्तान्तरित हुई थी ।

(२) समिति द्वारा एक भी पाठशाला चालू नहीं की गई । शिक्षा विभाग द्वारा २१ पाठशालाएं चालू की गई थीं । इस वर्ष भी शिक्षा विभाग द्वारा पाठशालाएं खोली जाएंगी ।

(३) कुल ३,४३१ छात्र हैं । कुल २,९८४ परीक्षा में बैठे थे व २,४३६ छात्र सफल हुए और परीक्षा फल ८२ प्रतिशत रहा ।

(४) १०७ अध्यापक हैं । ५४ अध्यापकों की अस्थाई नियुक्ति की गई है ।

प्रश्न संख्या ३०७

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३०७ का जवाब दिया जाय ।

तहसील नोहर की ग्राम पंचायतों को दी गई सरकारी सहायता

३०८. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.33

(श्री रामकिशन)

(क) वर्ष १९५६–५७ से लेकर अब तक तहसील नोहर की मारफत वहां की ग्राम पंचायतों को कितनी रकम सरकारी सहायता के रूप में दी गई है ? पंचायतवार सालाना सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(ख) क्या पंचायतों ने उन सब रकमों के खर्च का विवरण पेश कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या तहसीलदार ने कभी यह जांच की है कि कोई रकम किसी पंचायत की रोकड़ में जमा हुई भी है या नहीं ? यदि नहीं, तो जांच के लिये क्या व्यवस्था करवाई जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(ख) पंचायतों के लिए इस प्रकार की सहायता के खर्च का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।

(ग) जी नहीं । हिसाबात की जांच लोकल फंड ऑडिट द्वारा की जाती है । लोकल फन्ड ऑडिट द्वारा जब जब तहसील नोहर की पंचायतों का ऑडिट किया गया उनकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री रामकिशन : गबन हुआ है उसकी क्या जांच हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री रामकिशन : पंचायतों में गबन हुआ है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : गबन की शिकायत आई है क्या इस सम्बन्ध में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रामकिशन : जांच की रिपोर्ट के करी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग से प्रश्न गबन का पूछें ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या ऑडिट रिपोर्ट में धन के गबन का उल्लेख किया हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने यह पूछा कि ऑडिट कब किया गया, उसका मैंने जवाब दिया । अब ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है; इसके बारे में यदि आप पहले पूछते तो देख कर बताता ।

श्री रामकिशन : दो पंचायतों के उसमें नाम दिये हैं । रावतसर के बारे में ऑडिट पार्टी ने लिखा है कि वहां पर गबन हुआ है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दफ्तर में आया होगा तो मुझे याद नहीं है ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : आपको कौनसी बात याद रहती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): स्थगित प्रश्नों के उत्तर भी दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न रह जाते हैं उनके लिये जो प्रोसीजर होता है वह इनके लिये भी होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं अर्ज करूं कि....

श्री अध्यक्ष : बहस न करें आपको उत्तर मिल जायेंगे ।

(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

(१०६। सी० एम) पलाना खान, बीकानेर

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५८ के बाद से अब तक पलाना खान सम्बन्धी कौन कौन से मामले सरकार एवं ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए तथा उनमें प्रत्येक में क्या निर्णय दिया गया ?

(२) उपरोक्त निर्णयों में से कितने कार्यान्वित किए जा चुके हैं और कितने कार्यान्वित करने बाकी हैं ? उनमें सरकार को प्रत्येक मद में कुल कितना खर्चा अधिक बर्दाश्त करना पड़ा अथवा बर्दाश्त करना पड़ेगा ?

(३) सन् १६५८ व सन् १६५६ में पलाना खान का कुल कितना खर्चा था ? अलग अलग आइटम्स का खर्चा बतलाया जावे ?

(४) सन् १६५६ व सन् १६४६ के मुकाबले में खर्चा किन किन आइटम्स में किन किन कारणों से बढ़ा है ?

(५) सन् १६५८ व सन् १६५६ में प्रति टन कोयले का भाव क्या था ?

उत्तर :—

(a) No labour cases were referred to Govt. for decisions. 298 cases of alleged contravention of Section 33 A of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Management, were referred by the Palana Colliery Majdoor Union to the Tribunal. Of these, tribunal dismissed 184 cases and the directives given in the other cases are for re-instatement of workmen.

(b) All decisions given by theTribunal have been implemented. Expenditure involved in the Tribunal cases comes to Rs. 19,234/-as Fees to Government Legal Adviser and Rs. 3,130/-as T. A. & D. A. for Mine Manager, Palana & othere officials travelling to Delhi and back to consult the Legal Adviser. Total expenditure was Rs. 22,364/-

(c) List has been placed on the table of the house.

(d) It is not possible to give the information required as the records for 1949 are now not available.

(e) Selling price of Lignite was as under:-

1948. Rs.9/-per ton up-to 12. 6.

(श्री भीमसेन)

1948 & Rs. 11/-per ton up-to 31. 3/-1949.

1959. Rs. 25/-per ton F. O. R. Palana. Rs. 24/-per ton Pit's mouth.

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। —

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित नियम सदन की मेज पर रखता हूँ :—

(१) राजस्थान पंचायत समिति (इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टैन्डिंग कमेटी) रूल्स, १९५९ का नियम ४ तथा

(२) राजस्थान पंचायत समिति (इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्टेन्डिंग कमेटी) रूल्स, १९५९ का नियम ६। (गत सत्र में राजस्थान विधान सभा द्वारा इन नियमों में संशोधन किये गये थे अत: विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७२ के अनुसरण में सदन की मेज पर रख रहा हूँ।

(२) नियुक्ति विभाग (ए०) की अधिसूचना संख्या एफ. २३ (५) नियुक्तियां ए ६-ग्रुपIII दिनांक २५ मई, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस (पनिश्मेंट एंड अपील) रूल्स, १९६१ प्रकाशित किये गये हैं।

प्राक्कलन समिति के २२वें तथा २३वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भोलानाथ ।

श्री भोलानाथ (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ :

(१) आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित बाईसवां प्रतिवेदन, तथा

(२) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित तेईसवां प्रतिवेदन।

अजमेर के "उजाला" सिन्धी दैनिक पत्र के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have got a privilege motion.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : On a Point of Information. Sir, Has the Hon'ble Member given any notice before 11 A. M. today that he will raise this question of privilege ? It is a question of information only.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member wanted to raise it much earlier than today. He is raising it today.

श्री अर्जुनदास : I am not raising a Point of Order. I am first raising a Point of Information only. If I

Page No.36

(श्री अर्जुनदास)

am not satisfied with the information then I can...

श्री अध्यक्ष : This is not the way to get any information.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : If you are not satisfied, you can walk out of the House

श्री पी० के० चौधरी : I want leave of the House to raise a question of privilege. Some days back, Hon'ble Member from Ajmer wrote a letter to the Hon'ble Speaker requesting him to seek permission for raising a question of privilege in this House. That very letter was published in 'Ujala' Sindhi daily of 27th April, 1961. According to convention and tradition, any papers which are meant for this House and which have not yet been produced before the House should not be given publication Privileges Committee is a part of this House and any paper meant for it should not be prematurely published in the press. Therefore, by publishing that letter the paper has committed a breach of privilege and I want to raise this question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र के बारे में माननीय सदस्य ने संकेत किया है कि एक पत्र श्री अर्जुनदास ने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा और उसकी पब्लिसिटी अखबार में हुई। मैं दो बातें जानना चाहूँगा; एक तो यह कि जो पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखा गया, जिसकी पब्लिसिटी अखबारों में हुई वह पत्र अध्यक्ष महोदय को पहले मिला या उसकी पब्लिसिटी पहले हुई और पत्र बाद में मिला ? यदि पत्र बाद में मिला और पत्र में प्रकाशित पहले हो गया तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आता है। लेकिन जो पत्र अध्यक्ष को मिलता है वह गोपनीय होता है, सीक्रेट डॉक्युमेंट होता है और जब तक वह पत्र हाउस में नहीं आ जाता तब तक इसकी जानकारी सर्व साधारण को नहीं हो सकती, तो इस पत्र के बारे में माननीय सदस्य को कैसे जानकारी हुई....

श्री श्रीभानसिंह : These are matters which the Privileges Committee will enquire. I don't know why the Hon'ble Member is raising this 'Point of Information.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन की खास मंशा यह है कि जो पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखा गया वह "उजाला" पत्र में प्रकाशित कराया गया। उसमें यह नहीं बताया कि उनके पास कौन से कारण हैं जिससे सदन को विश्वास दिलाया जा सके कि जो पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखा गया उसको 'उजाला' पत्र में प्रकाशित होने के लिये उन माननीय सदस्य ने ही दिया। मैंने उस पत्र को देखा है। उसमें लिखा है, "विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है।" अब विश्वस्त सूत्र का यह अर्थ निकालने का आपके पास क्या कारण है कि जिन्होंने इसे मूव किया है उन्होंने ही छपवाया है....

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of

Page No.37

(श्री श्रीमानसिंह)

Order, Sir. What issue is the Hon'ble Member raising? Is it a Point of Order or Point of Information or is it pointless?

श्री भैरोंसिंह : I am opposing the motion which is being moved, and I am confident that the motion is not in order and it is not a question...

श्री श्रीमानसिंह : The motion has not been placed before the House yet.

श्री भैरोंसिंह : It has been moved in the House and the leave is being sought.

श्री श्रीमानसिंह : Only leave is being sought.

श्री भैरोंसिंह : Before any leave is given by the House, I think the position should be clarified so that the House may know whether it is a question of privilege or not.

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order, Sir. If objection to leave being granted is taken, then it is not a stage for speeches.

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य कहां विरोध कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : I have objection to the leave being granted.

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Member objects to it, he is not supposed to give speech.

श्री अध्यक्ष : Yes, he is opposing it and he is giving the reasons for it.

श्री पी० के० चौधरी : Only the question may be put, Sir.

श्री अध्यक्ष : We will do that after a short discussion.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री श्रीमानसिंह : निवेदन करके बैठ गये, दुबारा शुरू कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इर्रेगुलर कार्यवाही करेंगे तो आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, वे रोक देंगे।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उस पत्र में लिखा है कि "विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है;" इससे यह कैसे माना जाय कि माननीय सदस्य ने उसको जानकारी दी ? प्रिविलेज मोशन मूव करने का नोटिस अध्यक्ष महोदय को दिया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी उसमें यह बात माननीय सदस्य ने नहीं बताई कि उन्होंने पत्र को जानकारी दी। इस समाचार-पत्र को पढ़ने से यह मालूम होता है कि श्री पोहूमल ने पत्र लिख कर १५ दिन में अनुमति मांगी है। मैं समझता हूँ, जिन माननीय सदस्य ने पत्र लिखा उनको जानकारी नहीं मिल सकती थी। जानकारी श्री पोहूमल और सचिवालय के बीच में होती है। जहां तक जानकारी का प्रश्न आता है वहां

(श्री भैरोंसिंह)

यह संदेह है कि माननीय सदस्य ने सूचना नहीं दी होगी, श्री पोहूमल ने दी होगी जिसके खिलाफ बात आई है।

इसके अलावा दूसरा पोइन्ट यह है कि कोई पत्र या सूचना अध्यक्ष महोदय को दी गई है उससे पहले मैं समझता हूँ हाउस के प्रिविलेज का कोई प्रश्न नहीं होता। मैं किसी लोक महत्व का प्रस्ताव लाता हूँ तो उससे पहले—१० दिन पहले मैं सूचना प्रेस को दे सकता हूँ, चाहे जो मेरा इन्टेनशन हो उसको कम्पलाइन्स में नहीं लावें तो भी बता सकता हूँ। ऐसी स्थिति में हाउस के सामने प्रिविलेज मोशन आया है और हाउस की प्रोपर्टी हो जाता है और उसके बाद हाउस के नाम पर उस प्रोपर्टी का अनुचित लाभ उठाऊं तो हो सकता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की संज्ञा दी जाय। इसमें न तो यह सिद्ध किया गया कि माननीय सदस्य ने लाभ उठाया है, लाभ उठाने का प्रश्न नहीं, सूचना नहीं या इसके बारे में संकेत नहीं। श्री पोहूमल और सरकार के बीच में कोरेस्पोन्डेन्स जारी हुई है उसके बारे में माननीय सदस्य को कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है, इसका कोई संकेत नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह किसी प्रकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं है और इसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर सारे फैक्ट्स में न जाकर हम कानून के हिसाब से विचार करें, कानूनी रूप से जो मोटे तौर पर समझ में आता है, उसको देख लें और फिर लीव देने पर विचार करें तो ठीक होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि माननीय अध्यक्ष को दिए पत्र सीक्रेट और कॉन्फीडेन्शियल मानें। मैं समझता हूँ प्रजातन्त्रीय युग में कोई चीज जो माननीय अध्यक्ष को दी जाय उसको सीक्रेट या कॉन्फीडेन्शियल नहीं मानी जा सकती। अगर सरकार को दी हुई चीज कॉन्फीडेन्शियल और सीक्रेट मानी जा सकती है तो हर प्रश्न को उत्तर देने से इन्कार किया जा सकता है। हर कानून में, किस चीज को सीक्रेट और कॉन्फीडेन्शियल माना जाय; इस सम्बन्ध में अनुमति देते हैं। अगर हम नियमों को देखेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मालूम होगा कि अध्यक्ष को दिए हुए कौन से पत्र सीक्रेट और कॉन्फीडेन्शियल हैं। उसमें दो चीजें हैं—एक तो रूल २०० में दी हुई है और दूसरी रूल ४७ में दी है। रूल २०० में लिखा है कि जो भी शहादत या गवाही सिलेक्ट कमेटी के सामने आती है और जो रिपोर्ट है सिलेक्ट कमेटी की वह सदन के सामने जब तक पेश नहीं हो जाती है तब तक उसे कॉन्फीडेन्शियल ट्रीट की जानी चाहिए। ऐसा रूल है और इसका पालन नहीं करके चलते हैं तो वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, ब्रीच ऑफ रूल होता है। इसी तरह रूल ४७ कहता है कि किसी भी जिस प्रश्न को पूछा जा चुका है, जिसका नोटिस दिया जा चुका है उसके उत्तर की एडवान्स कॉपी देनी मना है। वैसे किसी प्रश्न को पब्लिश किया जा सकता है। कोई माननीय सदस्य चाहे तो प्रेस को कह सकता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा हूं; इस पर क्या सलाह है? उसका नोटिस देने के बाद वह प्रेस को बता सकता है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए नोटिस दिया

(श्री भैरोंसिंह)

है। अध्यक्ष महोदय से उसका यह जवाब आया है। जिन मन्त्री महोदय को प्रश्न का नोटिस दिया है उसका उत्तर माननीय सदस्य को मालूम हो जाय, उसके लिए एडवान्स कॉपी देना प्रोहिबिटेड है। मैं सदन का ध्यान इस रूल की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं :

"47..............Answers to questions. It is 'answer to questions' and not 'questions'. It says, "... ..Answers to questions which Ministers propose to give in the House shall not be released for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the Table."

So a fine distinction has been given here. As soon as a Member notifies his intention to Hon'ble Speaker to ask a question, it does not become confidential. Only the proposed answer by the Hon'ble Minister is confidential. So any publicity about the proposed questions is not a matter of privilege, unless the publicity given is a distortion or misconstruction of facts, in which case it becomes a breach of privilege. Here no distortion of facts is alleged. There is no allegation of deliberate misconstruction of facts. So the motion of privilege has been uselessly raised and the House should not consider it.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने यह प्रश्न है कि जो प्रिविलेज इश्यू श्री पी० के० चौधरी ने उठाया है उसको एडमिट किया जाय या नहीं। उस पर तीन माननीय सदस्य बोले। उन्होंने यह बताया कि यह प्रिविलेज इश्यू यों नहीं बनता, जो नोटिस माननीय स्पीकर को दिया जाता है वह सीक्रेट डॉक्युमेंट नहीं है। उन्होंने यह क्लियरली कहा। उन्होंने केवल अपनी इन्टेन्शन तो बताई नहीं है, पेपर में यह कह देते कि प्रिविलेज मोशन टेबल करने जा रहे हैं, यह पेपर में कहते तो हम मान सकते थे कि सीक्रेट डॉक्युमेंट नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्टेन्शन जाहिर की है। मगर जो कॉन्टेन्ट्स स्पीकर के सामने आते हैं उन पर जब तक सदन का निर्णय न हो जाय और माननीय सदस्यों का निर्णय न हो कि प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं; उसके पहले उन कॉन्टेन्ट्स को पेपर में दे देना ठीक नहीं। मैं यह कहूँगा माननीय सदस्यों से कि यह माननीय सदस्य की मेलाफाइड इन्टेन्शन है। एक तरह से वे हाउस के ऊपर प्रेशर लाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को इस प्रिविलेज मोशन में इन्वोल्व करना चाहते हैं उसके लिए प्रेशर लाना चाहते हैं through pre-publication in the papers. यह माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं है। जो जनसंघ के नेता हैं वे इश्यू को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। उन्होंने यह बताया कि यह प्रिविलेज का इश्यू सदन के माननीय सदस्य के अगेन्स्ट है। यह प्रिविलेज इश्यू है जरूर; क्योंकि जो पेपर है या लैटर है या डॉक्युमेंट है, जब तक उस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो जाता, उस पर माननीय अध्यक्ष 'हां' 'या' ना' के अन्दर निर्णय नहीं कर देते तब तक वह डॉक्युमेंट सीक्रेट माना जायेगा, यह सदन की परम्परा है और पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में है।

Page No.40

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point of Information, Sir, I would like to...

श्री श्रीभानसिंह : I will give all the information if you resume your seat. The Hon'ble Member has cited the Rules of Procedure, but there is May's Parliamentary Practice also. He should read it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Please quote it.

श्री श्रीभानसिंह : I will quote it for your information. जब तक निर्णय नहीं होता, यह सदन की परम्परा है, जब तक अध्यक्ष निर्णय न कर दें whether it is a privilege issue or not तब तक उसको पेपर के थ्रू नहीं दे सकते। मैं यह कहूँगा कि जिस पेपर ने, जिन साहब ने दिया, वे कन्वेस कर रहे थे, इस असेम्बली में उस चीज़ को एन्फोर्स करना चाह रहे थे। यह प्रिविलेज मोशन उन कॉन्टेन्ट्स के ऊपर है। If the contents of the letter of Shri Arjun Das were not published in the paper and only his intention was published, then it would not have been a privilege issue. But since the contents were published, the Hon'ble Member has made them public before the Chair has taken a decision thereon.

तो मैं कह रहा था कि प्रिविलेज का इश्यू माननीय सदस्य के अगेन्स्ट नहीं है, यह पेपर के अगेन्स्ट है, अगेन्स्ट प्री पब्लिकेशन है। कोई जो मैटर है, जो माननीय स्पीकर के पास है या हाउस के पास है, जो मैटर है जिस पर हाउस का डिसीजन या हाउस का निर्णय नहीं हो जाता उसको पब्लिश करने वाले के अगेन्स्ट प्रिविलेज मोशन है। मैं समझता हूँ कि मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस क्लीयर है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रिविलेज इश्यू को मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री अर्जुनदास : Mr. Speaker, Sir, I will first draw your attention to Rule 158.

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir, I will draw the attention to Rules of Procedure which prohibit a Member from participating in any issue where he is directly or indirectly involved.

श्री भैरोंसिंह : You have already said that he is not involved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: You have yourself said that it is against the paper only and not against the Hon'ble Member.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : It is not against him.

श्री श्रीभानसिंह : अश्रव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Now he is changing the statement. He should withdraw his issue.

श्री श्रीभानसिंह : If you just have the patience and sense......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Everybody has the sense except you.

श्री श्रीभानसिंह : Excepting you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Excepting you.

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री श्रीभानसिंह : मैं कह रहा था उस पेपर का हैडिंग क्लीयर है । श्री अर्जुनदास ने जो माननीय अध्यक्ष को लैटर दिया है उसके कन्टेन्ट्स दिये हैं । उस पेपर में नाम लिखा हुआ है, वह ऑनरेबल मेम्बर का नाम लिखा है । यह प्रिविलेज मोशन ऑनरेबल मेम्बर के अगेन्स्ट नहीं है, but the name of the Hon'ble Member is there that these are the contents of the letter of Shri Arjun Das which he has written to Hon'ble Speaker. Therefore, the Hon'ble member indirectly comes into the picture. If the issue goes to the Committee of Privileges, he might be required to explain his position.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Do you mean to say that what he can say before the Committee on Privileges, he cannot say before the House ?

श्री अध्यक्ष : This is not the stage on which we may have a long debate. इस स्टेज पर लम्बी बहस नहीं हो सकती ।

श्री अर्जुनदास : I am raising a Point of Order, Sir, under rule 158. Rule 158 cleary says, "A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document." As I find from the copy of the notice, the Hon'ble Member definitely said that he proposed to raise the motion on 21st September, 1961. He has not said 'any date convenient to the House,' but he has specifically said 21st September, 1961. Now that 21st September is gone, it naturally means that he should give another notice. As he has specifically mentione 21st September, 1961, it cannot be taken up today.

Secondly, our rules say that the question of privilege should be about a matter of recent occurence. I have also gone through May's Parliamentary Practice and at page 365 it reads,......

श्री श्रीभानसिंह Why not look to rule 159 ?

श्री अध्यक्ष : Even our rules say so.

श्री अर्जुनदास : So it should be about a matter of recent occurence. This publication is not of recent occurence. It is of April, 1961. If the Hon'ble Member had felt aggrieved about it, he ought to have sent

(श्री अर्जुनदास)

a notice during the recess even. Good number of days have elapsed since 27th April, 1961. I am reading page 365 of May's Parliamentary Practice:

"A matter which occured during the recess was refused precedence as a matter of privilege because it was not raised on the first day of the session"

This is May's Parliamentary Practice, 15th Edition, page 365. This is the Bible for whole parliamentary system and it says that the privilege issue should not be allowed if it does not come on the first day of the Session.

Secondly, his motion is not clear as to against whom he wants to move this motion.

Therefore, it should not be allowed.

श्री श्रीभानसिंह : It should be allowed. We shall see to it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I take objection to this, Sir, He shall see to it. Does he mean that he will influence the opinion of the Privileges Committee ?

श्री श्रीभानसिंह : I am not a Member of the Privileges Committee, for your information.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: Then it is all the more objectionable. Not being a Member, you will influence the Committee.

श्री श्रीभानसिंह : I say I don't bother about your objections.

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में बातें कहीं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि विशेषाधिकार के फैक्ट्स से सम्बन्धित हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके विषय में कुछ कानूनी आपत्ति उठाई गई है।

मेरे ध्यान में इस स्टेज पर इन सारी बातों पर जाना उचित नहीं है। लेकिन यह बात है कि जो स्पेशल केस हमारे सामने है यही प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो यह था कि इस तरह की बात अखबारों में छपी, इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिये यह उचित ही है कि विशेषाधिकार समिति इस पर विचार करे और सदन के सामने अपना प्रतिवेदन दे। यह एक ऐसा मामला है जो फिर भी आ सकता है। इसलिये इसके बारे में कमेटी कानून आदि देख कर सदन में अपना प्रतिवेदन दे। यह फ्युचर गाइडेन्स के लिये भी लाभदायक हो सकता है कि अमुक चीज़ पर्मिसिबल है या नहीं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष के लिये नहीं है, यह प्राइमाफेसी केस है जिसका विशेषाधिकार समिति के पास जाकर कानून के अनुसार इन्वेस्टीगेशन होगा और इन्क्वायरी के दौरान में ये सारी बातें जो माननीय सदस्यों ने उठाई हैं उन पर भी विचार करें और जो भी विचार हों उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसलिये इस स्टेज पर यह बात रहती है।

इस पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य यह

(श्री अध्यक्ष)

चाहते हों कि सदन लीव ग्रन्ट करें वे कृपया खड़े हो जावें।

(१० से अधिक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : चूंकि १० सदस्यों से ज्यादा माननीय सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये लीव ग्रान्ट की जाती है।

(विराम)

Call Attention Notce. Shri Ram Karan Singh

जयपुर जिले के अध्यापकों के वेतन बकाया होने सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की धारा १३१ के अन्तर्गत जयपुर जिले के अध्यापकों का जो वेतन बकाया है उससे उत्पन्न परिस्थिति की ओर मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले के जिन अध्यापकों के वेतन बकाया हैं उस सिलसिले में कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कॉल एटेन्शन नोटिस दिया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि शिक्षा विभाग के जयपुर जिले के टीचर्स की तनख्वाह, उनके टी० ए०, डी० ए० का हिसाब काफी पुराना है और इस कारण उसका पेमेन्ट अभी नहीं हुआ है। जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, शिक्षा विभाग यह चाहता है कि उनका पेमेन्ट जल्दी हो जावे और इसके लिये वह प्रयत्नशील है और उनके समय समय पर बिल ले जाकर ए० जी० के दफ्तर में भेजते हैं। लेकिन हर समय एतराज होकर आये हैं और एतराजों का जवाब भेजने के लिये समय लगेगा। जिन कारणों से बिल पेन्डिंग हैं वे ऐसे हैं जिनकी पूर्ति करने में समय लगना संभव है। कुछ कारण ऐसे हैं जो आपको बताता हूँ :

(१) बिल में जगह जगह पर काटा–पीटा एवं ओवर राइटिंग होना।

(२) खाना पूर्ति व जोड़ सही नहीं होना।

(३) बिल पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व अध्यापक द्वारा अपने हस्ताक्षरों सहित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होना।

(४) नॉन पेमेन्ट सर्टिफिकेट एवं इनडेमनिटी बोन्ड १) रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अध्यापक द्वारा संलग्न नहीं किया जाना।

(५) बिल देर से प्रस्तुत करने का विस्तृत कारण नहीं लिखा जाना।

(६) टाइम–बार्ड बिल प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिये, इस त्रुटि का प्रधानाध्यापक द्वारा ध्यान नहीं रखना।

(७) बिल में कॉलम २ में नाम, पद, विद्यालय का नाम, जिला, अवधि जिसका

Page No.44

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बिल है अध्यापकों द्वारा बहुधा अंकित नहीं किया जाना।

(८) केल्कुलेटिंग स्टेटमेंट का अभाव होना।

(६) पृष्ठ पत्र पर सब–ट्रेजरी का नाम नहीं होना, जहां से भुगतान प्राप्त किया जाता है।

इस तरह से इसके २५ या ३० कारण हैं। मेरे ख्याल से सब कारणों को पढ़ कर अगर आप कहें तो सुना दूं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग ने ए०जी० के पास बिल भेज कर उनको पास कराने की काफी कोशिश की है। ए० जी० ने यह लिखा है कि अगर गवर्नमेंट यह डिसिजन ले ले कि बगैर फर्दर इन्वेस्टीगेशन के इन बिलों को पास कर दिया जावे और रुपया दे दिया जावे तो दिया जा सकता है। कई ऐसे बिल हैं जो फट गये हैं, कई ऐसे हैं जिनमें कई दूसरी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये जो ए० जी० ने लिखा है इस पर सरकार विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में बहुत कोन है और उनके पेमेन्ट का हर संभव प्रयत्न कर रहा है। सरकार ए० जी० ने जो लिखा है उस पर जल्दी निर्णय लेने के लिये विचार कर रही है।

श्री रामकरणसिंह : जब यह निर्णय ले लिया गया कि उनको एडवान्स दे दिया जावे तो यह कितने दिनों में दे दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि एडवान्स दे दिया जावे। आपने मेरे उत्तर को समझा ही नहीं।

I have said that the Government is considering the suggestion of the A. G. that the Government should take a decision about payment of this amount to the teachers without further investigation. There is a certain rule in the Service Rules that if the Government takes a decision that payment should be made without further investigation, then the objections of A. G. will be overruled.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कुल टीचर्स की रकम कितनी बकाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से कुल रकम करीब ३ लाख रुपया है : करीब ३ लाख रुपया, nearly 3 Lacs.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पहले सारी लाएबिलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की थी, अब पंचायत समिति में काम कर रहे हैं, सरकार सारी लाएबिलिटीज ले चुकी है। उनको पे नहीं कर रहे हैं तो सरकार को चाहिये कि उनको पेमेंट करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : वे लोग पंचायत समिति में काम कर रहे हैं और सरकार लाए-बिलिटी ले चुकी है तो उन्हें पेमेंट कराना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप सूचना दे रही हैं, इसकी जानकारी के लिये नोटिस चाहिये।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : मन्त्री महोदय यहां ए० जी० का नाम ले रहे हैं। ए० जी० का ऐसा पवित्र डिपार्टमेंट है कि वहां कभी ऐसे मामलों में अड़चन वह नहीं डालता। गरीब टीचर्स का ३ लाख रुपया शिक्षा विभाग की वजह से रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिजनेस।

माननीय उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, अभी मैंने एक अविश्वास का प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध पेश किया था। मैं जानना चाहूँगा कि उस प्रस्ताव को किस समय और कब ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : इसकी आपको सूचना दे दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : कब ?

श्री अध्यक्ष : आज ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में जो फोर्टीन डेज़ का रूल है उसको सस्पेन्ड कर दिया जाय और जो नो कान्फिडेन्स का रेजोल्युशन है उसको आज ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विचार करते समय मैं, माननीय सदस्य ने जो कहा है उस पर भी विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आज लेने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष, कि उसे अभी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने काफी देरी से दिया है, उसको ठीक तरह से देख नहीं पा सका हूं। मैंने जैसा कि कहा इसका निर्णय आज ही जितना जल्दी हो सकेगा ले लिया जायेगा।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : टीचर्स के बारे में मैं एक जानकारी चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : काफी जानकारी दे दी गई है।

श्री रामकरणसिंह : माननीय अध्यक्ष,..

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please!! Legislative Business.

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(अग्रेतर विचार विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, १९६१ पर कल से विचार किया जा रहा है। विचार करते समय कई इस प्रकार के मुद्दे उठाये गये थे जिन मुद्दों पर यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की जायेगी। इन

(श्री भैरोंसिंह)

सारे बिल के द्वारा सरकार ने व्यवस्था की है कि जिस प्रकार आज एक आम धारणा है, सरकार के सामने कई बार इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन किये जाते हैं कि सेल्स टैक्स या अन्य टैक्सेशन के सम्बन्ध में सरकार कुछ ऐसा कानून बनाये कि टैक्स का पेमेंट सरल हो जाय और ऐसे कानून के द्वारा यदि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसको दूर करने की चेष्टा की जाय। तो इस बिल का एक आशय तो यह है सरलीकरण और दूसरा आशय यह है कि टैक्स के इवेजन को रोकने के लिये क्या कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है और किनको इसके लिये जिम्मेवार ठहराया जा सकेगा। तो जहां तक इस बिल के इन दो आशयों का–एक तो सरलीकरण और दूसरा टैक्स के इवेजन को रोकना इन दो का–सवाल आता है, इसका मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य विरोध नहीं कर सकते। पर इन दोनों आशयों की आड़ में इस कानून को स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लीकेटेड बनाया गया है। जिस कानून से हम सरलीकरण की बात लाना चाहते हैं इससे वह सरलीकरण नहीं होगा, काफी दुविधाएं इससे हमारे सामने आयेंगी।

जैसा कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने सारे टैक्सेज़ के इवेजन के बारे में विदेशी सलाहकार कारडो की सलाह ली तो उन्होंने सारे टैक्सेज की जांच के बाद इस प्रकार के आंकड़े बताये कि भारत में करीब ढाई सौ करोड़ का टैक्स इवेजन होता है। उन्होंने टैक्स इवेजन को रोकने के कुछ रास्ते भी सुझाये थे। इसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया गया। उस कमीशन ने जांच की और उस कमीशन ने भी इस राय से इत्तफाक किया कि भारतवर्ष में ढाई सौ से तीन सौ करोड़ रुपये का टैक्स इवेजन होता है। उस कमीशन ने भी कुछ मार्ग सुझाये। इसके बाद श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति बनाई और इस समिति ने भी २५० से ३०० करोड़ का टैक्स इवेजन होता है इस बात की ताईद करते हुए कुछ रास्ते सुझाये कि सरल कानून हो और टैक्सेज को अलग अलग जगह से हटा कर एक ही जगह पर निश्चित कर दिया जाय तो अधिक सुविधा होगी। इसके कारण परचेजर, कन्ज्यूमर और जो बेचता है उसको किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी। उन्होंने जो व्यवस्था दी उसके अनुसार सरकार के सामने सुझाव रखा था कि टैक्सेज का जो ढांचा है ऐसा है कि खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ता है। वह आगे किसी दूसरे को बेचता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। और इस तरह यह ढांचा नीचे तक जाता है। इससे व्यापारी और कन्ज्युमर परेशान होते हैं और इस परेशानी से बचने के लिये लोग टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं। जब तक हम टैक्सेज़ के कानून का सरलीकरण नहीं करेंगे तब तक टैक्स इवेजन नहीं रुक सकता।

कपड़े पर टैक्स के कारण व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कपड़े के व्यापारियों ने भारत सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया और जहां तक मुझे याद है लोकसभा में और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में मांग की गई और भारत में एक राय बनाई गई कि अलग अलग

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

स्टेट्स में टैक्स नहीं लगाना चाहिये, एक्साइज ड्यूटी के नाम से भारत सरकार जो वसूल कर सके वही वसूल करना चाहिये और उस स्टेट का उतना उतना हिस्सा इस टैक्स में रख देना चाहिये। कपड़े से सेल्स टैक्स को हटा कर उस व्यवस्था से सरलीकरण किया। आज मैं नहीं समझता, अध्यक्ष महोदय, कि जब भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटा लिया फिर आज राजस्थान सरकार कपड़े के व्यापारियों को परेशान करने के लिये क्यों तैयार है? बारदाना और दूसरी चीजें होती हैं उन पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स नहीं। सब्जी पर टैक्स नहीं पर सब्जी के लिये दो आने का छबड़ा खरीद कर ले जाय तो उसके लिये टैक्स देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि बारदाने का कुल कितना टैक्स आता है, इसके कारण व्यापारियों को कितना परेशान होना पड़ता है? यहां पर आपने व्यापारी के लिये व्यवस्था की है कि वह जिस प्रकार के तरीके से देना चाहे टैक्स दे सकता है पर आपने लिखा है कि जितनी रिसीव्ड और रिसिवेबल कीमत होगी उसका १ प्रतिशत आप टैक्स लेंगे। जो दूकानदारों के सामने अकाउन्ट्स को मेन्टेन करने की परेशानी आती है उसको देख कर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सैल्स टैक्स हटा दिया जाय वही राजस्थान सरकार फिर लगाने जारही है। १ पर्सेन्ट बारदाने का टैक्स होगा। उसका मतलब यह होगा कि कपड़ा बिकता है, बिकने वाला है उसके अकाउन्ट्स मेन्टेन करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। इन्सपेक्टर उनकी दूकानों पर आयेंगे। किसी तरह की अवांछनीय कार्यवाहियां करेंगे; यह मैं नहीं कहना चाहता, पर यह आवश्यक है कि जहां कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटा दिया है वहां बारदाने के टैक्स को भी छोड़ दें। बारदाने के टैक्स से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। इसको छोड़ देने से सरकार को कोई घाटा नहीं हो जाता। ऐसी बात नहीं कि इसके छोड़ देने से सरकार के सामने दिवाले का सवाल आ जायेगा। प्रश्न दिवाले का नहीं, घाटे का नहीं व्यापारियों की परेशानी को दूर करने का है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का टैक्स बारदाने पर नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। जैसा कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा गंगानगर के व्यापारियों ने सेल्स टैक्स आॅफिसर से निवेदन किया है कि बारदाना पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये क्योंकि इससे कपड़े के व्यापारियोंको परेशानी होती है। इस कानून के अनुसार तीन, चार या पांच रुपया टैक्स बारदाने पर व्यापारी को देना पड़ेगा पर इसके लिये अकाउन्ट्स मेन्टेन करने के लिये मैट्रिक्युलेट या इन्टरमीजियेट को १००) रु० तनख्वाह देनी पड़ेगी और आपको केवल ३) रुपया मिलेगा।

(१ म० प०)

आपको तीन रुपया मिलेगा और व्यापारी को सौ रुपया लगेगा। इसलिए व्यापारी के हित की दृष्टि से, उसको परेशानी से बचाने की दृष्टि से बारदाने पर टैक्स समाप्त कर देना चाहिये। मैं समझता हूं माननीय मन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे और

(श्री भैरोंसिंह)

व्यापारियों के हित की दृष्टि से, उनको परेशानी से बचाने की दृष्टि से और सरलीकरण की दृष्टि से इसको हटाने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरा, इसमें है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार रजिस्टर्ड डीलर्स से ५ हजार की सिक्योरिटी लेगी। कौनसी ?........

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्रीजी बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं जिससे मुझे डिस्टरबेंन्स हो रहा है........

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि कानून को जो कड़ा करने की कोशिश की है उससे पांच हजार की सिक्योरिटी की व्यवस्था करने से यह कड़ा हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है। सवाल हमारे सामने टैक्स के इवेजन का है। कोई डीलर पांच हजार की सिक्योरिटी जमा करा देने से ही टैक्स इवेड नहीं करेगा, यह बात नहीं है। यदि कोई डीलर टैक्स लेकर चला जाता है, इवेड करता है, पैमेन्ट नहीं करता है तो उसके अनुसार सिक्योरिटी लेने की बात तो समझ में आ सकती है। मान लीजिये कि मैं एक दूकानदार हूं। I am a license holder. मैंने पांच हजार की सिक्योरिटी जमा करा दी और यदि मैं टैक्स का इवेजन करता हूं तो यह कहां बाइन्डिंग है कि उससे मेरी पांच हजार की सिक्योरिटी पर असर होगा ? पांच हजार की सिक्योरिटी उसके लिए नहीं है।

सरकार की यदि मंशा यह है कि सरकार लाइन्सेस होल्डर की जमानत लेना चाहती है और सरकार यह भी मान ले कि टैक्स इवेजन में लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार टैक्स का इवेजन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी की रकम भी जब्त हो जायेगी। लेकिन जो पीनल कोड है उसमें टैक्स इवेजन करने के सम्बन्ध में प्रोविजन दिया हुआ है, सजा देने का प्रोविज़न दिया हुआ है। यदि इसको पीनल कोड़ में जोड़ कर लाते कि कोई टैक्स का इवेजन करेगा तो उसको १ वर्ष की सजा के बजाय छः वर्ष की सजा दी जावेगी तो कोई बात होती। कोई पांच हजार के जुर्माने की बात कहते। पीनल कोड में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है और लाइसेन्स के नाम पर टैक्स प्रोपरली पे करें उनसे भी पांच हजार की सिक्योरिटी लिया जाना कहां तक उचित होगा ? तो इससे व्यापारी के सामने यह परिस्थिति आ सकती है कि व्यापार पर बड़ा भारी असर पड़ सकता है। इससे व्यापारी का हित नहीं होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर टैक्स इवेजन का प्रश्न है तो सरकार को पीनल कोड़ में सख्त से सख्त सजा रखनी चाहिए। आपने क्लॉज़ ३ में शब्द यूज़ किये हैं :

"Who has been registered or applied for registration under sub-section (1) or sub-section (2) security not exceeding Rs. 5,000/-" इसमें लिखा है, "The assessing authority may..." इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति से तो असेसिंग ऑथोरिटी लेगा और किसी से नहीं लेगा और नियम बना दें कि सबसे ली जावेगी। इसको जनरली एप्लाई करेंगे तो

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

कठिनाइयां पैदा होंगी। असेसिंग ऑथोरिटी के डिस्क्रेशन पर छोड़ेंगे तो असेसिंग ऑथोरिटी बोनाफाइडी रखेंगे और मेलाफाइडी इन्टेन्शन उनका नहीं होगा; यह मैं नहीं मान सकता। इसलिए यह व्यापार के हित की दृष्टि से, व्यापारियों की दृष्टि से उचित नहीं है। असेसिंग ऑथरिटी के हाथों में इसको छोड़ना उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप कानून को सख्त बनाना चाहते हैं तो पीनल कोड में प्रावधान ले लीजिये। जो प्रावधान यहां सिक्योरिटी के लिए रखा गया है वह उचित नहीं है। इससे छोटे मोटे व्यापारियों के इन्ट्रेस्ट क्लेश हो सकते हैं।

जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उनके अनुरूप आप इसका संशोधन करना चाहेंगे तो इसका समर्थन करेंगे; अन्यथा आप इसको चाहे अपने बहुमत के बल पर पास करें, यह व्यापारियों के व्यापार के हित की दृष्टि से भी उचित नहीं है। भारत सरकार ने और अन्य राज्य सरकारों ने व्यापारियों की मांग के अनुसार घोषणा की है उसके भी यह अनुरूप नहीं; किन्तु विपरीत है। इसलिए व्यापारियों का हित हो, टैक्स का इवेजन न हो, कानून का सरलीकरण हो; इन तीनों दृष्टिकोणों से कानून में प्रावधान हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, कल भी राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल पर विचार हुआ और आज भी श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार इस पर रखे। उन्होंने यह बताया कि टेक्सेज को सरल करने के लिए और व्यापारियों के फायदे के लिए अगर कोई कानून में तरमीम चाही जाय तो सब उसका स्वागत करते हैं और अगर पेनेलाइज़ करने के लिए, तंग करने के लिए टैक्स में अमेंडमेंट किया जाय तो उनको यह मान्य नहीं होगा।

इस अमेंडमेंट के जरिये चार बातें आपके सामने रखी हैं। पहली यह है कि जहां पर जिन जिन्स पर अनकन्डीशनल एग्जेम्शन है टैक्स का वहां पर जो बारदाना है उस पर आज भी टेक्स लगता है लेकिन उस टैक्स के देने के लिए व्यापारियों को हिसाब रखना पड़ता है और हिसाब पेश करने पर टैक्स वसूल किया जाता है। उसको सरल करने के लिए ही यह सहूलियत दी है कि अगर कोई हिसाब नहीं रखे तो कन्टेनर या बारदाना की जिन्स भेजते हैं; जैसे मान लीजिये कि एक लाख का कपड़ा बिकता है तो १ पर्सेन्ट टैक्सेबल डिलीवरी होगी। एक लाख पर एक हजार हुआ। २ पर्सेन्ट हुआ तो २,०००) और पांच पर्सेन्ट पर ५,०००) रुपया। आप कहते हैं कि पांच रुपया बनेगा टैक्स का और हिसाब रखने के लिये व्यापारी को एक आदमी रखना पड़ेगा सौ रुपये का। उसको इससे बचाने के लिए ही, हम समझते हैं कि उसको आदमी न रखना पड़े और जो सामान बिके उसका १ पर्सेन्ट हो........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : वह तो रखना पड़ेगा।

Page No.50

श्री रामचन्द्र चौधरी : सामान बेचता है उसका हिसाब रखेगा ही। जो पेकिंग मेटिरियल, कन्टेनर ने बेचा है उसका हिसाब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Clarification, Sir. उससे हिसाब मांगे तो एक रुपया होता है लेकिन हिसाब मेन्टेन करने की जरूरत पड़ेगी। कपड़े का हिसाब लगाना होगा, सारा हिसाब मेन्टेन करना पड़ेगा। यह सारी डिफिकल्टी है।

श्री रामन्द्र चौधरी : जो पेकिंग मेटिरियल और कन्टेनर आदि हैं उनको आज बेचते हैं तो हिसाब रखना पड़ता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। उसकी (व्यापारी की) सहूलियत के लिए यह कर दिया है कि जो चीज़ वह मंगाता है तो उसका १ पर्सेन्ट टैक्सेबल टर्न ओवर मान लेंगे। उसके लिए सहूलियतें दे रखी हैं; जैसे एक लाख का सामान मंगाया, १० पर्सेन्ट मुनाफा मान कर उस सारे को एक लाख, १० हजार का मान लेंगे। जो भी टैक्स लगता है वह दे दीजिये। इसको सिम्पलीफाई करने के लिए यह तरमीम की गई है जो कि व्यापारियों के हित में है।

दूसरा, सिक्योरिटी के बारे में आपने कहा है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो कोई व्यापारी वालेन्टियेरी रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेता है उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फायदा मिलता है। उसको एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट मिलता है। बाहर किसी स्टेट से सामान मँगाता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं तो यहां का जो टैक्स है उसकी रेट सेवन पर्सेन्ट है वह देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड डीलर है अपने यहां का तो एक पर्सेन्ट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स दे करके ऐसा सामान मंगाने का हक उसको इसमें पैदा हो जाता है। इससे फायदा हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सेन्ट्रल एक्ट के अनुसार भी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मान लीजिये कोई दूकानदार बाहर से आया और उसको गवर्नमेंट को माल सप्लाई करना है। उसने कॉन्ट्रक्ट दिया और वह सप्लाई करके चला गया। अगर उसके लिये कॉन्ट्रेक्ट नहीं मिलता है तो वह माल डिस्पोज ऑफ करके चला गया। उसको राजस्थान में माल बेचने पर फायदा तो मिल गया। इस तरह से वह छः महीने व्यापार करके चल दिया। कहां चल दिया ? यह पता नहीं, तो उससे हम क्या ले सकते हैं ? इसलिये जरूरी नहीं कि हम सब आदमियों से सिक्योरिटी लें। यह असेसिंग ऑथोरिटी के डिस्क्रीशन पर रखा गया है कि वह चाहे जिसकी सिक्योरिटी ले और उसको विश्वास हो जाय कि यह यहां से चला जायेगा तो सिक्योरिटी ले लेगी। ऐसी हालत में अगर कोई छोड़ कर चल देता है तो हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है उससे हम अपने टैक्स का पैसा तो वसूल कर सकते हैं। कानून की दृष्टि से टैक्स का इवेजन जो करना चाहते हैं उसको रोकने के लिये यह रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि यह तो आउट साइडर के लिये लागू होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने निवेदन किया यह तो असेसिंग ऑथेरिटी पर निर्भर करता है। यह ऑब्लिगेटरी रखा है। ऐसी फर्म हो सकती है जिसका हमें मालूम नहीं हो टैक्स को इवेड करके जा सकती है

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उससे सिक्योरिटी जमा कराई जायेगी। it is not compulsory.

तीसरा, जो प्रोविजन किया गया है वह है प्रिन्सीपल और कमीशन एजेन्ट का। अभी तक तो कमीशन एजेन्ट पर लाइबेलिटी रहती थी। जो कोई सामान बेचे या खरीदे तो उस पर जो टैक्स लागू होता था वह लेते थे। बहुत सी सूरतों में प्रिन्सीपल है वह बेचता है। ऐसी हालत में दोनों पर लाइबेलिटी डालने के लिये जोइन्टली, सेपरेटली ऐसा करने के लिये दोनों की जिम्मेदारी ठहराई गई। यह इसलिये कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वह किसी भी सूरत में वसूल होने के काबिल न रहे इसलिये किया गया है।

चौथा अमेंडमेंट जो किया गया है वह अपील के प्रोविजन के लिये है। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : बारदाने पर टैक्स लगने के फलस्वरूप कितनी आमदनी राजस्थान सरकार को होती है, वह आप बता सकते हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके फीगर्स मेरे पास नहीं हैं। यह तो टैक्स पहले से ही लग रहा है, यह कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। यह तो सहूलियत देने के लिये प्रोविजन किया गया है। व्यापारी फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं और जो नहीं उठाना चाहते वह पहली तरह से हिसाब रख सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : बारदाने पर जो टैक्स ले रहे हैं आज वह किस पोइन्ट पर ले रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज जो टैक्स लग रहा है वह बराबर लगता रहेगा जो इस तरह से देना चाहें देते रहें। इस बारदाने के हिसाब को अलग न रख कर सामान जो है उस कीमत पर देना चाहें दे सकते हैं; यह ऑप्शन दिया गया है। पेनेल्टी नहीं, यह अलग से सहूलियत प्रदान की गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : बारदाना घर में पैदा नहीं होता, बाहर से आता है। जहां फ़र्स्ट पोइन्ट पर टैक्स लग जाता है वह जितनी दफा एक जगह से दूसरी जगह जायेगा वहां टैक्स देना पड़ता है। एक दफा देने के बाद दूसरी दफा टैक्स नहीं लिया जा सकता।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कल भी आपने यह प्रश्न उठाया था। मैं आप से निवेदन कर दूं एक ही पोइन्ट पर लिया जायेगा। जिस बारदाने पर टैक्स वसूल हो जायेगा उसके सामने यह लिख दिया जायेगा Tax Paid. एक पोइन्ट पर अब भी है। इसलिये निवेदन कर रहा हूँ कि जो तीन, चार अमेंडमेंट आये हैं वे सब व्यापारियों के हित को सामने रख कर किये गये हैं, उनको ज्यादा सहूलियतें देने के लिये किये गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जिस तरह से आया है उसी तरह से पास करने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक दफा Paid है इसलिये नहीं लगाते हैं। मगर जो बिल लिखा हुआ होता है उसको असेसिंग ऑथेरिटी वापिस लेती है, लास्ट पोइन्ट पर कर दिया है। इसके अलावा आपने जो सिक्योरिटी रखी है वह

(श्री लक्ष्मीचन्द)

केश में होगी या काइन्ड में, यह आपको प्रोविजन करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बारदाना पर जो टैक्स लिया जाता है वह फर्स्ट पोइन्ट लेते हैं। उसके बाद नहीं लिया जाता, फिर कभी वसूल नहीं होता।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस एक्ट से लास्ट पोइन्ट पर हो गया है। एक कानून के अन्दर जहां फर्स्ट पोइन्ट पर है वहां इस हिसाब से लास्ट पोइन्ट पर है। असेसिंग ऑथेरिटी फर्स्ट पोइन्ट पर भी कर सकती है और लास्ट पोइन्ट पर भी कर सकती है। आप इसको क्लीयर करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे कपड़ा बाहर से आया, जैसे पेकिंग बारदाने की आया उसमें कितना कपड़ा कितनी कीमत का है, उसके हिसाब से उसका एक पर्सेन्ट टैक्सेबल टर्न ओवर होता है। वह टैक्स जो दे देते हैं फिर कभी उस पर टैक्स नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष (श्री लक्ष्मीचन्द से) : आप प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं या सदन के सम्मुख रखना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मैं वापिस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर संशोधन विधेयक, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

क्लॉज २

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में जो स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की उससे अभी तक मुझे किसी प्रकार से सन्तोष नहीं हो पाया, इस कारण दुबारा इस बात की चेष्टा करूंगा। माननीय मंत्री महोदय अगर इस मसले पर पुनर्विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने अभी फर्माया कि बारदाने पर फर्स्ट पोइन्ट पर टैक्स होगा। यदि इस बात को स्वीकार भी कर लिया जाय तो इसमें एक दिक्कत पैदा होगी। दिक्कत इस तरह से पैदा होती है: सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन इश्यु हुआ। वह नोटिफिकेशन छोटा सा है, वह मैं आपके सम्मुख रखता हूँ :

"In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Sales Tax (Amendment) Act and in supersession of this office letter dated 19th December, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest...."

अब आप जिसी कि बात बता रहे हैं

(श्री भैरोंसिंह)

इसका संकेत इस नोटिफकेशन से निकलता है।

अब यहां पर हम फर्स्ट पोइन्ट पर टैक्स लेने को व्यवस्था कर रहे हैं, पर किस चीज पर ? कपड़े के साथ बारदाना आता है उस पर। कपड़ा अलग से खरीदा और बारदाना अलग से खरीदा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। पर जहां से कपड़ा आता है उसमें पैकिंग चार्जेज, बारदाना के चार्जेज, लोडिंग चार्जेज़ आदि कितने ही इस प्रकार के चार्जेज होते हैं वे सारे उसमें शामिल होते हैं और इस कारण जो कपड़े पर एक्साइज ड्युटी देते हैं उसमें सब प्रकार का कन्सीडरेशन होता है। जब यह कन्सीडरेशन होता है तो इस प्रकार की पोजीशन नहीं रहती कि बारदाना को अलग करके उस पर सेल टैक्स आप अलग से लगावें।

मैं पूछना चाहूँगा कि यह मसला केवल इस राज्य सरकार के ही सामने नहीं था, पर अन्य राज्य सरकारों के सामने भी पेश किया गया था। उसमें मुझे जहां तक सूचना मिली है, बारदाने पर किसी अन्य स्टेट ने टैक्स नहीं लगाया। कोई स्टेट बारदाने पर टैक्स लगाना नहीं चाहती। हमारी राज्य सरकार लगाना चाहती है।

अब जैसे आपने बताया कि हमने व्यापारी के ऑप्शन पर छोड़ा है कि बारदाना को अलग इसमें मेन्टेन नहीं करे या अलग हिसाब मेन्टेन करे। पर अभी तक की जैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार बारदाना कितना आया है, इसका असेस्मेन्ट बारदाने के हिसाब से नही होता था। कितना कपड़ा किसने लिया है, उस कपड़े पर असेसमेन्ट होता था या उसमें कितना बारदाना लग सकता है उस बेसिस पर असेसमेन्ट होता था कि किस टर्न ओवर पर बारदाने का टैक्स वसूल करना है ? उनको ऐसी स्थिति में अकाउन्ट मेन्टेन करना पड़ता था और स्टेटमेन्ट देते थे तो सेल्स टैक्स में इन्क्रोच और इजेक्टमेन्ट होता था तो इससे बचने के लिये तुरन्त सरकार ने सेल्स टैक्स को हटाया। वह इन्क्रोचमेन्ट और अपीचमेन्ट व्यापारी के हिसाब में होता है तो कठिनाई तो यह रही। तो आखिर इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आपके यहां ये रूल्स हैं कि लाइसेन्स ऑब्टेन कर लिया तो उन रूल्स के अनुसार हिसाब मेन्टेन करना पड़ेगा। हिसाब मेन्टेन करने का आपने तरीका बना रखा है कि जो कुछ सामान उस तरह से आवे तो हिसाब इस तरह से रखो और उसका स्टेटमेन्ट भी देना पड़ता है। स्टेटमेन्ट का वेरीफिकेशन होता है और वेरीफिकेशन के लिये उनकी हिसाब-किताब की किताबें मांगी जाती हैं और इस तरह से व्यापारी पर इन्क्रोचमेन्ट रहता है। तो उसे जिस दिक्कत से हम निकालना चाहते हैं वह दिक्कत निकलती नहीं।

अब आप यह कहें कि बारदाने पर टैक्स लगे। कपड़े के टैक्स से तो छूट दे दी। पर चूंकि कपड़े के साथ बारदाना आता है इसलिये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यह भी आप साथ ही कहेंगे। अगर बारदाने को आप एक्सक्लूड करेंगे तो कपड़े का व्यापारी राजस्थान की किसी सरकारी ऑथेरिटी के सामने नहीं जावेगा। किसी प्रकार का स्टेटमेंट और लाइसेन्स देने और प्राप्त करने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। आप ओरि-

(श्री भैरोंसिंह)

जिनेली चाहते तो यही थे कि यह दिक्कत उस कपड़ा व्यापारी की दूर हो; उसे असेसिंग आँथेरिटी के सामने नहीं जाना पड़े, उसे लाइसेन्स लेने की दिक्कत से दूर रहना पड़े, स्टेटमेंट भरने की इल्लत से छूटना पड़े ! तो ये दिक्कतें थीं चाहे कोई हजार रुपये का टैक्स भरने वाला था तो और कोई एक रुपया टैक्स भरने वाला था तो । अगर टैक्स उसे देना है तो हिसाब उसे मेन्टेन करना पड़ेगा । तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी स्थितियों में आप रजिस्ट्रेशन से, असेसमेंट से अकाउन्ट मेन्टेन करने से बचाना चाहते हैं तो बारदाने को छोड़ना होगा ! आप मान लीजिये इससे आपको हजार रुपया मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा । हजार रुपये के अपने इन्टरेस्ट के लिये सरकार अगर व्यापारियों के इन्टरेस्ट को अधिक समझती है और उनको हैरान नहीं करना चाहती तो इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो टैक्स लगाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं यह उनके कामों में रोड़े अटकाने वाली होगी, व्यापारियों को हैरेस और तंग करने की कोशिश होगी ।

यदि क्लॉज़ को अमेंड कर दिया जाता है तो अच्छा है, नहीं तो यह ऑप्शन दिया जाता है यह बैटर पोज़ीशन है । क्लॉज़ का इस हालत में मैं इन–टोटो विरोध नहीं करता। इसमें भी यदि ऐसी व्यवस्था हो कि बारदाने के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगे, उसके लिये किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं हो तो इन सब चीजों से बचने के लिये बारदाने के टैक्स को आप हटा दीजिये । बाकी किसी चीज पर कर नहीं लगता । इस पर आप लगावेंगे तो आपको आमदनी तो कोई अधिक होंगे नहीं, उल्टे व्यापारी परेशान अधिक होगा । इस परेशानी की दृष्टि से कुछ हजार रुपयों का लाभ अगर सरकार को होता हो तो इसे ड्रॉप कर देना चाहिये और जाहिर कर देना चाहिये कि बारदाने पर टैक्स नहीं लगेगा ।

मैं इसके सपोर्ट में आपका दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ देता हूँ, उससे पोज़ीशन क्लीयर हो जावेगी :

"With reference to your letter dated 8th August 59, on the above subject I am directed to infrom you that......"

व्यापार मण्डल के सेक्रेटरी को आपने लिखा है यह पत्र :

"renewal of registration certificate is not necessary in case of such dealers..."

मतलब यह है कि कपड़े का कोई भी काम करता हो, चाहे हजारों का करता हो या लाखों का करता हो, उसे लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है ।

"But those who are dealing with the taxable articles have to obtain necessary instructions......"

आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि लाखों रुपये का व्यापार करने पर भी कपड़े के व्यापारी को अकाउन्ट मेन्टेन करने की जरूरत नहीं आपके टैक्स लगाने की दृष्टि

(श्री भैरोंसिंह)

से। पर लाखों रुपये के कपड़े के साथ में अगर पांच रुपये का भी बारदाना आ गया तो उसे हिसाब रखना जरूरी होगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। स्टेटमेंट देना जरूरी होगा, असेसमेंट कराना और सारी इल्लतों में से निकलना जरूरी होगा। सरकार उसके सारे हिसाब में दखलन्दाज़ी कर सकेगी। तो इस स्थिति में व्यापारी के लिये कठिनाई पैदा होगी, जिसे दूर करने के लिये बारदाने पर से आपको टैक्स हटा देना चाहिये। इससे सरकार को भी अधिक लाभ नहीं होगा और इसे हटाने मात्र से सहूलियत व्यापारी को होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ और इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्लॉज़ के लागू करने से यह नहीं मानना चाहिये कि सभी बड़े व्यापारी हैं और राजस्थान से बाहर से माल आने वाला है। एक बालोतरा जैसे स्थान का व्यापारी है और वह कपड़े की गांठ में ही कपड़ा बान्ध कर ला रहा है, बारदाने में नहीं ला रहा है तो भी आपकी असेसिंग ऑथरिटी यही कहेगी कि इतना बारदाना इसमें लगाना चाहिये और भले ही फिर उसने बारदाना न लगाया हो पर तब भी वह टैक्स ले लेगा। तो इससे यह समस्या भी खड़ी हो जावेगी।

दूसरी समस्या यह है कि एक धान बेचता है। अभी टैक्स फ्री है वह। वह धान खरीद लेता है और भाव भाव में ही बेच देता है बिना बारदाना लगाये और चूंकि उसने दस हजार का धान बेचा है आप असेस कर लेंगे कि चूंकि इतना धान बेचा है तो बारदाने के अन्दर ही बेचा होगा, इतना बारदाना लगा होगा, इतना टैक्स दो। इस तरह से आप हरेक छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक सब को चक्कर में डाल देंगे। एक लाख रुपये का माल है कपड़े का। दो रुपये के बारदाने में बन्ध जाता है, और सौ रुपये का माल है धान या अनाज आदि का वह दो रुपये के बारदाने में बन्ध जाता है। फिर असेस करते वक्त असेसिंग ऑथेरिटी के हाथ में तंग करने का यह साधन बहुत बड़ा होगा। फिर एक तरफ तो आपने यह मान लिया है कि फर्स्ट पोइन्ट पर लिया जाय। जहां से बारदाना पैदा होता है वहां उस पर अगर एक बार टैक्स लग चुका तो फिर क्या आप दुबारा बार बार लेना चाहते हैं ? तो आप एक पॉलिसी रखें। इसलिये बारदाने पर इस तरह की परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसमें धारा २ में बारदाने पर सेल्स टैक्स लगाने का प्रावधान है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ही नहीं, बल्कि भारत भर में जो सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है और जिन चीजों पर लग चुका है आज कई तरीकों से वह वसूल नहीं हो पा रहा है।

यह ठीक है कि हम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और यह भी ठीक है कि विकास कार्य के लिये हमें धन की आवश्यकता है। हम यह भी समझते हैं कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं जिन्हें बहुत महत्वाकांक्षी कह सकते हैं जो पैसे के बिना अधूरी पड़ी हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पैसे प्राप्त करने के ऐसे सोर्सेज़ निर्माण करें, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करें

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जिससे पैसा आने के बजाय पैसा देने वाले लोगों को परेशानियां और बढ़ जायें, बल्कि वह इस पैसे को देने में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उन कठिनाइयां से बचने के लिए और और तरीकों से अपने कुछ कार्य करें। मैं कहना चाहता हूँ कि बारदाना ऐसी चीज है कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा लेकर जाता है, उसको बांधने के लिए बारदाना ले जायेगा और दूसरी चीजें लेकर जाता है, कुछ मेडिशन्स वगैरह को बन्द करके पैकेट में ले जाता है तो धीरे धीरे इतना माल इकट्ठा होता हुआ चला जाता है कि इकट्ठे किए माल को बेचता है जो बारदाना कहलाता है। उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है और इसलिए सेल्स टैक्स के रूप में सरकार कितना कमा पायेगी, यह समझ में नहीं आता। वास्तव में जितना सेल्स टैक्स वसूल होना चाहिए उसकी तरफ ही यदि हम ध्यान देते तो हमारी आमदनी बढ़ सकती थी; बजाय इसके कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे और मुसीबतें पैदा हो जायं। फिर बारदाना ऐसी चीज है जिसको अलग अलग केटेगरी में किस प्रकार से बेचें, उसके लिए हमारे पास आज नियम नहीं हैं। फिर जहां कही बारदाना बनता है तो वहीं पर उसका टैक्स ले लें। फिर जब कभी भी माल बिकता है; हांलाकि बिकता तो है नहीं लेकिन माल के साथ जहां जहां जाता है उसका टैक्स लेना चाहते हैं तो यह अच्छी चीज नहीं है। इस प्रकार के क्लॉज़ रख कर जिस प्रकार छोटे छोटे व्यापारियों को सेल्स टैक्स के मामले में हिसाब-किताब रखने में बहुत परेशानियां हैं और उनको अपने सेल्स टैक्स के मामलों के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। तो यह छोटे छोटे व्यापारी पहले ही सेल्स टैक्स से परेशान हैं क्योंकि फिर यह भी बात है कि उनकी इतनी आमदनी भी नहीं है कि वह कोई हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम रख सकें। लेकिन उन छोटे छोटे व्यापारियों को नियमों की वजह से सारी बातें करनी पड़ती हैं, कई तरह के फार्म्स भरने पड़ते हैं। फिर यह एक नई बात और आ जायेगी कि बारदाना का हिसाब अलग से रखा जाये। मैं कहता हूँ कि यह एक ऐसी चीज रखी जा रही है कि जिससे व्यापारियों को लाभ नहीं मिलेगा; बल्कि मुसीबतें बढ़ेंगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय भी इसकी अहमियत को समझते हैं और कठिनाइयों को भी समझते हैं। मैं यह पूछना चाहूँगा कि कितने ऐसे बारदाने गये वर्ष में बिक चुके हैं, इसकी संख्या पहले हमें मालूम करनी होगी और फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स वसूल करते तो कितनी आमदनी होती; इसको असेस करके चलें तो वह संख्या हजारों के ऊपर भी पहुंचनेवाली नहीं है। फिर इन्क्वायरी कैसे करायेंगे कि कितना बारदाना बेचा है क्योंकि लिखित में कोई ऐसी चीज होगी नहीं। जहां कहीं होता है दूकान करते समय इकट्ठी चीज बिकती है तो वहां हो सकता है। लेकिन जैसा कि पैकेजेज़ के साथ बारदाना जाता है तो कितना बारदाना उसने काट कर लगाया; ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। फिर कितना बारदाना बिका और गया; यह कोई हिसाब नहीं रखता है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि आखिर जब हम इसकी इन्क्वायरी नहीं कर सकते और सिर्फ व्यापारियों की परेशानी के लिए सेल्स टैक्स ऑफिसर जरूर चला जायेगा कि आपके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यहां से इतना बारदाना बिक गया है और आपने सेल्स टैक्स नहीं दिया और आज जैसा कि सब लोग जानते हैं व्यापारी इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए सेल्स टैक्स अधिकारी को बहुत खुश रखता है । सेल्स टैक्स ऑफिसर या इन्कम टैक्स ऑफिसर को दोस्त बना कर रखना पड़ता है । मुझे तो यहां तक याद है कि व्यापारी लोगों के वकील होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब तक सेल्स टैक्स ऑफिसर को दोस्त नहीं बनायें तब तक इस डिपार्टमेंट से आसानी से पीछा नहीं छूट सकता । इन बातों को समझते हुए भी हम आंख मूंद कर चलें तो इससे ज्यादा गलती नहीं हो सकती । मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज को निकाल ही देना चाहिए और मैं इसका इसी आधार पर विरोध करता हूँ ।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो तोन माननीय सदस्यों के द्वारा दलीलें पेश की गई हैं उनका जवाब दे चुका हूँ । मैं यह नहीं मानता कि इतनी छोटी सी बात को वह नहीं समझते । लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आता कि शायद जानबूझ कर एक चीज को अपोज़ करना है तो करते हैं । टैक्स तो ऑलरेडी लगा हुआ है और हम नये टैक्स की कब मांग कर रहे हैं ? अब उस टैक्स को अमेंडमेंट के थ्रू न तो लगाया जा रहा है और न हटाया जा रहा है । इसलिए मैं यह कहूँ कि बारदाना के ऊपर टैक्स लगता है और अनुचित है तो यह तो इस अमेंडमेंट की बहस नहीं है । इसमें सवाल इतना सा है कि जो बारदाना ऐसी चीज पर लगता है जो कि टैक्स से एक्ज़म्पटेड है तो उसको किस तरह से वसूल किया जाये; इसका प्रावधान है । टैक्स तो आज भी लग रहा है और वह वसूल किया जाता है, कीमत वसूल की जाती है उस पर । अब बहुत से व्यापारी यह समझते हैं कि हम बारदाना का हिसाब नहीं रख सकते तो उनको सहूलियत देने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर वह उसका हिसाब नहीं रख सकें तो जितना सामान उनका आया, जैसे मैंने पहले कहा था कि मान लीजिए कि एक लाख का सामान आया तो एक लाख के ऊपर उसका टर्नओवर मान कर १ पर्सेन्ट के हिसाब से १,०००) रुपया हो जाता है और उसके ऊपर २ पर्सेन्ट या ५ पर्सेन्ट जो कुछ भी होता है वह उसको दाखिल कर दे तो उसको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है और....

श्री **लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : मान लीजिए कि एक लाख रुपये का कपड़ा दो रुपये के कपड़े में बन्ध जायेगा; क्योंकि कोई कपड़ा कीमती हो सकता है तो आप एक लाख रुपये का टैक्स लेंगे ? ऐसा कैसे कर सकते हैं ? वह दो, दो रुपये पर ही लेना चाहिए ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य तो यह चाहते हैं कि टैक्स लगा रहे हैं वह भी हटा दिया जाये ।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : अगर बारदाना दो रुपये में बिनता है तो वह एक लाख रु० के ऊपर टैक्स क्यों दे ? वह उसका हिसाब रखे और २ रुपये पर दे ।

श्री **लक्ष्मीचन्द** : एक आदमी बारदाना भी टैक्स पे करके लाये तो फिर उससे तो टैक्स नहीं लिया जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां बारदाना के ऊपर टैक्स लगता है वह उस पोइन्ट के ऊपर लगता है जब कि हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स पहली दफा बेचते हैं। उस पर लगता है और फिर उसके बाद में टैक्स नहीं लगता है। इसलिये उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एतराज किया कि जैसे एक्साइज़ ड्यूटी है जिस समय एक्साइज़ ड्यूटी लगाई जाती है उस समय पेकिंग चार्जेज़ वगैरह का खयाल करके एक्साइज़ ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा नहीं है। जब कपड़ा मिलों से बाहर निकलता है पेकिंग होने से पहले एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी जाती है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कपड़े की कीमत में तो सब शामिल है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वहां से जो कपड़ा निकलता है तो एक्साइज़ ड्यूटी पहले वहीं लगा दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो एक्स–मिल रेट प्रेस्क्राइब की जाती है। तो उनमें पेकिंग चार्जेज, लोडिंग चार्जेज सारे शामिल होते हैं और कपड़े की कीमत मे एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह सारे शामिल होते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरी जगह से बारदाना में चीज बन्द होकर आती है तो हमारे यहां जैसे रजिस्टर्ड डीलर्स के यहां पहली दफा आता है तो हम पेकिंग मेटीरियल का टैक्स वसूल करते हैं और पहले भी करते आये हैं और आज भी करते हैं। इसलिए नये टैक्स की बात नहीं है। हम तो सहूलियत दे रहे हैं। जैसे व्यापारी कहता है कि हिसाब को रखने की दिक्कत आती है तो कपड़े की कीमत पर लगा कर, १ पर्सेन्ट लगा कर हमको टैक्स दे और अगर वह समझता है कि पेकिंग मेटीरियल की कीमत कम बनती है तो पहले के हिसाब से दे दे। इसमें तो सहूलियत और ज्यादा दी गई है। तो आप इसका किस बात में विरोध करते हैं, मैं नहीं समझा। मैं इस एमेंडमेंट के जरिये न टैक्स को हटा सकता हूँ और न टैक्स को बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा जो टैक्स हम वसूल कर रहे हैं इस वसूली का जो मैथड है उसमें एक सहूलियत और देते हैं। जैसा पहले देते रहे हैं वह देते रहें कोई एतराज नहीं है हम को। लेकिन इस तरह से तो और सहूलियत देते हैं। This is a simple amendment, nothing else, जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई एतराज की बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेंडमेंट) बिल, १६६१ का क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय........

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष बिना कोरम के ही यह पास हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक संशोधन है ...

(गणपूरक घंटी)

श्री लक्ष्मीचन्द : बिना कोरम के ही पास हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : आपको आपत्ति उठानी चाहिये थी पहले ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव इस प्रकार से है कि जो ५,०००) रु० है उसको ढाई हजार कर दिया जाय। मैं इस तथ्य को मानता हूँ कि सेल्स टैक्स ऑफिसर को जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसको इस बात का अधिकार मिले कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन कोई अगर व्यापारी कराये तो उससे एडवान्स सेल्स टैक्स के नाम से जमा करा लिया जाय । लेकिन मैं ५,०००) रु० की रकम जो निर्धारित की गई है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स के आंकड़े अगर इकट्ठे किये जायं और उनका पर्सेन्टेज फलाया जाय तो अगर एक लाख की जिसकी सेल होती है तो वह ५,०००) रु० के करीब सेल्स टैक्स देगा। ५,०००) रु० में इस प्रकार से सेल्स टैक्स का रेकॉर्ड तीन महीने के अन्दर दाखिल कर दिया जाता है। तीन महीने के अन्दर रिटर्न्स दाखिल कर दिये जाते हैं तो इतनी रकम एडवान्स की तरह से ले सकते हैं। उस व्यक्ति से एडवान्स लेने का अधिकार होना चाहिए जो राजस्थान के बाहर का नहीं है, क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा बताया कि जो स्टेट को माल सप्लाई करते हैं या दूसरे कोई डीलर्स जो राजस्थान में रजिस्टर्ड होते हैं माल बेचते हैं और राजस्थान के बाहर चले जाते हैं तो सेल्स टैक्स किस प्रकार से वसूल करेंगे। तो मेरा इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहकर इतना ही निवेदन है कि जिस वक्त सेल्स टैक्स के अन्दर दूकानदार का रजिस्ट्रेशन होता है तो सारी आइडेन्टिटी उसके अन्दर होती है। फिर भी मान लें कि दूकानदार रजिस्टर्ड नहीं है और स्टेट सप्लाई है तो राजस्थान सरकार अपने जितने विभाग हैं उनको इस प्रकार का आदेश दे सकती है कि आप सेल्स टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट ले लें उस वक्त बिल्स का पेमेन्ट किया जाय।

इसके साथ साथ जो लोग कम से कम राजस्थान के निवासी हैं और यह अन्दाज किया जाय कि जो सेल्स टैक्स के करीब ५ हजार पे करेगा, अगर जिनका एक लाख का सेल होगा तीन महीने के अन्दर, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति की कुछ न कुछ प्रोपर्टी राजस्थान के अन्दर अवश्य होगी। दो हजार या ५ हजार या जितना भी सेल्स है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ प्रोपर्टी राजस्थान के अन्दर होती है। वह व्यक्ति सेल्स टैक्स वसूल करने लायक होगा ।

दूसरी बात, इसके अन्दर जो मेरा एक एतराज है थोड़ा सा इस प्रकार का था कि जो लोग रजिस्टर्ड हो गये हैं और जो लोग रजिस्टर्ड पहले से हैं और जो लोग एप्लीकेशन देंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इस प्रकार की आय व्यवस्था कर सकते थे कि जिन लोगों पर यह शक हो कि इस प्रकार का सेल्स टैक्स देने के अन्दर कुछ गड़बड़ होने की संभावना है या इस प्रकार के जो लोग जिनकी प्रोपर्टी

(डॉ० बहादुरसिंह)

राजस्थान के अन्दर नहीं है उनसे इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी; इसलिए मैंने इस सारी रकम को आधा करने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं इस रकम को बहुत ज्यादा मान कर चलता हूँ। काफी बड़ी रकम है। इसको सिम्पेथेटिक-वे से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे राजस्थान के व्यापारियों को हैरेसमेंट हो सकता है। जितने भी आपको लेना है १ हजार, ५ हजार वह उनकी परिस्थिति के अनुसार सेल्स टैक्स एडवान्स जमा करवाने का प्रयास किया जायेगा, इस धारा के अन्तर्गत। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में जैसा कि मेरा संशोधन है, इससे हालांकि व्यापारियों को लाभ नहीं होगा विशेष रूप से लेकिन रकम ज़रूर आधी हो जायेगी।

आधी होने के साथ साथ आपने थोड़ी सी भावना सदन के अन्दर व्यक्त की है वह केवल मात्र इस बात की है कि इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं कि जो लोग बाहर के हैं, जिनकी आइडेन्टिटी नहीं होगी, राजस्थान के निवासी नहीं होंगे, राजस्थान में इस प्रकार की प्रोपर्टी नहीं है उन्हीं से हम यह एडवान्स की रकम जमा करायेंगे। इस आशा के साथ मैंने यह पेश किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसका और इस धारा का मैं विरोध करता हूँ। माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि इस धारा के अन्दर ५ हजार की लिमिट रखी है, वह सिर्फ ऐसे व्यापारियों के लिए रखी है जो राजस्थान के बाहर के हों। ठीक है; जहां तक, अध्यक्ष महोदय, राज्य के टैक्स का सवाल है कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता और यह नहीं मानता कि राज्य का टैक्स मारा जाय, कोई व्यापारी राज्य का टैक्स न दे। मगर इस एक्ट के अन्दर की मन्शा यह नहीं है कि राजस्थान के बाहर का रहनेवाला हो उसी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इस एक्ट की मन्शा के अन्तर्गत हमने सब पॉवर्स एसेसिंग ऑथोरिटी को दे दिये हैं। वह चाहे उस व्यक्ति से ५ हजार का सिक्योरिटी ले। वह रजिस्ट्रेशन के वक्त में ले, या रजिस्ट्रेशन के बाद में या एसेसमेंट करने के टाइम में ले, वह सब सेल्स टैक्स ऑफिसर पर रख छोड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, यह आप मानकर चलिए कि ऐसा कोई बिरला सेल्स टैक्स ऑफिसर मिलेगा जो इसका सदुपयोग कर सके। मुमकिन है जैसा कि हम देखते हैं कि इस धारा का उपयोग, सदुपयोग नहीं होगा और सदुपयोग नहीं होगा तो इसका क्या परिणाम होगा? हर नया आदमी जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आयेगा तो एसिंग ऑथोरिटी कह दे कि वह सेटिस्फाइड नहीं है और आप जब तक ५ हजार की सिक्योरिटी नहीं देते हैं तब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा। यह उस पर डिपेन्ड है कि वह सेटिस्फाइड है या नहीं। अब उसके लिए परिणाम क्या होगा? उसके लिए परिणाम यह होगा कि उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, चाहे वह सही रास्ते से सेटिस्फाइड हो सकता है, चाहे अगर कोई एसेसमेंट ऑफिसर है वह दूसरे तरीके अपनाये। अगर किसी की हैसियत नहीं है तो दूसरे तरीके से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सेटिस्फेक्शन का इसमें रखा है कि वह चाहेगा तो सिक्योरिटी लेगा, वह

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहे तो नहीं लेगा। सिक्योरिटी की आड़ में वह ५ हजार केश ले। मैं कहता हूँ कि कोई एसेसमेंट ऑफिसर रिश्वत खाने वाला हो। सब ऑनेस्ट हों, ऐसा क्यों मानते हैं? मैं कहता हूँ कि रिश्वत खानेवाला ऑफिसर हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने जायेगा तो कहेगा कि सिक्योरिटी केश में देनी पड़ेगी। इससे व्यापारियों को मुश्किल खड़ी होगी। या तो वे रिश्वत देंगे या पांच हजार की सिक्योरिटी। उसकी दोनों में से एक स्थिति होगी। आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इस कानून के ज़रिये किस प्रकार से डिसऑनेस्ट बनायें तो क्लीयरली कह दें। और नहीं तो जैसी आपकी मन्शा है, जैसा आपने वक्तव्य दिया है, जो इच्छा आपने प्रकट की है कि राजस्थान का टैक्स मार कर नहीं चला जाय तो क्लीयरली प्रोविज़न कर दें कि जो राजस्थान के बाहर का रहनेवाला है वह यदि इस जगह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है और उसकी प्रोपर्टी नहीं है और रजिस्ट्रेशन कराता है तो वह ५ हजार की सिक्योरिटी देगा या केश जमा करायेगा, तब तो मान कर चलते हैं कि राजस्थान के व्यापारियों को कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, अन्यथा इसका उपयोग रजिस्ट्रेशन ऑथेरिटी पर रखा है तो वह इसका उपयोग किस ढ़ंग से होगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि यदि इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो राज्य में कई प्रकार के बोन्ड्स निकलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स निकलते हैं, वार बोण्ड्स निकलते हैं; सरकार के कार्य के लिये बोण्ड्स निकलते हैं; सरकार के हरेक विभाग को अलॉट कर दिया है कि यह विभाग इतने लाख के बोण्ड्स बेचेगा जैसे एक्साइज़ विभागवाले १२ लाख के बेचेंगे तो आपके एसेसर सीधे व्यापारियों के पास जायेंगे और उनसे कहेंगे या तो लोन दो, अगर नहीं देते हो तो १० हजार की सीक्योरिटी देनी होगी। इस प्रकार से नहीं तो उस प्रकार से देंगे। आप किसी न किसी प्रकार से प्रेशर डालना चाहते हैं। अगर एसेसिंग ऑथेरिटी ने अपने पॉवर्स का मिसयूज किया तो व्यापारियों को मुसीबत होगी, उनको एविडेन्स देनी होगी, सेटिस्फाइ कराना पड़ेगा और टैक्स आपका वही बैठेगा जितना बैठता है। जो लोग टैक्स इवेड करते हैं वे पढ़े-लिखे, शहरों में रहनेवाले और आपके कृपा-पात्र होंगे, वे ही करेंगे। जो टैक्स की चोरी करनेवाले हैं वे ५ हजार की सीक्योरिटी नहीं देनेवाले हैं। जो लोग लाखों रुपयों का व्यापार करते हैं वे ५ हजार रुपये केश दे देंगे। तकलीफ उन लोगों को होगी जो थड़ियों में बैठते हैं, उनको मुसीबत होगी, दिक्कत आयेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, या तो मंत्रीजी गौर करें वर्ना इसका इम्लीकेशन होगा उस समय असेम्बली के प्रोसिडिंग्ज पेश नहीं किये जायेंगे जिससे हमारे मंत्रीजी की मंशा का पता लग सके, उनकी मंशा यह थी कि राजस्थान के बाहर के लोग इससे न बच पावें। वे लोग तो कानून को देखेंगे, आपकी प्रोसिडिंग्ज प्रोसिडिंग्ज में ही रह जायेंगी। यदि आपकी यह इच्छा है राजस्थान के बाहर के लोग जो टैक्स को इवेड करना चाहते हैं उनको रोकें तो क्लीयर कर दीजिये राजस्थान के बाहर के व्यापारी होंगे तो इतना पैसा देंगे और वह भी केश में मत रखिये, काइन्ड में रखिए। जितना ज्यादा सख्त कानून बनायेंगे उतना ही ज्यादा उसका

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बुरा असर पड़ेगा। बॉल को दबायेंगे तो ज्यादा उछलेगी। चोरियां कम नहीं होंगी, इसलिये इसको सरल बनाना चाहिये। यदि आपकी इच्छा यह है कि राजस्थान के बाहरवालों पर लागू करना है तो इसमें क्लीयर अमेन्डमेन्ट कर दीजिये कि राजस्थान के बाहरवालों पर अप्लाई होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, टैक्स कोई मार कर न चला जावे; इसलिये यह प्रोविजन किया है। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि राजस्थान के बाहर वाले ही टैक्स मारने में सफल हो सकते हैं। अपने यहां के भी किसी भी जगह के रहने वाले हैं उनके पास जायदाद नहीं है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया, फायदा उठा लिया और टैक्स देने की वक्त गायब हो जाते हैं। तो यह बात नहीं है कि राजस्थान के बाहर वाले ही टैक्स मारते हैं। तो टैक्स मारने वालों को रोकने के लिये यह प्रोविजन किया है। व्यापारियों के लिये ५ हजार की सिक्योरिटी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वे बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : केश में होगा या काइन्ड में होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : केश में हो सकता है, बोण्ड्स में हो सकता है, प्राइज बोण्ड्स हो सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : काइन्ड में क्यों नहीं कर देते ?

श्री अध्यक्ष : केश थोड़े ही लिखा है "सिक्योरिटी" लिखा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप काइन्ड क्यों नहीं रखते जिसको हरेक इजिली दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : काइन्ड से क्या मतलब है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : पर्सनल बोण्ड लिख कर दे दे। केश जमा करा कर ब्याज का नुकसान क्यों उठावे ?

श्री अध्यक्ष : 'सिक्योरिटी' शब्द साफ है। किस तरह का होगा इसकी परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं वह साफ मतलब निकलता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने धारा ३ में रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ का क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६१। आप इसको पढ़ दीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सर्क्युलेट नहीं हुआ है।

Page No.64

श्री अध्यक्ष : सर्क्युलेट होने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहेंगे तो कॉपी मिल जायेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): Clause 2: For the proposed sub-section (2) of Section 71 A, subtitute the following :—

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव विचारार्थ लिया जाय। यह भी स्वीकार नहीं हुआ था बहस के दौरान में स्थगित करने का प्रश्न उठ गया था; इसलिये पहले प्रस्ताव पर मतदान हो जाय।

(विराम)

प्रश्न यह है कि पंचायत समितिज़ एन्ड जिला परिषद्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २ में संशोधन मंत्रीजी पेश करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : For the proposed sub-section (2) of Section 71 A, substitute the following :—

"(2) If, before the 31st day of August, 1961, any person, being a candidate for or at such co-option or election as is referred to in sub-section (1) :—

(a) shall have called in question the same by presenting a petition which shall have been dismissed on the ground that he did not happen to be a Member of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, or

(b) may have presented, but did not present, such a petition under the belief that because of his not being a Member of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, he had not the right to do so,

such person, may, within a period of forty days from the said day or from the date on which the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishad (Second Amendment) Act, 1961, comes into force, whichever expires later, present a petition to the Judge,

(i) in the case covered by clause (a), for setting aside the order of dismissal and reviewing the original petition so dismissed, or

(ii) in the case covered by clause (b), calling in question such co-option or election unless the validity thereof shall have already been determined on the merits by the Judge or by any other Competent Court in any proceeding."

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a

(श्री श्रीभानसिंह)

Point of Order Sir. यह पढ़ा क्या जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। कल बहस के दौरान यह कहा गया था कि मंत्री महोदय यदि ड्राफ्ट करके पेश करें तो कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Redrafting is different and inclusion of other matters is something different.

सर्क्युलेट होना चाहिये, काफी लेन्दी है इसलिये हम तो देख नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष : कल बहस के दौरान ऐसी राय बनी, इसलिए रख रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : राय अच्छी मिली है, मंत्रीजी इसको लाये हैं लेकिन पढ़ कर सुनाने से क्या रिपरकशन होगा, करेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पढ़ कर सुना रहे हैं, कल तय हुआ था, तय होने के अनुसार ही पढ़ रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : सदन में यह नहीं तय हुआ था कि यह सर्क्युलेट नहीं होगा। कल डिसीजन हो गया था, एम्पल टाइम था, कल रात को या आज सुबह तक सर्क्युलेट हो सकता था।

श्री अध्यक्ष : अभी तैयार हुआ है इसलिए पढ़ देते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of information, Sir, now the Hon'ble Member is in possession of a copy, while the other Members...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : The suggestion was given by me, Sir.

(२ म० प०)

श्री अध्यक्ष : On the same score as you have been given this and not other Members. आप फिर से पढ़ दें कृपया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : For the proposed sub-section (2) of Section 71 A, substitute the following :—

"(2) If, before the 31st day of August, 1961, any person, being a candidate for or at such co-option or election as is referred to in sub-section (1) :—

(a) shall have called in question the same by presenting a petition which shall have been dismissed on the ground that he did not happen to be a Member of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, or

(b) may have presented, but did not present, such a petition under the belief that because of his not being a Member of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, he had not the right to do so,

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

such person, may, within a period of forty days from the said day or from the date on which the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishad (Second Amendment) Act, 1961, comes into force, whichever expires later, present a petition to the Judge,

(i) in the case covered by clause (a), for setting aside the order of dismissal and reviewing the original petition so dismissed, or

(ii) in the case covered by clause (b), calling in question such co-option or election unless the validity thereof shall have already been determined on the merits by the Judge or by any other competent Court in any proceeding."

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खतरनाक है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें हिन्दी में।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। वैसे भी इसमें सादी बात है।

श्री श्रीभानसिंह : यह सादी बात नहीं है। This will have Rajasthan wide repercussions. This will probably create chaos in Zila Parishads and Panchayat Samitis.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कल आप मौजूद नहीं थे....

श्री श्रीभानसिंह : अब मैं मौजूद हूँ, जब आप अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी ?

श्री श्रीभानसिंह : अब मैं मौजूद हूँ जब आप अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो कमी बतलाई गई थी कल वह यह थी कि जो लोग कोऑप्शन में खड़े हुए थे लेकिन हार गये और क्योंकि एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था कि हारे हुए केन्डीडेट इलेक्शन पिटीशन दे सकते हैं; इसलिए वे महरूम रह गये। अभी जो सदन से चाहा गया था वह इतना था कि हारे हुए उम्मीद-वारों को मौका दिया जाय। लेकिन ऐसे भी थे जो अन्धकार में रहे और इसलिए पिटीशन नहीं दे पाये, उनको भी मौका दिया जाय। ऐसा नहीं कि जो सजग थे वे लाभ उठा लें और जो रह गये सीधेपन में, भोले-पन में उनको मौका न मिले। इसलिए यह नया क्लॉज़ रखा है। जो एग्रीव्ड पार्टी है, उनको न्याय का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि जो अवसर से वंचित रह गये, उनको मौका दिया है। इसमें एक मियाद डाल दी है कि इसके एन्फोर्स होने के चालीस दिन के अन्दर पिटीशन करना चाहें तो कर सकते हैं। उनका रास्ता जो थोड़ा रुका हुआ था उसको इस संशोधन के द्वारा खोल दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस संशोधन की जहां तक यह मन्शा थी कि यह अवश्य है कि आर्डिनेन्स इश्यू हो गया है और उस दौरान

(श्री श्रीभानसिंह)

में जो इलेक्शन पिटीशन और हो गई हों तो पहला जो क्लॉज है उसको तो थोड़ा बहुत पास करना पड़ेगा। मगर सिद्धान्त आप यह मानते हैं कि जो इलेक्शन पिटीशन हुई वे रिजेक्ट हो गई हैं और जिस किसी ने नहीं की वे अब चालीस दिन के भीतर कर सकते हैं यानि साल भर के बाद। आप समझते हैं कि इससे जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं उसमें स्टेबिलिटी आयेगी? उसको आप साल भर के बाद में डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिससे फिर इलेक्शन पिटीशन हों। जो जजेज ने डिसमिस कर दी हैं या किसी ने नहीं की हैं उसको फिर राइट देते हैं, उसको फिर इलेक्शन पिटीशन करने का अधिकार देते हैं। यह न्याय की परिभाषा नहीं है, जुरिसप्रुडेन्स की परिभाषा नहीं है, आपकी खुद की नई परिभाषा हो सकती है कि उनके साथ अन्याय हुआ है जिनको पिटीशन हुई और डिसमिस हो गई या जिन्होंने लीगल प्रोविजन का फायदा नहीं उठाया और अब उनको आप ४० दिन के अन्दर फायदा देना चाहते हैं।

इसका पर्मानेन्ट मेम्बरों के ऊपर असर हो सकता है और कॉप्टेड मेम्बर्स के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से कॉप्टेड मेम्बर्स हैं वे ऐसे होंगे जो प्रधान हो गये होंगे। राजस्थान के अन्दर पन्द्रह हजार के करीब कॉप्टेड मेम्बर्स हैं क्योंकि राजस्थान के अन्दर २२३ पंचायत समितिज हैं और सात, आठ का एवरेज लगाया जाय तो राजस्थान में पंचायत समिति स्टेज तक पन्द्रह हजार कॉप्टेड मेम्बर्स हैं। उनके अगेन्स्ट आप राइट देते हैं कि उनके खिलाफ पिटीशन नहीं हुई तो उनके अगेन्स्ट पिटीशन हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर कॉप्टेड मेम्बर्स के अगेन्स्ट इलेक्शन पिटीशन हुई तो पंचायत समिति के काम में ढील होनी जरूरी है। फिर इसके अलावा स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव हुए हैं, उनके मेम्बर्स के अगेन्स्ट इलेक्शन पिटीशन लाई जा सकती है। आप आखिर चाहते हैं क्या कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन है वह ठीक तरह से फंक्शन करे या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन ठीक तरह फंक्शन करे, उसमें स्टेबिलिटी आये तो क्यों साल भर बाद में यह राइट देकर उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया जाय? मैं इसको न्याय नहीं कह सकता, मैं इसे न्यायसंगत नहीं कह सकता। अगर आपको यह राइट देना था तो पहले दे देते। यह किसी कानून में नहीं लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जाय। अब तक अगर इलेक्शन पिटीशन के राइट नहीं दिये थे, अगर अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन पिटीशन का राइट दिया जाय तो फ्युचर के लिए दे सकते हैं। कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाता है। आप इस तरह का एक यूनिक कानून पेश कर रहे हैं। मैं कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन में जो पंचायत समितिज हैं और जो हरएक में कॉप्टेड मेम्बर्स की संख्या सात, आठ या दस है तो राजस्थान के अन्दर करीब पन्द्रह हजार होती हैं उन पंचायत समितिज़ का वर्क डिस्टर्ब न हो। मैं उनको सेफ करने के लिए यह विरोध प्रगट करना चाहता हूं और मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो कॉप्टेड मेम्बर्स के लिए अमेंडमेंट लाये हैं उसको वापिस ले

(श्री श्रीमानसिंह)

लें क्योंकि आप उनकी संख्या को देखिये। राजस्थान के अन्दर कितनी संख्या है, उनके अगेन्स्ट साल भर पिटीशन हो जाय तो नतीजा क्या होगा ?

(२. ५. म० १०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

सारी पंचायत समितियों में इलेक्शन हो गये, प्रधान और कॉप्टेड मेम्बर्स के अगेन्स्ट इलेक्शन पिटीशन हुईं, उनकी वजह से एज प्रधान वे फंक्शन नहीं कर सके तो नतीजा क्या होगा ? पंचायत समितियों का वर्क नहीं चलेगा। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव होंगे और वे फिर मेम्बर्स चुनेंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि जो आप अमेंड-मेंट लाये हैं उससे पहले जो चुनाव हुए हैं उनको सेट असाइड करते हैं। उनके चुनाव फ्रेश करायेंगे। अगर ऐसा है तो मैं मान सकता हूँ कि आप उनके चुनाव फ्रेश कराना चाहते हैं क्योंकि पहले यह राइट नहीं दिया था। इसलिए मैं समझता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से राइट देना खतरनाक है और डेन्ज-रस है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सारी स्थिति को सामने रख कर विचार करें कि राजस्थान में इसका क्या रिपर्कशन होने जा रहा है और डेमोक्रेटिक सेट–अप की स्थिति को विजुएलाइज नहीं किया है। इन शब्दों के साथ में सदन से निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट पर इस दृष्टि से विचार करें।

मैं समझता हूं कि कानून ऐसा बनना चाहिए जो इन्स्टीट्युशन्स की फाउन्डेशन को मजबूत करे, उन्हें सहूलियत प्रोवाइड करे। आप साल भर बाद यह राइट देते हैं कि जो पंचायत समिति के मेम्बर्स हैं उनके अगेन्स्ट इलेक्शन पिटीशन नहीं हैं तो वे चालीस दिन के भीतर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह राइट देने का मतलब यह होगा कि आप यह चाहते हैं कि पंचायत समितिज के फंक्शन्स को डिस्टर्ब कर दिया जाय और ऐसा होगा क्योंकि मुकदमेबाजी चलेगी। इसका नतीजा होगा कि किसी दिन प्रधान मौजूद नहीं हैं, किसी दिन कॉप्टेड मेम्बर्स मौजूद नहीं हैं। इससे होल इलेक्टेड पंचायत समिति नहीं रहेगी, वह डिजोल्व हो जायेगी। और होल इलेक्टेड बॉडी नहीं रहेगी तो नतीजा यह होगा कि पंचायत समिति खत्म हो जायेगी, प्रधान और कॉप्टेड मेम्बर्स खत्म हो जायेंगे, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन चैक हो जायेगा और उसमें एक क्यॉस आ जायेगा। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस अमेंड-मेंट को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाय। यह बड़ा इम्पोरटेन्ट अमेंडमेंट है और इससे बड़े खतरनाक रिपर्कशन हो सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सेकिंड पार्ट रखा है उसके बारे में मेरे सजेशन को मानें और इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्री की ओर से प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): It is for the first time in the History of the country that you are support-ing ..

श्री भैरोंसिंह : It is first time in History that sense has prevailed upon the Treasury Benches.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : On you, please.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Because he is interested in creating chaos, as it will be beneficial to him.

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था Co-opted members in standing committes, plus members co-opted in Zila Parishads and Panchayat Samitis will not go beyond 1,000.

श्री श्रीभानसिंह : How ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब मैंने माननीय सदस्य की बात सुनी तो मालूम हुआ कि जैसे कोई क्यॉस हो जाएगा अगर यह हो जाएगा तो, मगर मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार क्यॉस की पोजिशन में नहीं आवेगा, क्यॉस की पोज़िशन किसी प्रकार से भी नहीं आवेगी और आपके सामने १५ हजार का नम्बर इलेक्शन पिटीशन का रखा है कि १५ हजार आदमियों के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हो सकती हैं। यह उचित है । इसका मतलब क्यॉस से नहीं है । आपने इसका मतलब क्यॉस से लिया है । यह नम्बर पंचायतों के पिटीशन्स का नहीं है लेकिन इसमें स्टेन्डिंग कमेटीज में भी जो कोऑप्शन होता है उसका नम्बर भी शामिल है। कुल २३२ पंचायत समितियां हैं। कई जगह से दो इलेक्शन पिटीशन हो जावेंगी और कहीं से चार हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में १५ हजार का नम्बर काउन्ट करके रखा है उसमें किसी प्रकार का क्यॉस का प्रश्न ही नहीं रहता । प्रश्न केवल, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही है कि हम संशोधन ला रहे हैं कि कानून में यह उन लोगों को अधिकार देना चाहते हैं कि अगर कोऑप्शन में कोई गड़बड़ी हो गई हो और उससे किसी को एतराज हो और उस कारण से कोई इलेक्शन पिटीशन करना चाहे तो उसको ऐसा करने का अधिकार दिया गया है। जिस समय यह कानून बना उस समय इसमें कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : आप उनको पिटीशन्स के राइट कैसे देते हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं की और जो करना नहीं चाहते थे ?

श्री भैरोंसिंह : जो लोग कोऑप्शन के अगेन्स्ट में थे उनमें से एक तो वे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन कर दी वकील के कहने से या किसी दूसरे के कहने से या किसी और कारण से या स्वयं की इच्छा से और इस बात का खयाल नहीं रखा कि उनको पिटीशन करने का अधिकार है या नहीं या यों कहा जा सकता है कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी इसलिये उन्होंने ऐसा किया। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा करके गलती की क्योंकि उनको ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। जिन्होंने पिटीशन कर दी और गलती से की उनको आपने अधिकार दिया यानि जिन्होंने गलती की उनको आप प्रीमियम देते हैं। आज प्रीमियम उन

(श्री भैरोंसिंह)

लोगों को मिल सकते हैं जिन्होंने गलती की और जिन्होंने कानून अच्छी तरह से समझ कर पिटीशन नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि कानून में उनको पिटीशन करनेका कोई अधिकार नहीं है। उनको कानून में आपने कोई पिटीशन करने के अधिकार नहीं दिये थे, जो अधिकार आप उन्हें आज देने वाले हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने गलती की उनको आप प्रीमियम दे रहे हैं और जिन्होंने सही काम किया उनको आप नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि आपका यह एक्शन न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जिन्होंने गलती की है उनको दंड मिलना चाहिये। न्याय का यही तकाजा है कि जो गलती करे उसको दंड दिया जाय। सरकार का इससे सीधा मतलब यही था कि जिनकी पिटीशन खारिज हो गई, दुबारा उनकी रिव्यू हो सकती है या जो पिटीशन खारिज नहीं हुई और जिनकी पीटीशन चल रही है तो उनकी कानूनन इलेक्शन पिटीशन मानी जाएगी और उस पर कार्यवाही की जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने कभी यह नहीं कहा कि आपत्ति नहीं है। मैं सिद्धान्तों में इसके खिलाफ हूँ लेकिन मेरा यह कहना है कि ऑर्डीनेन्स के थ्रू यह लागू कर दिया गया है इसलिये इसमें चेन्ज नहीं किया जाए।

श्री भैरोंसिंह : मेरा खयाल था कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा खयाल गलत हो सकता है। मैं गलत समझ गया हूँ। अगर कोई पिटीशन कोर्ट में चलती है उसके लिये यह एमेंडमेंट आता है तो उस पर भी उस दिन से लागू होगा यानि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से।

अब देखना यह है कि इससे कौन कौन से लोग वंचित रहते हैं।

एक तो वे लोग हैं जिन्होंने पिटीशन की और जिनकी पिटीशन खारिज हो गई। उनके लिये तो आपने संशोधन प्रस्तुत किया है और उनके लिये रिलीफ है। लेकिन जिन्होंने यह समझ कर की कोऑप्शन के लिये कानून में पिटीशन की कोई व्यवस्था नहीं है और पिटीशन करने पर कानून में उसे चैलेन्ज किया जा सकता है, इस कारण से पिटीशन नहीं की। मेरा यह निवेदन है कि उनको भी राइट होना चाहिये पिटीशन करने का। क्योंकि एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गलती की और एक वे हैं जिन्होंने समझदारी से काम किया और पिटीशन नहीं की। जिन्होंने गलती की उनको आप प्रीमियम दे रहे हैं और जिन्होंने समझदारी से काम किया उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है; उनको उल्टा दंड दे रहे हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह नम्बर रखा गया है इसमें कोई क्योंस नहीं होगा। कुल २३२ पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। हर पंचायत समिति में ३० या ३२ सदस्य होंगे। इलेक्शन पिटीशन का मतलब यह नहीं की सब लोगों के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन होगी। हम विधान सभा को ही देखें। हम लोग भी चुन कर ही विधान सभा में आते हैं हमारे खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन होती हैं। मगर हम १७६ सदस्य आते हैं। उन सब के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होती। विधान सभा के सदस्यों के खिलाफ ४१ इलेक्शन पिटीशन्स हुई। सभी लोग इससे चिन्तित नहीं रहते। ऐसी बात नहीं है कि उससे सब लोग चिन्तित रहते हैं। पंचायतों के और डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के लिये कानून बनाये हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं की लॉ की कमी के कारण से किसी प्रकार से लोगों को रिलीफ न मिले। कानून की ऐसी मंशा नहीं है कि लोगों को फायदा न मिले। अगर किसी के खिलाफ किसी प्रकार की इलेक्शन पिटीशन हो जावे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रधान वहां पर काम नहीं करेगा। वह तो अपना काम करता रहेगा। उसको पिटीशन होने मात्र से रिमूव नहीं किया जाता। वे लोग अपना काम बदस्तूर करते रहते हैं। इलेक्शन पिटीशन माइन्ड में चलती रहती है लेकिन एक्शन में नहीं चलती। पंचायत समिति का प्रधान कोई भी व्यक्ति हो सकता है और तब तक रहता है जब तक कि कोर्ट का डिसिजन इलेक्शन पिटीशन का उसके खिलाफ डिक्लेयर नहीं हो जावे और उसके खिलाफ डिक्री पास न हो जाए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Order, Sir. I object to this amendment being discussed, as it has not been circulated to the Members and their typed copies are available only with a few Members. It is a very important amendment. Till the amendment is circulated to all the members, I will request the Chair not to allow it.

श्री उपाध्यक्ष : This point has been disposed of by Hon'ble the Speaker, when the point was raised by Shri Shribhan Singh. I cannot open it now. Yes, please.

श्री भैरोंसिंह : तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इसके जिन गम्भीर परिणामों को लेकर बात की जाती है, ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम विधान सभा में कानून बना कर कोई डिस्क्रीमीनेटरी लॉ नहीं बनावें। जब हम महसूस करते हैं कि इसको रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक व्यक्ति को इसका फायदा मिले और दूसरे को न मिले। अगर इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेट्री लॉज बने और विधान सभा पारित करती है तो यह उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेट्री लॉज पारित नहीं करे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय ने हाउस को कॉन्सेंस ऑफ ओपीनियन को समझ कर इसे पेश किया है, सदन स्वीकार करे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मन्त्री महोदय की ओर से, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : वोट भी विरोध में देंगे ?

डॉ० बहादुरसिंह : हां, यह भी हो सकता है।

मैं इसलिए विरोध करता हूं कि इस प्रकार राजस्थान के अन्दर क्या सोच कर

(डॉ० बहादुरसिंह)

चलना चाहते हैं ? राजस्थान की जनतन्त्रीय प्रणाली के अन्दर पिछले साल जिसे अच्छी तरह बना कर खड़ा किया था इतनी शान के साथ इलेक्शन कराये थे, कई जगह निर्विरोध इलेक्शन्स हुए हैं। यह सही है कि सहवरण के सम्बन्ध में थोड़ी कमी आई, चुनाव याचिका के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया गया। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। खैर, संशोधन आया है उससे जिन लोगों ने चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की उनको स्वीकार कर ली जायं, यह तो ठीक है, पर जिन लोगों ने चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत ही नहीं की उनको इस संशोधन के द्वारा चुनाव याचिकाएं करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय, यह उचित नहीं है।

राजस्थान के अन्दर १,५०० सहवृत्त सदस्य पंचायत समितियों में और इससे दस गुना ही दूसरी अन्यान्य कमेटियों में बैठते हैं। तो सब मिला कर १५,००० सहवृत्त सदस्य इनमें बैठते हैं। इस प्रकार का संशोधन लाने से इन १५,००० सहवृत्त सदस्यों की क्या स्थिति होगी ? बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी स्पष्ट किया है। मैं उनसे सहमत हूं कि जिन्होंने चुनाव याचिका नहीं की उनको इस प्रकार का चुनाव याचिका करने का अधिकार नहीं देना चाहिये। जिन लोगों ने चुनाव याचिकाएं की हैं उनको यह हक मिल जाता है तो किसी हद तक ठीक है। हमें चुनाव याचिका के सम्बन्ध में लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। चुनाव याचिका करके एक दूसरे पर दबाव डालने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

जिस प्रकार का संशोधन आया है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के दबाव में नहीं आवें कि विरोधी दल ने इस प्रकार का सुझाव दिया है, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया जाय। इस संशोधन को यदि स्वीकार कर लिया गया तो सारी चुनाव याचिकाएं आपके सामने आयेंगी तब आपको मालूम होगा कि इस संशोधन का जिन सदस्यों ने विरोध किया था वह ठीक विरोध किया था। इसको यदि स्वीकार कर लिया गया तो अनेक सदस्यों को अनावश्यक रूप से अधिक परेशानी होगी।

जहां तक अध्यादेश का अंश है जो संशोधन अध्यादेश में किया गया है, मैं समझता हूँ वही ठीक है। उसके अलावा यह जो संशोधन लाया गया है इस संशोधन का विरोध किया जाना चाहिये क्योंकि इस संशोधन से परेशानी बढ़ेगी खास तौर से उनको जिनको कि सहवृत्त कर चुके हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. chaudhary

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। मैं तो यह मान कर चलता हूँ कि सरकार की यह नीति है कि किसी कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देवे। साल भर पहले जो मसला तय हो चुका हो उसको रिवाइव करना चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनावों में सबसे बुरी चीज यदि कोई हुई है,

(श्री पी० के० चौधरी)

जिसने सबसे ज्यादा इन चुनावों को विशियेट किया है तो वह है कोग्रॉप्शन। कई माननीय सदस्यों ने पिछले सेशन में इसके खिलाफ अपनी राय दी है और कहा है कि कोआॅप्शन की प्रथा को समाप्त किया जाय। इनमें सबसे ज्यादा बुरी बात कोआॅप्शन से आई है। जिस कोआॅप्शन के मसले को लेकर लोगों को बद्रीनाथ और हरिद्वार की यात्रा कराई, दस, दस, पन्द्रह, पन्द्रह दिन तक लोगों को कोआॅप्शन में लाने के लिये बन्द रखा इससे सबसे ज्यादा विशियेट इफेक्ट डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन की मशीनरी में कोआॅप्शन का हुआ है। इस कोआॅप्शन के मसले से कई तरह की पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी फैली है और लोगों को बद्रीनाथ, द्वारकाजी और हरिद्वार की यात्रा कराई है...........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसलिए आवश्यक है कि यह अमेंडमेंट रखा जाना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आदमी उड़ाने के मामले में तो हम आपके सामने हार मानते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : जो लोग डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन में विश्वास रखते हैं वे समझते हैं कि कोआॅप्शन का प्रावधान है उसको जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट है उसमें से हटा देना चाहिये। यदि हम पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी को बन्द करना चाहते हैं तो कोआॅप्शन को बन्द कर देना चाहिये। पिछले सदन में कई माननीय सदस्यों ने इसकी मुखालफत की है। जिस चीज को हम बुरा मानते हैं उस चीज के लिए आज कानून बना रहे हैं, इससे आप वहां और झगड़े पैदा करा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट की धारा १३ में ऐसा था कि केन्डिडेट पिटिशन नहीं कर सकता था पर वोटर पिटिशन कर सकता था :

"The election of a Pradhan or up-Sarpanch of a Panchayat Samiti may be Called in question by any member thereof by presenting in the preseribed manner to the Judge a petion in this behalf on the prescribed grounds and within the prescribed period."

इस प्रकार वोटर को पीटिशन करने का हक था। तो वह केन्डिडेट जिसके लिये इलेक्शन पिटिशन करने के लिये एक भी वोटर खड़ा नहीं हुआ आप उस केन्डिडेट को इससे इलेक्शन पिटिशन करने का हक देना चाहते हैं। वह नहीं कर सकता था पर उसके लिये उसका कोई वोटर इलेक्शन पीटिशन कर सकता था। तो उसके लिये नोट ए सिंगल वोटर पिटिशन करने के लिये खड़ा हुआ उसके लिये इसमें हक रखा है कि पीटिशन कर सकता है, यह ठीक नहीं है। कोआॅप्सन के लिये इलेक्शन पीटिशन करने का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं था; ऐसी बात नहीं है। पंचायत समिति का कोई भी मेम्बर

(श्री पी० के० चौधरी)

किसी भी मसले को चैलेंज कर सकता था। केन्डिडेट नहीं कर सकता था पर वोटर इलेक्शन पीटिशन कर सकता था। तो यह कहना कि कानूनी ढंग से कोऑप्शन के मसले में किसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज हो गई हैं, अन्याय हो गया है तो उसको चैलेंज करने का कानून में प्रावधान नहीं था, यह सही नहीं। पंचायत समिति का मेम्बर चैलेंज कर सकता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह ठीक नहीं है।

ऑर्डिनेन्स लाया गया। मैं तो कहता हूं कि यह भी नहीं लाया जाता। कानून आज हम बना देते हैं, लोग समझते हैं कि इस प्रकार का कानून है और अमुक प्रकार के काम के लिये कानून नहीं है! दो दिन बाद आप उसमें दूसरी प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं, जो उसमें नहीं है वह कर देते हैं तो इससे लोगों की आस्था कानून में से कम हो जाती है, आस्था उठ जाती है।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा १,५०० कोऑप्टेड मेम्बर्स पंचायत समितियों में हैं और स्टेन्डिंग कमेटीज में भी कोऑप्टेड मेम्बर्स होते हैं, मिनिमम से मिनिमम छः, सात स्टेन्डिंग कमेटीज एक एक पंचायत समिति में होती हैं। स्टेन्डिंग कमेटीज में भी कोऑप्शन होता है, १० मेम्बर कोऑप्ट करते हैं और इस तरह १५,००० या २५,००० पर यह मामला पहुंचेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप किसको न्याय देना चाहते हैं? यह संशोधन नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन का काम अटक जायेगा, ऐसी बात नहीं है। आज सारे के सारे कोऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के नाम से पोलिटिशियन्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के नाम से दूसरे दूसरे लोग आये हैं। इससे कोई बड़ा होशियार आदमी आयेगा, जो पंचायत समिति को गाइड करेगा, ऐसी बात नहीं है।

दूसरे, कृषि के मामलों में ऐसे आदमी आये, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से कोऑपरेटिव एक्सपर्ट आये जो मूवमेन्ट को आगे बढ़ाये। लेकिन ऐसे लोग आये हैं जो आज पंचायत समितियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि उनको पीछे हटाने का काम करते हैं। इसलिए कोऑप्शन का प्रावधान नहीं रहना चाहिये। जिस प्रोविजन को गलत समझते हैं उस गलत कार्यवाही में हार गया हो तो उसको फिर मौका देते हैं। एक साल में जाकर पंचायत समितियों में स्टेबिलिटी आई, कोऑप्शन का सवाल आया, जब रखा, कोऑप्शन के जरिये लोग आवेंगे उनकी मदद से स्टेबिलिटी रहेगी और उस वजह से जाकर निश्चित काम कर सकेंगे। उनके सामने यह डर नहीं रहेगा कि कल नो कॉन्फिडेन्स मोशन आता है, साल भर की स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। इससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जो राजस्थान में किया गया है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, या बुरा असर पड़ेगा? चार, पांच आदमी पीटिशन में जाकर कामयाब हो जायं, आ जायं तो उससे फायदा पहुंचेगा और जो पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स की बुनियाद बनाई है उसमें दरार डालेंगे। मेम्बर्स भागे भागे फिरेंगे, प्रधान को परेशानी रहेगी और उसको पीछे पीछे भागना पड़ेगा। जो साल भर में जाकर हम कर सके हैं, दिमाग लगाने का मौका मिला है

(श्री पी० के० चौधरी)

उसको छोड़ देने का है, अनडन कर देने का है, एक मनमुटाव, अनस्टिबलिटी पैदा करने का है।

यह एक जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं उससे हजार केसेज चेरिटी के लिए ओपन कर देते हैं; यह कहना सरल है कि नहीं होंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : हजार कहां से हो जावेंगे ?

श्री पी. के. चौधरी : हजार हो जावेंगे। जो राजस्थान में पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाना चाहेंगे और चाहते हैं वे चाहेंगे कि पास हो, पंचायत समितियों में गड़बड़ मच जावे। माननीय मन्त्री महोदय उनके चक्कर में आते हैं। The action is likely to create unstability.

मेरे दिमाग में यह भावना है कि अगर इन्स्टेबिलिटी क्रीयेट करने का है तो हर एक के खिलाफ इलेक्शन पीटिशन लगायें। चार महीने बाकी हैं। जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वे यह करेंगी।जो केन्डीडेट हार गया है उसका विरोधी हो या नहीं, उसके दस्तखत करवा कर यह क्रीयेट करवाया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कौनसा जस्टिस करना चाहते हैं ? जो आदमी चुनाव में हार गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑप्शन हुआ, कौनसी गाइडेन्स दी है ? क्या हुआ ? कानून पास करना चाहते हैं तो आखिर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ फायदा होता है या नहीं, जनता को, पब्लिक को, पब्लिक को फायदा पहुँचे या नहीं, यह सब देख कर करना चाहिये। किसी ने अपील कर दी ४० को दिया और ५ हजार को नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि ४० को भी नहीं दिया जाना चाहिये था। कानून को भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना चाहिये। यह कदम खतरनाक है। Politically it is going to create unstability in all the Panchayat Samitis. कई बातें आवेंगी। आप देख लीजिये। जो डीफीटेड मेम्बर्स हैं उनको इन्स्टीगेट करेंगे। आज जो पार्टीबाजी है वह छिपी हुई नहीं है और न ही ओपोजिशन से छिपी हुई है। हाईड्रा हैडेड ड्रेगन को क्यों रेज कर रहे हैं ? You are rousing this hydra headed dragon. You are rousing that sleeping dog जो अनस्टेबिलिटी क्रियेट करेंगे। मैं अपील करूंगा कि इसको सस्पेन्ड करिये।

इसकी कॉपी तमाम सदस्यों को सर्कुलेट नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि मूव कर सकते हैं। सर्कुलेट करने के लिए अमेन्डमेन्ट के लिए प्रोपर टाइम मिलना चाहिये। Don't press for it. You hold it out for consieeration later on. इसको सर्कुलेट कराइये पहले मेम्बरों को बाद में इसको पास कराइये। पासिंग को स्टे करिये। इस तरह से नहीं करना चाहिये। यह उचित नहीं होगा। सीरियस मानता है। Don't press it. ऑर्डिनेन्स पास कर दीजिये। मुझे इतना ही क्लॉज के विरोध में कहना है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह राजस्थान जिला परिषद् पंचायत समिति सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट बिल है जिस पर विचार चल रहा है। जो संशोधन माननीय मंत्रीजी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की ओर से पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसका कारण यह है कि जो संशोधन पेश किया गया है और ओरिजिनल बिल है उसको यदि गम्भीरता से विचार करें और पढें तो समझ सकेंगे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

आने वाली पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटीज़ का चुनाव, प्रत्येक वर्ष होता है। दिसम्बर में हो चुका था, सारी पंचायत समितियों में हो चुका है। २३२ पंचायत समितियां हैं, यदि ५ स्टेन्डिंग कमेटीज़ हैं तो १ हजार होंगे। यहां पर कोऑप्शन होने वाला है और ऐसे लोगों का होनेवाला है जो पंचायत समितियों के सरपंच और दूसरे सदस्य नहीं हैं। एक हजार व्यक्ति चुने जाने वाले हैं। स्टेन्डिंग कमेटीज़ में २, २ व्यक्ति लेने का भी प्रावधान है। दो हजार व्यक्ति होते हैं। एक दफा स्टेन्डिंग कमेटी बनी, समाप्त हो जावेगी और दूसरी बननेवाली है।

यहां कहा जाय कि एक दफा चुननेवाले लोगों को हटा दिया,चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला, अब उनको अधिकार न दिया जावे, जैसा कि यहां पर कहा गया तो यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहली बार गांधीवादी होने का प्रमाण दिया है। गांधीजी कहा करते थे कि सब को सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले। ऐसे कानून न बनाये जायं जिससे कि बाधायें और मुश्किलें पैदा हों। गांधीजी हमेशा कहते थे कि सस्ता न्याय, सुलभ न्याय देंगे और हर एक व्यक्ति को न्याय मिले उसकी गारन्टी भी देंगे। कॉन्स्टीट्युशन में गारंटी दी है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि न्याय के हाथों को काटना चाहते हैं, न्याय सुलभ नहीं होने देना चाहते हैं, कॉन्स्टीट्युशन के साथ जो शपथ खाई है उसकी गद्दारी करते हैं और उसका विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ एक बार शपथ खाकर जहां न्याय देने का सवाल है, अधिकार है उसके विरोध में नहीं जा सकते। मैं समझता हूं कि यह बड़ा अच्छा कदम है जो माननीय मंत्री महोदय उठा रहे हैं। मैं चाहता था कि सारा सदन इसका स्वागत करता! कुछ सदस्यों ने इसकी आनेवाली खामियों और कमियों के बारे में कहा। जो व्यक्ति कोऑप्शन में चुनाव नहीं जीत पाता और उसके साथ किसी प्रकार अनियमितता होती है तो उसके बावजूद भी न्याय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।

जैसा कि मैंने कहा दिसम्बर, १९६० में इस प्रकार से पंचायत समितियों की स्टेन्डिंग कमेटीज के चुनाव हुए थे। चुनाव में जो धारा १३ में बताया गया है वह प्रमुख और प्रधान के चुनाव के लिये धारा है उसी धारा के अन्तर्गत स्टेन्डिंग कमेटीज के चुनाव होंगे। ये चुनाव एक वर्ष के लिये होते हैं। अब दुबारा चुनाव होना है। दो हजार के करीब व्यक्ति खड़े होंगे। इन चुनावों में अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार होता है जिनके कारण चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से महरूम रखा जाय, यह न्याय नहीं कहा जा सकता। प्रधान और प्रमुख के चुनाव के लिये है; वही व्यक्ति चुनाव याचिका प्रस्तुत

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कर सकता है जो पंचायत समिति और जिला परिषद् में चुन कर आ जाय। लेकिन कोऑप्शन से आने वाले व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य नहीं, किसी प्रकार के मेम्बर नहीं, वह व्यक्ति हार चुके हैं तो वे किस प्रकार से चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिये जो चुनाव में नहीं आ सकता स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव होनेवाले हैं वैसी हालत में दो महीने पहले यह अमेंडमेन्ट लाते हैं। इसके लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिये। एक बार अधिकार नहीं दिया है अब तो दें। इनके लिये पहले से इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव में जो रह जाता है, जो पंचायत समिति के चुनाव में नहीं आ सकता वह इस अमेन्डमेन्ट के आधार पर चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इससे और बहुत अच्छा कानून और कोई नहीं हो सकता। इसलिये यह जो संशोधन किया गया है वह आवश्यक है; यह किया जाना चाहिये।

ओरीजिनल बिल में एम्बीगिवटी थी, कनफ्युजन था और उसके लिये कल जनसंघ दल के नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये। उससे आनेवाले चुनाव में न्याय मिलेगा। यह संशोधन न्यायिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आज गांधीवादी कहलानेवाले मंत्री महोदय ने जो गान्धीवादी होने का बहुत बड़ा बिल्ला लगाये फिरते हैं उनके संशोधन का कांग्रेसी सदस्यों को विरोध नहीं करना चाहिये। आज तक जो न्याय देने में बाधा थी वह इससे दूर हो गई है।

आखिर आज चाहे आम चुनाव हों, पंचायत समिति के चुनाव हों, विधान सभा या पार्लियामेन्ट के चुनाव हों इन सारे चुनावों के अन्दर हरएक व्यक्ति को, चाहे किसी प्रकार की खामी रह गई हो, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार होता हो हरएक को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जिसमें चुनाव याचिका पेश करने का अधिकार नहीं दिया गया हो। स्टेन्डिंग कमेटीज जो पंचायत समितियों की बनती हैं या पंचायत समितियों में कोऑप्शन के लिये जो खड़े होते हैं दो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते। जो पंचायत समिति के सदस्य होने के कारण चुनाव याचिका नहीं दे सकते हैं उनको इस संशोधन द्वारा न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के अच्छे कानून का विरोध किया जायेगा तो हम राजस्थान के अन्दर गड़बड़ पैदा करेंगे, लोगों के अन्दर असन्तोष पैदा करेंगे, लोगों को न्याय नहीं दे पायेंगे। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि लोगबाग जो हार चुके हैं पंचायत समितियों की स्टेन्डिंग कमेटीज में हार चुके उनको न्याय के दरवाजे तक न पहुँचने दिया जाय। यह उनकी मन्शा है। वे न्याय से उनको वंचित करना चाहते हैं। जिन्होंने प्रजातंत्र में इस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया है उसके अनुसार चाहे स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव हों, चाहे कोऑप्शन हों उनमें कोई भी व्यक्ति हार जाय, उस हारने में अगर किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है, उसको न्याय प्राप्ति से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वंचित किया जाता है तो यह एक प्रकार से न्याय का गला घोटना होगा।

पहले भी जब इस प्रकार का कानून नहीं था कई जगहों पर कोऑप्शन में गड़बड़ियां हुई हैं, प्रधान द्वारा कोऑप्शन नहीं कराया गया। छबड़ा के अन्दर पंचायत समिति के प्रधान ने वहां पर चुनाव दुबारा लड़ा। उसके बाद वहां विरोधी दल का बहुमत हो गया। स्टेन्डिंग कमेटीज बननी थीं। उन्होंने पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटीज का चुनाव नहीं कराया। मैं भी वहां था। पंचायत समिति की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास करने के बाद एक तारीख निश्चित कराई। उसके बाद नोमीनेशन्स मांगे गये। तब केवल एक पार्टी की ओर से विरोधी दल के नोमीनेशन पहुँचे। समय पर नोमीनेशन्स पहुँच चुके थे लेकिन फिर भी उस इलेक्शन को डिक्लेअर नहीं किया। उनको अनअपोज्ड डिक्लेअर होना चाहिये। चूंकि पंचायत समिति के सदस्य जो सरपंच थे उन्होंने सिविल जजी में याचिका पेश कर दी और इस तरह से कोऑप्शन के वक्त इस प्रकार का संकट नहीं आया। प्रधान द्वारा कहा जाता है। वहां कोऑप्शन होता है। उनके लिये कोई रास्ता नहीं वह सिविल जजी के अन्दर याचिका पेश कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन लाया गया है वह पूर्णतया ठीक है और यह कर रहे हैं उससे जनतन्त्र बहुत मजबूत होगा और इस तरह से राजस्थान के अन्दर तानाशाही नहीं रहेगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपका तो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : हमारा तो जनतन्त्र के अन्दर पूरा विश्वास है। आपको जनसंघ का जो मेनीफेस्टो निकला है उसको पढ़ना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर यह डेमोक्रेटिक जनसंघ क्यों?

श्री दयाकृष्ण विजय : इस तरह का नाम रखने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। अगर हम जनतन्त्र के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो हरेक व्यक्ति को न्याय देना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं वे यह खयाल करते हैं कि आगामी चुनाव में वे आने वाले नहीं और चुनाव चक्कर में फंस जाने से आम चुनाव की तैयारी नहीं कर सकेंगे। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि आम चुनाव के सामने वह आदमी परेशान हो जायं और इसलिये वे उनको न्याय देना नहीं चाहते....

श्री श्रीभानसिंह : Don't bother. I can face the electorate and I can face the electorate with this proposal also, whereas you will not.

श्री दयाकृष्ण विजय : We will see.

फिर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य के दिमाग में जो बू है कि आम चुनाव में प्रधान मदद के लिये तैयार हो जाय तो यह उनके लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जायेगा। इसके बिना एक बड़ा भारी केऑस हो जायेगा, असन्तोष पैदा हो जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी स्टेन्डिंग कमेटीज़ के चुनाव हुए उनको

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भी इसके अन्तर्गत रखने का विचार करना चाहिये।

इतने दिन के बाद कोई भी अदालतों में जाने वाला नहीं होगा। फिर भी हमें न्याय की दृष्टि से उनको न्याय देना चाहिये। इस पर सारे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये। स्टेन्डिंग कमेटीज में हार जाने के कारण जो निराश होते हैं स्टेन्डिंग कमेटीज़ के जब कि दुबारा चुनाव हो रहे हैं तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। इस संशोधन के बिना हम न्याय नहीं कर पायेंगे। इसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : इस समय सदन में जिस मसले पर बहस हो रही है वह मेरी निगाह से बहुत ही गम्भीर मसला है और इस मसले को एक दूसरी निगाह से देखना चाहिये। सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषद् में कोऑप्शन क्यों रखा? सरकार की मंशा है कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के द्वारा हमारे गांवों की उन्नति की जावे और उन्नति भी उन्हीं लोगों के हाथों से कराई जावे जो वहां के रहने वाले हैं। यह हमारा मूल कारण इनको बनाने में था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके वास्ते निर्वाचन की प्रथा रखी गई। कानून पास किया गया कि किस प्रकार से निर्वाचन कराया जावे और उसके कौन कौन मेम्बर हो सकते हैं। नियमित रूप से सामान्यत: केवल समितियों में और पंचायतों में उन्हीं लोगों को अधिकार है जिनका कि जनता चुन कर भेजती है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह विचार किया और यह विचार बिल्कुल ठीक था कि जनता के चुने हुए मेम्बर आवेंगे। वे ऐसे नहीं होंगे कि हमारे क्षेत्र के सभी मसलों को समझने में वे सशक्त हों। क्यों? राजस्थान सरकार की जो विकास योजनायें हैं वे ऐसी विस्तृत और गूढ़ हैं कि राजस्थान के पंचायतों के सभी मेम्बर की हैसियत से चुन कर आने वाले उनको टैकल नहीं कर पावेंगे। इसलिए उस काम को पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार ने कोऑप्शन से मेम्बर लेने की प्रथा डाली।

राजस्थान सरकार को मालूम था कि उनमें स्त्री समाज को इलेक्शन में कोई मौका नहीं दिया जावेगा। इसलिये राजस्थान सरकार ने यह उचित समझा कि स्त्रियों को कोऑप्शन का अवसर दिया जाता। यह भी सरकार को मालूम था कि गांवों में सर्वत्र हरिजनों और आदिवासी लोगों को इलेक्टेड मेम्बर होकर आने का बहुत कम मौका मिलेगा। इसलिए राजस्थान सरकार ने यह उचित ही समझा कि उनको भी कोऑप्शन का अवसर दिया जाय।

साथ ही, सरकार ने यह भी समझा कि जो इलेक्टेड मेम्बर आवें मुमकिन है ऐसे हों, न हों कि जो प्रशासनिक दृष्टि से योग्य न हों या हों और ऐसे भी आवें जिनका सारा जीवन उस क्षेत्र में जन सेवा करते गुजरा हो पर इलेक्टेड होकर नहीं आ सकते हों। तो ऐसों को भी मौका देने के लिए और उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिये और इस विकास का काम पूरा करने के लिये उनकी सेवाओं को

(श्री रामचन्द्र)

आवश्यक समझ कर यह कोऑप्शन का मसला रख दिया था।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन दो भाग हो गये। एक वे जो इलेक्टेड हैं और दूसरे जो इस काम को पूरा करने के लिये कोऑप्शन से आये हैं। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि हरिजन और महिला विभाग यह वर्ग ऐसा है कि जिनको अदालतों का ज्ञान नहीं। खास तौर पर स्त्रियों को अगर उन कोऑप्टेड सदस्यों के खिलाफ याचिकाएं हो जावेंगी तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि गांवों की महिलाएं कोई भी आकर वहां खड़ी नहीं होंगी। इसलिये इस बात का ध्यान रखिये यहां कि इसमें याचिकाओं का प्रावधान यहां उनके खिलाफ न रखा जावे।

दूसरी बात यह है कि आदिवासियों का सवाल आर्थिक दृष्टि से भी इतना गिरा हुआ है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं मिलेगा कि वे याचिकाओं के लिये मुकदमे अदालतों में जाकर लड़ सकें। इसलिये ये दोनों बीच के वर्ग इससे वंचित रहेंगे और उन पर, उनके अधिकारों पर एक तरह से यह कुठाराघात होगा। इसलिये कल जो अमेंडमेंट जिस रूप में रखा था, मैं तो चाहता हूँ, उस रूप में जब शुरू में कानून को बनाया गया था बड़ा अच्छा बना था और उसी तरह रहना चाहिये। कोऑप्शन पर कोई चुनाव याचिका के लिये अवसर नहीं दिया जाना चाहिये और उसी मूल अमेंडमेंट पर मन्त्री महोदय को रहना चाहिये। अगर आपने याचिकाओं का बोझा स्त्री समाज और हरिजनों पर डाल दिया तो वे कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

तीसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले चुनावों के अवसर पर बहुत सी समितियां कोऑप्शन के जरिये से बनी हैं। चाहे उनका लाभ विरोधी दलों को मिला हो या किसी को; पर यदि आप इस तरह का अपील और चुनाव याचिका का मौका देंगे तो मैं यह निश्चयपूर्वक कहता हूं कि बहुत सी समितियां जो शान्ति से काम कर रही हैं उनका भी विघटन हो जावेगा और यह होगा कि जिलों में कई हिस्सों में विकास का काम स्थगित पड़ जावेगा और इसका सबसे बुरा प्रभाव जो होने वाला है आइन्दा चुनावों पर भी होने वाला है। क्योंकि आइन्दा चुनाव इन्हीं पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के आधार पर हो रहा है। आज एक सेट-अप कायम हो गया है उसको रहने दीजिये, उसमें व्यवधान मत डालिये। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो संशोधित धारा रखी गई है उसको डेफर किया जावे और कमेटी मुकर्रर करें कि अपने कानूनी अधिकारियों की मदद से रीकन्सीडर करें और फिर कहूँगा कि कोऑप्शन मेम्बर के खिलाफ चुनाव-याचिका को कभी परमिशन नहीं देनी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : इस विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जिन पर आपने इतना खर्च किया और चुनाव कराये उसमें फिर चाहे भले ही किसी के विचार कुछ हों; पर मेरे व्यक्तिगत विचार यह हैं कि ऐसे

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मामलों में जो गड़े मुर्दे हैं उनको फिर से जगाने में और वह भी जैसे कि कयामत के दिन पर कब्रों के अन्दर सोते हुओं को जगाने का जैसा सवाल है तो उसी तरह इनको फिर से जगाने में कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो सब जगह गड़बड़ियां हो जावेंगी और बड़े चुनावों के समय तक कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जावेंगी।

यह हो सकता है कि अपनी अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में अलग अलग तरह की स्थितियां हों। पर सब जगह लाखों, करोड़ों रुपया जनता का खर्च किया गया और इसके अलावा हजारों गैलन तेल इसके वास्ते रोजाना जला है और फिर उठ कर यह सवाल आया है। माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे खयाल में इसमें वाह वाही तो काफी हासिल कर ली होगी कि इसको फिर उठाया जावे; पर मेरा ख्याल है कि उनको शायद चौतरफ से प्रेरणा हुई होगी जिसके वास्ते इस प्रकार के सवाल खड़े किये जाते हैं। बहुत सी जगह कॉन्स्टीट्युएन्सीज के अन्दर और पंचायत और न्याय पंचायतों में भी जगह जगह सवाल उठ रहा है। यह भी कहा जाता है कि इससे स्त्रियों, हरिजनों और आदिवासियों को बड़ी भारी दिक्कत हो जावेगी और दूसरी भी जो पार्टियां हैं उनको भी दिक्कत हो जावेंगी अगर यह सवाल पैदा नहीं हुआ तो।

(३ म० प०)

तो जिस समय कोऑप्शन के समय प्रश्न आया है तो चुनावों में सभी पार्टीज़ होती हैं। और उस समय सभी पार्टीज़ का सवाल रहता है। अब किसी पार्टी के कम आ जाना और किसी के ज्यादा आ जाना यह तो चुनाव की पद्धति पर है। इसके लिए तो यही प्रश्न आता है कि उनके वास्ते यह सवाल क्यों उत्पन्न हो? तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जब एक बार यह प्रश्न पूरे विचार के साथ उत्पन्न हो चुका तो इसको अब नये तौर पर उठाना है। तो मैं तो इसको थोड़ा गलत कदम समझूंगा।

मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि चाहे ज्यादा विचारधारा वाले सदस्य इस बात के लिए चाहते हों लेकिन कभी तो इसका अन्त आना चाहिये। बहुत सी पार्टीज़ डर रही हैं कि इस चुनाव के सबब से बड़ी दिक्कतें हो जायेंगी, सिर तोड़ कोशिश की जायेगी। इस समय गवर्नमेंट का यह अन्दाजा है कि यह चुनाव पद्धति ऐसी है कि जिसके सबब से बड़ा भारी फायदा हो रहा है। मैं तो यह समझता हूँ कि जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, यह चीज कहां तक जाकर पहुँचेगी? रसातल तक पहुंचेगी या शिखर पर पहुँचेगी; यह हिस्ट्री नहीं तो पास्चेरिटी बतायेगी; लेकिन इस तरह से यह बात तय हो चुकी है, खतम हो चुकी है तो इसको नवीन तौर पर फिर उठाना मैं तो अनुचित समझता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी और भी तो बिल हैं, वे कब पास होंगे, सारा समय इसी में लग जायेगा तो? यदि उनको रीडिंग करके ही पास करना है तो दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: Yes Shri Brij Sunder, Sharma.

Page No.82

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस अमेंडमेंट को पढ़ा तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस तरह का अमेंडमेंट है और इसकी भाषा किस तरह की है, और किस तरह फिट-इन होता है। क्योंकि मैंने तो इतने सालों के कानून के अध्ययन के पश्चात् इस तरह की भाषा तो आज तक किसी भी कानून में नहीं देखी....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : It is a fight between the Finance Minister and the Ex-Finance Minister.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसीलिए इस सदन के सम्मुख कुछ ऐसी दलीलें रखना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मन्त्री इस अमेंडमेंट के बारे में सोचें और सोच करके इसको वापिस लेने की कृपा करें। मेरी दलील इस मेन एक्ट के ऊपर और इस सम्बन्ध में जो अब तक अमेंडमेंट हुए उनके ऊपर आधारित है। मैं इस सदन का ध्यान पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट की धारा १३ के ऊपर पहले दिलाना चाहूंगा और उसके पश्चात् जो धारा ७१ (ए) पहले थी उसके ऊपर दिलाना चाहूंगा और उसके पश्चात् जो बिल हमारे सामने आया उसकी धाराओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अमेंडमेंट बिल्कुल बेउसूल है और इससे जहां कई गड़बड़ियां होंगी वहां जो अब तक सैकड़ों मामले फैसल हुए हैं वह वापिस उखड़ करके नये मामले दायर होंगे। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस प्रकार का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाये।

पहली चीज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई हक हासिल हो जाता है तो वह उससे नहीं छीना जा सकता। जब एक व्यक्ति एक पिटीशन को चाहे किसी भी आधार के ऊपर हो, चाहे इस आधार पर हो कि वह पिटीशन लाई करता है या नहीं, चाहे किसी दूसरे आधार पर हो अगर वह पिटीशन खारिज हो जाती है तो इतने अर्से के बाद यह अधिकार देना कि पहले पिटीशन किसी गलत तरीके से खारिज हो चुकी तो वह उस मामले को री-ओपन करा सकता है। तो यह अधिकार जो दूसरी पार्टी को प्राप्त हो चुका है उसके वैस्टेड राइट को छीन करके वापिस उसको रिव्यू कराने के बारे में यह संशोधन होगा।

पहले तो पंचायत और जिला परिषद् एक्ट में धारा १३ के अनुसार मैं निवेदन करना चाहूँगा कि धारा १३ इस तरह से है :

"The election of a Pradhan or Up-pradhan of a Panchayat Samiti may be called in question by any member thereof by presenting in the prescribed manner to the Judge a petition inthis behalf on the prescribed grounds and within the prescribed period."

इसमें यह अधिकार दिया हुआ था कि प्रधान और उप-प्रधान के इलेक्शन को उसका सदस्य चैलेन्ज कर सकता है क्योंकि उसमें खड़ा भी वही हो सकता था कि जो व्यक्ति पंचायत समिति का मेम्बर होता। इसलिए दफा १३ तो ठीक है। उसके बाद ७१ (ए) में अमेंन्डमेन्ट आया कि जिसमें को-ऑप्शन के मामले में भी यह चीज आई।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

"The provisions of section 13 shall mutatis mutandis apply to the co-option of members of a Panchayat Samiti under section ll or section 18, the election or co-option of a member or Chairman of a Standing committee of Pa anchayat Samiti under section 20 and to the co-option of members of a Zila Parishad under section 44or clause (iv) of sub section (2) of section 46."

इसमें चूंकि यह रेफरेन्स है सेक्शन १३ का और सेक्शन १३ में मेम्बर ही कोई प्रजेन्ट कर सकता था तो यह ७१ (ए) के अनुसार अधिकार जो हरएक केन्डीडेट को हासिल है कि अगर उसके मुकाबले में कोई खड़ा हुआ है तो उसके इलेक्शन को चैलेन्ज कर सकता है और क्योंकि ७१ (ए) में यह अधिकार नहीं था इसलिए यह अधिकार देने के लिए यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। वह अमेन्डमेन्ट बिल्कुल सीधा और साफ इस बिल में प्रस्तुत हुआ कि जिसमें को-ऑप्शन के मामलों को उन केन्डीडेट्स के द्वारा जो कि सदन के मेम्बर्स नहीं थे लेकिन केन्डीडेट की हैसियत में थे वह उसको चैलेन्ज कर सकते थे। लेकिन उसमें जो पेन्डिंग पिटीशन्स और ऐसे मामले जो अब दायर हैं उनमें इसके बारे में था प्रोसीजरल लॉ है इसमें और पीटिशन जो प्रजेन्ट होगी और जिसका फैसला अब होने वाला है वह पेडिंग हैं तो ठीक है, वह उस कानून के तहत में फैसला होगा। लेकिन अब जो अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है उसके बड़े स्ट्रेन्ज वर्ड्स हैं। आप मुलाहिजा करें, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें है :

"(2) If, before the 31st day of August, 1961, any personbeing, a candidat efor or at such co-option or elec tionas is referred to in sub-section (1):-

(a) shall have called in puestion the same by presenting a petition..."

ठीक है, अगर उस समय उसको अधिकार नहीं था तो नहीं था। कानून है, उसने अधिकार नहीं दिया तो प्रजेन्ट नहीं कर सकता था। वह कहता है कि "shall have called in question". अब तो सभी आ जायेंगे कि मैंने तो इसी वजह से पिटीशन नहीं की कि मुझे तो अधिकार नहीं था क्योंकि उसको मेम्बर्स ही कर सकते हैं तो वह तो नहीं की। तो कहता है :

"(a) shall have called in Question the same by presenting a petition which shall have been dismissed on the ground that he did not happen to be a member of the panchayat Samiti or the iia Parishad, as cap the case may be, or..."

फिर और आगे बढ़ते हैं :

"(b) may have presented, but did not present......"

वह आकर कहेगा कि मुझे तो पता होता तो मैं आसमान और पाताल एक कर देता और जरूर पीटिशन पेश करता लेकिन पीटिशन चूंकि उस समय पेश करने का हक नहीं था तो इतने दिनों के बाद जब कि ६ महीने या ८ महीने हो जाते हैं और अब हक दे रहे हैं कि तुम अब पीटिशन करके सारे मामले को ओपन कर सकते हो और किसी को कह सकते हैं कि वह सोशियल वर्कर नहीं हैं। १०

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

महीने काम करते हो गये हैं, उसके ऊपर पीटिशन नहीं हो सकता था तो आप यह अमेन्डमेन्ट करके उसके राइट को छीन कर जो कि आपने पहले दे दिये हैं उसको वापिस मैदान में लाना चाहते हो कि तुमको अधिकार नहीं है। तो कभी भी, अमेंडमेंट एक्ट के जरिये उनका राइट कभी भी नहीं लाया जा सकता है : "...may have presented, but did not present, such a petition under the belief..." यह कभी बिलीफ की बात मेरी समझ में आती कि "बिलीफ" क्या होता है ? बिलीफ कोई चीज नहीं होती fact is fact. अब वह आता है "...under the belief that because of his not being a Member of the Panchayat Samiti..." फिर कहते हैं "...such person, may, within a period of forty days from the said day or from the date on which the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Act, 1961, comes into force, whichever expires later, present a petition to the Judge,-(i) in the case covered by clause (a) for setting asde the order of dismissal"

मुझे तो कहीं यही समझ में नहीं आता कि पिटिशन डिसमिस होगी। डिसमिस हुए कभी १० महीने हो गये। १० महीने बाद में फिर पिटीशन देंगे। रिव्यू आम तौर पर लीगल ग्राउन्ड पर होता है। लीगल ग्राउन्ड भी कोई ग्राउन्ड नहीं होता है। फिर अगर लीगेली कोई डिफेक्ट रह गया है, कानून के विरोध में कोई चीज़ हो गई है तो रिव्यू नहीं होता है। रिव्यू के लिए सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर में जो लिमिटेशन्स में है उन लिमिटेशन्स में कहीं तो रिव्यू करने का अधिकार दें, वर्ना खास तौर से रिव्यू करने का अधिकार इस खास कानून में खास तरीके से दिया जाना, यह मेरी समझ में, श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, नहीं आता।

"...in the case covered by clause (a) for setting aside the order of dismissal and reviewing the original petition so dismissed, or

(ii) in the case covered by clause (b), calling in question such co-option or election unless the validity thereof shall have already been determined on the merits by the Judge or by any other competent Court in any proceeding."

ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब पिटीशन लाना ही पसन्द नहीं करे तो मैरिट्स पर डिसाइड क्या होगा ? ऐसे जज साहब हों जो कि यह नहीं सोचें कि पिटीशन लाई करती या नहीं और मैरिट्स पर फैसला दें तो हो जाता है; वर्ना पिटीशन लाने का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो मैरिट्स पर कैसे डिसाइड करेगा ? तो यह रिडन्डेन्ट चीज़ सारी हो जाती है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे सारे पुराने मामले खोल दिये जायेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का यह जो अमेंडमेंट है उसको वह वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No, Sir, Members want to speak.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मिनिस्टर साहब का नाम दे दिया गया है। समय भी नहीं है और चूंकि दूसरे बिल भी पास होने को हैं तो....

श्री पी० के० चौधरी : The amendment has not been circulated, Sir. We have been taken by surprise.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सदन में अलाउ कर दिया था। माननीय मंत्री महोदय को जब कि रूल्स के अनुकूल एक बार कॉल कर लिया जाय भाषण करने के लिए....

श्री पी० के० चौधरी : The Members should be allowed to give vent to what they actually want.

श्री भैरोंसिंह : बाकी के बिल्स का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of the right of the Hon'ble Member. I allow the Hon'ble Member. I will try to adjust.

श्री भैरोंसिंह : Point of Order, Sir. बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के अनुसार हमें आज के दिन में ४ बिल पास करने हैं। अभी तक एक बिल पास किया है और एक बिल के ऊपर विचार कर रहे हैं जो कि कल पास होने चाहिए थे। वैसी स्थिति में आप से अर्ज करता हूं कि बाकी के चार बिल्स पास करने के लिए क्या सदन और माननीय उपाध्यक्ष की यह मंशा है कि उन बिल्स पर चर्चा नहीं की जाय ? सदन कल एडजोर्न होने वाला है और मीटिंग नहीं होगी। वैसी स्थिति में दो बिल्स को समय कैसे और किस प्रकार से देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि वे जल्दी से खत्म करेंगे और वह संक्षेप में भाषण देंगे। और माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि जितने संक्षेप में भाषण दे सकें उतने में दें।

श्री पी० के० चौधरी : Point of Information, Sir...

श्री भैरोंसिंह : बाकी के बिल्स का क्या होगा ? बाकी के बिल्स नहीं लिये जायेंगे तो बता दें।

श्री पी० के० चौधरी : Point of Information, Sir. The Business Advisory Committee fixed 9 Bills for 21st and 22nd, but only one or two Bills were considered yesterday. If the Hon'ble Member was so anxious about it, atleast 4½ Bills ought to have been passed yesterday. But that has not been done.

श्री भैरोंसिंह : There was no co-operation from your side.

श्री पी० के० चौधरी : Business Advisory Committee did not fix four Bills for today. It fixed 9 Bills for yesterday and today together.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कोऑप्शन में हारे हुए सदस्यों को रिट करने का अधिकार दिये जाने का जो संशोधन रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं और वह इसलिए कि मेरा तो 'कोऑप्शन' शब्द से ही विरोध है। क्योंकि जिस समय पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल पास हो रहा था उस समय उसकी मन्शा यह थी कि कोऑप्शन में उन लोगों का सहयोग लिया जाय जो कि मिलिट्री में रहे होंगे या जिनका अच्छा अनुभव हो उनको कोऑप्शन में रख कर विकास के काम में उनसे सहयोग लिया जाय। उसके स्थान पर क्या होता है कि कोऑप्शन तो यह समझ कर बिल में पास किया था किन्तु कोऑप्शन से बाहर का आदमी आ जाता है। पहली बात तो यह है। चुनाव लड़े दूसरा और खर्च करने के बाद वह बैठा रहे और कोऑप्शन से आया हुआ व्यक्ति प्रधान बन कर चला जा सकता है। 'रंग लगी न फिटकरी' वह प्रधान बन जाता है। कोऑप्शन को गांव के लोग नहीं समझते हैं तो वहां पर 'कोऑप्शन' तो नहीं रहा लेकिन उसका नाम 'करप्शन' ले लिया गया है, कोऑप्शन का मतलब करप्शन समझने लगे हैं। वे करप्शन से प्रधान बन जाते हैं। ऐसे लोग पंचायत समिति के विकास के काम को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन करप्शन के बल पर फिर भी बैठे रहे। करप्शन से जो आयेगा वह तो पंचायत समिति में घोटाले करेगा। तो सही मायने में पंचायत समिति और जिला परिषद् से जो काम लेना चाहते थे उनमें कमी रहेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन लाते और करप्शन नाम को हटा देते, बिल से 'कोऑप्शन' को बाहर कर देते। चुनाव होकर जनता के वोट लेकर जो आता है उसको प्रधान बनाया जाना चाहिए। हजारों रुपये खर्च करके जो आता है उसको प्रधान नहीं बनाते हैं और करप्शन से आया हुआ प्रधान बने। उस करप्शन से आये हुए आदमी को भी अगर वह हार जाय तो रिट का अधिकार दिया जाय; यह बात उचित नहीं है। कोऑप्शन से आये हुए व्यक्ति को रिट का अधिकार नहीं देना चाहिए। इस शब्द को ही पंचायत समिति के बिल से हटाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय यह संशोधन लायेंगे कि कोऑप्शन नहीं हो। कोऑप्शन से आया हुआ जो सदस्य है उसका एक वोट कम हो गया तो इतना लड़ाई-टंटा करेगा, झगड़ा होगा और उसके साथ आगे पिटीशन चलायेगा तो फिर झगड़ा-फिसाद होगा और विकास की जगह अंधकार हो जायगा। करप्शन या 'कोऑप्शन' को हटा दें और उसको यह अधिकार नहीं दें तो यह उचित होगा। उससे विकास में बाधा नहीं पड़ेगी। अगर लड़ाई-टंटा होगा तो गांव का जो विकास करना चाहते हैं वह बिगड़ जायेगा। रिट पिटीशन का नया अधिकार नहीं दें। पहले हो गया वही सही है। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इसका विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister !

(श्री सोहनलाल भटनागर के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Hon'ble Member from Salumber, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : No. I have no time now.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कल सुझाव मेरे सामने आया, और आज जब यह संशोधन पेश किया तो मेरे सामने सवाल यह था कि जो कुछ लोग इस न्याय से, इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं, वैसे तो पिटीशन का राइट तो दिया गया था, कुछ कसर रह गई थी, खामी रह गई थी उसका प्रोविजन इसमें करना था । मैं नहीं समझ सकता था, न ही समझता कि उसके ऊपर आज इतना विरोध होगा और विरोध उसी तरफ से नहीं इधर से भी-उन माननीय सदस्यों की तरफ से भी होगा जिनकी मैं इज्जत करता हूँ और वयोवृद्ध हैं, उन्होंने भी यह बताया कि ...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपके बराबर के ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने बताया कि गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और झालावाड़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने स्त्रियों और हरिजनों का नाम लेकर कहा कि सबको बड़े खतरे में पड़ जाना पड़ेगा । और कानूनी बहस भी ऐसी हुई है और यह सवाल उठाया गया कि कोऑप्शन का अधिकार दिया गया है वह वाजिब है या नहीं, उससे लाभ हुआ है या हानि हुई है ? पहले इसकी चर्चा आपस में भी हुई है, और भी हुई है । मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मैं भी इस राय का बनता जा रहा हूं कि इसमें जो प्रावधान कोऑप्शन का रखा गया है उस पर आगे बढ़ें या नहीं । अब इसका विरोध जिनको है, है और दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों को विरोध है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप दबें नहीं, हम आपके साथ हैं । आप हुकूमत के मंत्री हैं, डिप्टी लीडर हैं फिर डरते क्यों हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि मैं इसके विरोध का खयाल नहीं करूं, जो कि डेमोक्रेटिक स्प्रिट में खयाल करना चाहिये और इस बात की जिद करूं कि इसको पास करना ही चाहिये तो मुझे विश्वास है, कांग्रेस पार्टी में विश्वास है कि वह डिसिप्लेन में रहेगी....

श्री भैरोंसिंह : पीछे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बैठे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आज इस सदन का आखिरी दिन है । उस समय कम से कम इस तरह का संशोधन पेश किया जाय और वह भी मेरे जरिये जिसका यहां इस प्रकार से विरोध है, जिसको अच्छा जान कर मैंने स्वीकार किया यदि उसका असर सब पर होता और सभी प्रसन्नता से इसे स्वीकार करते तो शोभा बढ़ती । यदि इसी तरह से जोर देते तो पास हो तो जायेगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह से जोर दिया जाय........

श्री भैरोंसिंह : आप घबराते क्यों हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : न तो मैं आपसे और न आपके दल से घबरा कर इसको वापिस लेना चाहता हूं । लेकिन मैंने तो हिसाब लगा कर देखा....

Page No.88

श्री भैरोंसिंह : वह हिसाब कल नहीं समझ में आया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि अभी जोर देकर पास करता हूं तो क्या लाभ होगा और विथ्ड्रॉ करता हूं तो क्या हानि होगी ? मैंने हिसाब लगा कर देखा कि यदि पास कराता हूं तो सब को बैचेनी होगी और विथ्ड्रा करता हूँ तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जिन्होंने सुझाव दिये वे भी महसूस करेंगे कि उनको ज्यादा लाभ नहीं, वे जिनके लिए कर रहे हैं। मैंने इसे अच्छी भावना से रखा था और अच्छी भावना से ही मनाना चाहता था, लेकिन सदन में इसका विरोध देख कर चाहता हूं कि मुझे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ में "If before the 31st day of August, 1961 any person, being a candidate for or at such co-opti on, or..." etc. etc. मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ना पक्ष जीता। 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then Divsioon Bell.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में प्रस्तुत संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह : जी नहीं, 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : जो 'हां' के पक्ष में हैं वे कृपया अपने आसन पर खड़े हो जावें।

श्री भैरोंसिंह : मैं दा साहब से निवेदन करूंगा कि वे तो नहीं खड़े होवें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भैरोंसिंह से) आप आसन ग्रहण करें।

जो 'ना' पक्ष में हैं वे कृपया अपने आसन पर खड़े हो जावें।

श्री भैरोंसिंह : We accept our defeat, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then it does not need any declaration of the number. 'हां' पक्ष जीता, संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समितिज़ एंड जिलापरिषद् (सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (राजस्थान विधान सभा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स अमेन्डमेन्ट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है :

"The provisions for the use of a State car, house accommodation, travelliing allowances, medical facilities and the like, to be availed of by the Speaker and the Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly as contained in the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957) are similar to those

(श्री भैरोंसिंह)

provided for Ministers and Deputy Ministers in the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1956."

इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की फेसिलिटीज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मिलेगी; जो मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स को फेसिलिटीज़ मिलती हैं वे इनको भी मिलनी चाहिये। मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि इसमें जो डिप्टी मिनिस्टर को फेसिलिटीज़ मिलती हैं वे डिप्टी स्पीकर को नहीं मिलनी चाहिये और वह इसलिये नहीं मिलनी चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधान सभा मन्त्री) : माननीय सदस्य गलत समझे हैं, नई फेसिलिटीज़ नहीं देनी हैं। नई फेसि-लिटीज कानून में मौजूद हैं, जिनके अन्तर्गत ऑलरेडी दे रहे हैं। उनको लिमिट करने के लिए रूल्स बनाये जा रहे हैं और उनको लिमिट किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नई फेसिलिटी दी जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : अभी तक फेसिलिटीज़ उठाई गई हैं वे बिना कानून के उठाई गई हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में हैं....

श्री भैरोंसिंह : बिना रूल्स के फेसि-लिटीज दी जा रही हैं, ऐसा मान सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में ऑलरेडी हैं उनको लिमिट करने के लिए यह बना रहे हैं। The law is already there.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है:- "Section 7 of the Rajasthan Act 6 of 1957 provides for certain medical facilities to the Speaker and the Deputy Speaker and such provisions are subject to rules to be made in that behalf. Clauses (d) and (g) of sub-section (2) of Section 11 of that Act empowers the Government to make rules" फिर गवर्नमेंट कहती है कि रूल मेकिंग पॉवर के लिए, इसे रेगुलेराइज करने के लिए करना चाहती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें ऊपर लिखा हुआ है, आप कानून को जानने वाले हैं। Section 5 of the Act No. 6 of 1957 provides for a State car to be placed at the disposal of the Speaker and the Deputy Speaker and section 6 of that Act provides for house accommodation for them."

यह प्रोविजन मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिए है। मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिए रूल्स बने हुए हैं लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए रूल नहीं हैं। जहां तक रूल्स का सवाल है वे अभी तक नहीं हैं। वे गलत समझ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम कह रहे हैं कि रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता इसलिए नहीं है...........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स नहीं बनायेंगे तो अनलिमिटेड पॉवर्स रहेंगी।

श्री भैरोंसिंह : वह रह नहीं सकती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के लिए नहीं होनी चाहिए, वह कर नहीं सकते। कानून में ऑलरेडी है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक एक्ट के तहत रूल्स नहीं बनते, आप पेसिलिटी प्रोवाइड कर नहीं सकते और आपने पेसिलिटी प्रोवाइड कराई है तो गलती की है। अब आप उस गलती को दुरुस्त करवाना चाहते हैं, रूल्स के द्वारा। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के बाहर की सारी स्टेट्स के डिप्टी स्पीकर के इमोल्यूमेंट्स देखें जायं तो आपको जानकारी होगी कि दो, तीन स्टेट्स को छोड़ कर विधान सभा के उपाध्यक्ष को कहीं २००) रुपये तनख्वाह मिलती है, कहीं ४००) रुपये हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करूंगा कि जो बहस की जा रही है वह इर्रेलेवेन्ट है और इस बिल से इसका ताल्लुक नहीं है। आप बोलना चाहते हैं तो टू दी पोइन्ट बोलें इस कानून पर। आप सदन का समय खराब कर रहे हैं, यह उचित नहीं होगा। आप कहते हैं कि अमेंडमेंट किया जाय वह नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप सदन का समय खराब कर रहे हैं........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे इस पर आपत्ति नहीं, आप कुछ भी कहिये लेकिन आप इर्रेलेवेन्ट बात कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं और डिप्टी स्पीकर से अपील करूंगा कि आप इनको चैक कर दें। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्लोजर मोशन मूव कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैं कर दूंगा। आप मुझे समझाते हैं क्या ?

I know the law and I know more than you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गुस्सा क्यों करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मुझे बताते हैं ? आप मुझे रूल बताते हैं ? मैं नहीं जानता क्या ? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता ?

श्री भैरोंसिंह : आप डराते किसको हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You want to create the same thing again.

श्री उपाध्यक्ष : order ! order !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप दोनों खड़े होकर फिर बोल रहे हैं। यह क्या तरीका होता है........

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री भैरोंसिंह : Should I continue, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Speak to the objection that has been raised by the Hon'ble Minister because the provisions are already there in the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act. Therefore, these are not challengeable on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : इस कानून को प्रस्तुत किया जा रहा है, यह कानून इसलिए है कि जो एक्ट में अधिकार सरकार को मिले हुए हैं उन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाय। उनका प्रयोग करने के लिए नियम बनाये जायं और उन नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाय। मैं चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, उन नियमों की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सरकार को ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहिए, जिसके द्वारा डिप्टी स्पीकर को जो फेसिलिटीज़ देना चाहते हैं उनको कंट्रोल किया जाय और वह इसलिए की जा सके कि राजस्थान के अलावा बाकी स्टेट्स के लेवल पर राजस्थान को लाया जा सके....

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have given my observations on this issue that Sections of particular Act are not to be challenged on the floor of the House and only the points pertaining to rules which the Government intends to frame are to be discussed.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि एक्ट बना हुआ है और रूल्स बने हुए हैं और जो रूल्स बने हुए हैं मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिए वे लागू करना चाहते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। क्वेश्चन इतना सा है इस सारे एक्ट का। यदि इस सारे का सार निकाला जाय तो यह है कि एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अनुसार फेसिलिटी प्रोवाइड करनी है और एक्ट में जो सिमिलर फेसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को देना चाहते हैं। उसके लिए एक्ट में प्रोविजन है और वह रूल्स को गाइड करते हैं मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को फेसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए; वही रूल्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर लागू होंगे। इसलिए सारे कानून में संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मेरा कहना है कि यह इस सेंस को लेकर मूव किया जा रहा है जिसकी कि आवश्यकता नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि यदि वे रूल्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर लागू होते हैं तो उन्हें वे फेसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो हमें नहीं देना चाहते; वे मिलेंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति के अन्दर जो रूल्स बनाने की बात है, बने हुए रूल्स को लागू करने की बात है उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध इसलिए करता हूँ कि राजस्थान के बाहर की जो स्टेट्स हैं उनके डिप्टी स्पीकर के इतने इमैल्युमेंट्स नहीं हैं; एक, दो स्टेट्स में इतने हो सकते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member is again harping on the same issue. The emoluments have been fixed by a particular enactment passed by this House and, therefore, that issue is not to be discussed on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : कारण मुझे बताने पड़ेंगे कि ये रूल्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होने चाहिए। ये कारण मुझे बताने पड़ेंगे। केवल मेरे एक शब्द कहने से कि एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, अगर सदन एग्री करता है तो I am ready to sit down. लेकिन सदन को कन्विन्स करना है तो वह बताना पड़ेगा कि ये रूल्स एप्लाई क्यों करने चाहिए। जब तक यह नही बतलाऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मैं कारण बता रहा हूँ कि वे चाहते हैं कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिए जो रूल्स बने हुए हैं जिनमें कि फेसिलिटी प्रोवाइड करने की व्यवस्था दी गई है, वे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर लागू नही होने चाहिए। और जो लागू करने के लिए कानून आ रहा है, उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध क्यों कर रहा हूँ, उसके कारण बता रहा हूं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह का प्रोविजन है एक्ट में और आप कह रहे हैं कि ये पेसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यह इर्रेलेवेन्ट है....

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मान कर चलता हूं कि वह एक्ट व्यवहार में नहीं आता, वह इनअफेक्टिव है इस कारण मुझे उसकी चिन्ता नहीं कि उसमें क्या प्रोविजन है। अगर कोई पेसिलिटी लेता है तो गलती करता है। ऐसी स्थिति में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर का नक्शा उठा कर देखें। उन स्टेट्स में जो इमोल्युमेंट्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के प्रेस्काइब किये गये हैं उनके अन्दर राजस्थान टोप करता है राजस्थान टोप करता है ऐसी स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान जहां घाटे की व्यवस्था लेकर चल रहा है, जहां गरीब जनता पर टैक्सेज़ वगैरह लगाये जा रहे हैं...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : On a Point of Order...

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि कानून के विरुद्ध आप बोल रहे हैं और उस पर डिप्टी स्पीकर ने व्यवस्था दे दी है। फिर भी आप उसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब ने बार बार ऑब्जर्वेशन दिये हैं, फिर भी आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह बोलना चाहते हैं तो हम नहीं बोलने देंगे। मैं डिप्टी स्पीकर से अर्ज करूंगा और माननीय सदस्य से भी अर्ज करूंगा कि हमारी टर्म की आज लास्ट डेट है और इस तरह के अनहेपी सीन क्रियेट करने की कोशिश करते हैं, जैसी कि आपने पहले भी की है और उसके लिए आपको पछताना पड़ा है, और फिर करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सबसे पहले तो मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : I take serious objection to his words.

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The Chair is on it's legs.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय मंत्रीजी को अपनी भाषा को सुधारना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कहता हूं वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : As the question now being discussed affects the Deputy Speaker, I would like not to be on the Chair and I have specially asked the Hon'ble Speaker to take the Chair so that the debate may be rightly directed and Members of the Opposition may not have any grouse if any observations are given by me.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : Should I continue, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : You will continue, but subject to the restrictions that have been placed before you.

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : कुछ कहने से पहले....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I rise on a Point of Order. स्पीकर महोदय, चूंकि इस चेयर पर आप आसीन नहीं थे, इसलिए मैं आपका ध्यान जो मैंने कहा उसकी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट पर बोलते हुए माननीय सदस्य, यह जो अमेंडमेंट आया हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुत्तलिक उसके मुत्तलिक माननीय सदस्य इस बात को कहना चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर के जो इमाल्युमेंट्स हैं वे नहीं मिलने चाहिए। मैंने निवेदन किया कि डिप्टी स्पीकर ने व्यवस्था दी कि यह ऑलरेडी प्रोविजन एक्ट में है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद माननीय सदस्य चैलेंज करते हैं और व्यवस्था के बावजूद भी नहीं मानते हैं। माननीय सदस्य को मना कर दिया कि इरेलेवेन्ट बहस न करें पर मानते नहीं। वे इरेलेवेन्ट नहीं जा सकते और उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप से निवेदन है कि दुबारा एक व्यवस्था देकर माननीय सदस्य को पाबन्द किया जाय कि इस प्रकार की बात न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की धारा २९८ की तरफ दिलाना चाहूँगा। अभी अभी इस सदन में बहस हो रही है और माननीय उपाध्यक्ष के बारे में विचार कर रहे थे तो अलवर की तरफ से आनेवाले माननीय मन्त्री महोदय ने जो बिल को पाइलोट कर रहे हैं उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें करेंगे तो उनको जिस प्रकार पहले पछताना पड़ा है उसी प्रकार फिर पछताना पड़ेगा। ये शब्द प्रोवोकेशन लानेवाले हैं। माननीय मन्त्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक सेकिन्ड में प्रोवोक हो जाते हैं और एक सेकिन्ड भी उनको फुल स्पीड पकड़ने में नहीं लगती । वे जल्दी फुल स्पीड में आ जाते हैं । मैं समझता हूँ कि साधारणतया कभी भी इस प्रकार की भाषा उनको प्रयोग में नहीं लानी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किये हैं उनसे विथ्ड्रा कराये जावें या प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज कराये जावें और यदि इस प्रकार संभव न हो और उनके साथ लीनियेंट व्यू रखें तो कम से कम उन्हें वार्निंग तो दे दी जावे कि वे इस प्रकार से प्रवोक न हों और जो भी भाषा वे काम में लावें वह संसदीय भाषा हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिल्कुल संसदीय भाषा है । माननीय सदस्य इस प्रकार मुझे दबाना चाहते हैं । मैं नहीं दबूंगा । चेयर ने जो रूलिंग दे दिया अगर वे उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो बाधा उपस्थित करूंगा और निवेदन करूंगा कि चेयर के रूलिंग के खिलाफ वे कुछ न बोलें । मैं फिर इन बातों को निवेदन करता हूँ कि मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहे हैं । अगर आप रूलिंग के खिलाफ करेंगे तो ऑबस्ट्रक्ट करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपका मतलब यह है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आप सदन की कार्यवाही को ऑबस्ट्रक्ट करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आप सदन की बात को नहीं मानेंगे तो करूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चूंकि हाउस की प्रोसीडिंग्ज को ऑबस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिये इनको हाउस से बाहर निकाल दिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : यदि प्रोटेस्ट करने की बात....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहस में इतनी गर्मी लाने की आवश्यकता नहीं है । अगर माननीय मंत्री महोदय; जैसा कहते हैं चेयर ने कोई किसी तरह की व्यवस्था पहले दे दी है तो उसके मुताबिक चलना चाहिये । अगर कोई आपत्ति है तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में उसका निराकरण कर लें ताकि डिबेट आगे बढ़े ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के क्लॉज़ ३ में लिखा है :

"(2) Until rules are made under sub-secrton (1) of this section read with clauses (d) and (g) of sud-section (2) of section ll, the rules governing the enjoyment of medical facilities by Ministers of the State Government and prescribing the conditions and extent of free accommodatian in hospitals and free medical attendance and treatment afforded to such Ministers shall, subject to the provisions of this section, govern and be deemed always to have governed the medical facilities and the conditions and extent of free medical attendance and treatmenl tobe afforded to an officer of the Legislstive Assembly of the State."

इसका मैं इसलिये विरोध करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि इस रूल की आवश्यकता नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है। यह जो कानून बनाना चाहते हैं कि जो रूल गवर्न करते हैं तो ये मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के बारे में जब तक रूल्स नये नहीं बनते हैं ये तब तक के लिये हैं। मिनिस्टर औरडिप्टी मिनिस्टर पर लागू होंगे और सब के लिये लागू हुए समझे जावेंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं और जब वह शामिल हैं तो राज्य की वित्त स्थिति का प्रश्न आता है और जब मैं बाकी की दूसरी स्टेट्स के एमोल्युमेंटस को देखता हूँ तो मुझे संभवत: देखना होगा कि राजस्थान के डिप्टी स्पीकर को दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा एमोल्युमेंट्स मिलते हैं........

श्री अध्यक्ष : एमोल्युमेन्ट्स दूसरी चीज है। यह एक्ट है जिसमें सब दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एमोल्युमेंट्स को छोड़ता हूँ। फेसिलिटीज़ हैं उनमें दिक्कत है। जब तक यह कानून नहीं बनता उसी समय तक लागू होता है। अगर यह कानून बन जाता है तो यह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट ने ऑब्जेक्शन किया है, हुकुम।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Is 'Hukum' parliamentary word, Sir?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can very well say 'Bada Hukum'. जैसे बड़ा हुकुम है उसी तरह से हुकुम भी है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो फेसिलिटीज का प्रश्न आता है इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के बाहर की विधान सभाओं में उपाध्यक्ष को मेडिकल फेसिलिटीज नहीं मिलती, कार की फैसिलिटी नहीं मिलती है।

एक माननीय सदस्य : किस में? Which State?

श्री भैरोंसिंह : बम्बई में।

ऐसी स्थिति में बाकी दूसरी स्टेट्स में जो फेसिलिटीज़ डिप्टी स्पीकर को मिलती हैं उनके पास जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : Proper course for the Hon'ble Member would be to bring an amendment to the substantive Act.

श्री भैरोंसिंह : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूँ कि एक्ट में प्रोवाइड रहेमगर इसमें एमेन्डमेंट लाने की जरूरत नहीं है। अगर यह आता है तो अपने आप इसमें यह आ जाता है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप कॉन्स्टीट्युशन को उठाकर देखें और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फंक्शन्स को देखें जो इस समय तक हैं तो आपको मालूम होगा कि उसमें बहुत अन्तर है। यहां तीन, चार चेयरमैन की पेनल है। उपाध्यक्ष हाउस में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में चेयर ऑक्युपाई करते हैं और उसी प्रकार से दूसरे पेनल ऑफ चेयरमैन भी उसी समय जाते हैं जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष उनको बुलाते हैं। वे भी तो बिना किसी प्रकार की फेसिलिटीज के काम करते हैं। जब चार व्यक्ति बिना किसी प्रकार की फेसिलिटीज के काम कर सकते हैं तो मैं

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का कानून में काम नहीं है, पॉवर नहीं हैं, फंक्शन्स प्रेस्काइब्ड नहीं हैं, तो दूसरे चार पेनल ऑफ चेयरमैन और इनमें कोई फर्क नहीं होगा। वह असेम्बली में कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। एसेम्बली के बाहर कोई काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मेरे और उपाध्यक्ष में कोई अन्तर नहीं सिवाय इसके कि मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता। मगर पेनल ऑफ चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर में there is not the least difference कोई लिस्ट डिफरेन्स नहीं है। वहां फेसिलिटीज और एमोल्युमेंट्स में इतना फर्क क्यों कि जब कि काम में कोई अन्तर नहीं? मुझे याद है, मैं पिछले समय विधान सभा का सदस्य था मैंने पिछले दफे भी उपाध्यक्ष को देखा है। उनको फेसिलिटीज बहुत कम मिलती थी। उनको तनख्वाह भी कम मिलती थी। अब इन उपाध्यक्ष को ज्यादा फेसिलिटीज मिलती हैं। उनके पास कोई काम नहीं था इसलिये उनको २००) रु० मिलते थे। मुझे मेडिकल और हाउस की फेसिलिटीज नहीं मिलती। कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं आया। मैं समझता हूँ कि हमारे उपाध्यक्ष भी बहुत त्यागी हैं और उन्होंने सरकार को इसके लिये कभी मजबूर नहीं किया होगा। वे कभी इसके लिये मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन सरकार जबरदस्ती उनको यह फेसिलिटीज देती है जिसे वे स्वयं लेना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे कि माननीयउपाध्यक्ष ने क्या कभी इस प्रकार की सरकार से मांग की है कि इस प्रकार की फेसिलिटीज उनको दी जावें? जहां तक मेरा खयाल है वे त्यागी आदमी हैं, इस प्रकार की मांग कभी भी वे सरकार को प्रस्तुत नहीं करेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कईबार मितव्ययता के बारे में कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं मितव्ययता का उदाहरण पेश करें। हम मजबूर होकर तनख्वाह लेते हैं, फेसिलिटी के नाम पर नहीं लेते हैं। पेट भरने के नाम से लेलें तो इसका औचित्य समझ में आ सकता है।

लेकिन एक मेम्बर को फेसिलिटी नहीं है। मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरे घर वाले बीमार हो सकते हैं; बीमार हो जाऊं तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाला भी नहीं मिलेगा। विधान सभा के सदस्य हैं. बीमार हो सकते हैं, उनको रहने के लिये मकान की, कार की आवश्यकता हो सकती है। ये सारी चीजें मेम्बरों के लिये नहीं हैं पर नाम लग गया डिप्टी स्पीकर का इसलिये उनको सुविधाएं मिलनी चाहिये, इसमें न्याय नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे आवेश में नहीं आवें, दूसरे राज्यों का उदाहरण दें कि दूसरे राज्यों में डिप्टी स्पीकर को क्या सुविधाएं हैं? यह ठीक है कि पिछले दिनों में स्पीकर्स कॉन्फरेन्स हुई थी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को इस बहस में लाने की आवश्यकता नहीं। आपकी भावना स्पष्ट है, अब आप थोड़े में समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़े में ही समाप्त कर रहा हूँ। तो माननीय अध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष को शामिल किया जा रहा है, ऐसे

(श्री भैरोंसिंह)

रूल्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनका नाम मात्र है, तो नाम के लिये इस तरह की फेसिलिटीज़ दी जायं, इसमें मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। अतः मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल का विरोध किया जाय और इस बिल को पारित नहीं होने दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (राजस्थान विधान सभा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है, इसका कारण सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और इसलिये मैं समझता हूँ मुझे बहुत विस्तार से इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : By giving reply, you are giving undue importance. नहीं तो आप रिप्लाई मत दो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा पर इतना निवेदन करूंगा कि हमारा मौजूदा कानून है उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के अनुसार सुविधाएं मिलनी चाहिये। रूल्स बनाने का रूल 7 है, prescribing the extent of free accommodation in the hospital. इसके मुताबिक रूल्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट के लिये इसमें लिमिट करने का प्रावधान नहीं है। हां, जितनी फेसिलिटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिये वह इसमें है। गवर्नमेंट को लिमिट करने का कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है तो अनलिमिटेड पॉवर रहेंगे और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। मिनिस्टिर और डिप्टी मिनिस्टर के लिये रूल्स बना दिये, पहले अनलिमिटेड पॉवर थे, जितना चाहें पैट्रोल खर्च कर सकते थे, अब रूल्स बना दिये हैं कि दो गैलन से ज्यादा पैट्रोल खर्च नहीं कर सकते। इस प्रकार के रूल्स नहीं होंगे तो उनको अनलिमिटेड पॉवर्स रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय इतनी स्पीड से बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स बना कर इस सम्बन्ध में हम निर्णय कर चुके हैं तो ऑब्जेक्शन क्यों आया है कि रूल नहीं बनाने चाहिये? रूल्स नहीं होने की हालत में तो अनलिमिटेड पॉवर्स रहेंगी। तो इससे तो माननीय सदस्य जो पर्पज हल करना चाहते हैं, वह हल नहीं होने वाला है। फेसिलिटीज़ तो उनको मिलने वाली हैं, कानून में प्रोविजन है, आपकी खुद की दलील से ही आपकी मंशा डिफीट हो जाती है।

इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह बिल जिस तरह है उसको उसी तरह पारित कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्युमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १९६१

(श्री अध्यक्ष)

को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्युमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्युमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १९६१ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६१

(आस्थगित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि एवं पशु-पालन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रवर समिति से पास किया हुआ राजस्थान स्टेट केटल फेयर्स बिल, १९६१ है। इसको विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यह सदन आज ५ बजे समाप्त होने वाला है....

श्री अध्यक्ष : आज पेश करना नहीं चाहते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सेशन में विचारार्थ लेने के लिये मोशन मूव नहीं करना चाहता। क्योंकि इसमें काफी अमेंडमेंट्स हैं, इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने का भी प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : Yes, we can take it leter on.

राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वेट्स एंड मेजर्स (एन्फोर्समेंट) अमेंड-मेंट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय। इसमें अमेंडमेंट नाम चेंज करने के बारे में है। इसके अलावा सुपरिन्टेन्डेन्ट के अलावा कन्ट्रोलर कर देना चाहिये। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसलिये इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एन्फोर्समेंट) अमेंडमेंट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

वेट्स एण्ड मेजर्स (एन्फोर्समेंट) अमेंडमेंट बिल, १९६१ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण (संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : वित्त मन्त्रीजी को मूव करना चाहिये, वे यहां नहीं हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है ।

श्री भैरोंसिंह : वे अभी मौजूद थे, उन्हें यहां रहना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकल फंड ऑडिट (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री दयाकृष्ण विजय ।।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोकल फंड ऑडिट (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ जो यहां विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ । हमारे राजस्थान के अन्दर जितनी स्वायत्त शासन संस्थाएं चल रही हैं, उनके अन्दर जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उनके सम्बन्ध में यदि गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो राजस्थान का विकेन्द्रीकरण का काम जिसके बारे में हम समझते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है, वह एक दिन फेल हो जानेवाला है ।

मैं अपने जिले में ध्यान देता हूँ तो मालूम पड़ता है कि जितनी पंचायतें और पंचायत समितियां हैं उनमें हमारे फंड्स का कितना दुरुपयोग पंचों और सरपंचों के द्वारा होता है । पंच और सरपंच इन फंड्स को अपने पास पड़ा रखते हैं । विकास कार्यों के लिये जो रकम आती है उसको विकास के कामों खर्च में नहीं करके अपने पास पड़ा रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आज मेरे जिले में कई पंचों और सरपंचों के पास आठ, आठ हजार, दस, दस हजार रुपया इस तरह के फंड्स का पड़ा हुआ है । उनको नोटिस दिये जाते हैं कि अमुक तारीख तक यह पैसा जमा कराओ पर वहां पर पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी के कारण वह रुपया जमा नहीं होता है और इस तरह हमारे जो फंड्स हैं उनका दुरुपयोग होता है । मन्त्री महोदय चाहें तो मैं कितनी ही पंचायतों के पंचों और सरपंचों के उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे फंड्स की रकम उनके पास अर्से से पड़ी हुई है । पंचायतों के लोगों ने पैसे ले लिये और जिस तरह इसका उपयोग होना चाहिये था उस तरह से उपयोग नहीं हुआ । कभी कभी तो यह कह देते हैं कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ठेकेदार रकम लेकर भाग गया । उन ठेकेदारों से पंच और सरपंच मिले रहते हैं, वे ठेकेदार वहां पर होते हैं और उनसे मिल कर गोलमाल कर लिया जाता है । इस तरह विकास के काम नहीं होते हैं और कई बार तो यह तक कह दिया जाता है कि ठेकेदार मर गया है, हालां कि ठेकेदार जिंदा है, इधर उधर भाग जाता है, छिप जाता है ।

(४. म० प०)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं अन्ता पंचायत समिति में बहुत बड़ा जो काण्ड हुआ है उसके विषय में । मैंने पहले इस विषय में निवेदन किया था और उसके बाद अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । पंचायत समिति के विकास अधिकारी को २०) रु० मिला । वह खरीद में बड़ा भारी घोटाला करता है । प्रधान लिख कर देता है कि खरीद फरोक्त हुई, उसमें गड़बड़ घोटाला है । गलत दुकानों से, फर्मों से जो वास्तव में उन चीजों में डील ही नहीं करती हैं उनसे बिल्स लाकर पेश किये गये हैं । जो चीज़ दो, चार रुपये में आ सकती है उसकी कीमत दस, दस, पन्द्रह, पन्द्रह रुपया रखा हुआ है । मैंने पंचायत समिति के विषय में निवेदन किया था कि वहां के विकास अधिकारी ने फरोक्त में बड़ा भारी घोटाला किया है । प्रधान ने जितना घोटाला था, टेन्डर्स को सब को सील कर दिया । विकास अधिकारी ने प्रधान के चले जाने पर मीटिंग समाप्त होने के बाद स्टोर कीपर से सील किये हुए टेन्डर्स मांगे और उनमें रद्दोबदल की जाकर दुबारा उनको सील करने की कार्यवाही की जा रही है । इतना ही नहीं, स्टोर–कीपर था उसने कहा कि प्रधानजी ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करूंगा तो उसका ट्रान्सफर कर दिया मांगरोल । इस प्रकार से जितनी कार्यवाही थी उसकी प्रोसिडिंग्स लिखी जाती है जो कि लोकल फण्ड डिपार्टमेंट को और पंचायत विभाग को भेजी जाती है । उसमें लिखा था कि मीटिंग बुला कर कार्यवाही की जाय । विकास अधिकारी ने गोलमाल किया है, दस हजार का घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिये । एक मीटिंग बुला कर यह सब सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया उस मीटिंग में । विकास अधिकारी ने कहा कि यह मीटिंग ही गैर कानूनी हुई है । पंचायत एक्ट में किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान नहीं है कि सर्व सम्मति से पास किये प्रस्ताव को और प्रधान द्वारा पंचायत समिति की बुलाई गई मीटिंग को कैन्सिल कर दे । मीटिंग को कैन्सिल कर दिया और सूचना ऊपर तक नहीं भेजी गई ।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि मार्च में एम० एस० सी० के सर्टिफिकेट के लिए रुपया जमा कराने के लिए ७ हजार रुपया दिया गया । वे आज तक जमा नहीं हुए हैं । जब इसकी जांच की कार्यवाही हुई तो मुझे रात को ही टेलीफोन से मालूम हुआ है कि अब जमा कराया गया है । विकास अधिकारी इस प्रकार घोटाला करे और ७ हजार रुपये की रकम पांच, सात महीने तक दबाये बैठा रहा और जांच न हो ? सर्टिफिकेट के लिए पेमेन्ट होना चाहिये था जल्दी, डिले करते हैं तो ब्याज का नुकसान होता है ।

विकास अधिकारी रहता है अच्छे बंगले में जिसका वह दुरुपयोग करता है । सरकारी बंगला

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। वह उसका ३॥) रुपया महीना किराया देता है। सरकार के नियम बने हुए हैं यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी बंगला काम में लेता है तो उसके लिए उसकी तनख्वाह का अमुक पर्सेन्टेज़ के हिसाब से किराया वसूल होता है। लेकिन अंता का विकास अधिकारी वह रकम पे नहीं करता है, केवल ३॥) रुपया महीना ही देता है।

इस प्रकार ग्लेरिंग के केस के प्रस्ताव पास करके पंचायत विभाग को भेजे गये। न तो उसका आज तक तबादला किया गया, न ही जांच शुरू हुई। जो काम किया था उन सब पर उसने पानी फेर दिया है और गलत कार्यवाही कर रहा है। लेकिन विकास विभाग और पंचायत विभाग आंख मींच कर सो रहे हैं। इस प्रकार की गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया। माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि जब वह टेबल पर बैठता है तो पिस्तोल लेकर बैठता है। जांच के लिए पंचायतों में जाता है तो पिस्तोल लेकर, भोजखेड़ी की जांच के लिए गया तो पिस्तोल लेकर। इस प्रकार के घोटाले को निकलवाने की कार्यवाही करनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : सारी समिति की कार्यवाही बहस के दौरान लाना चाहते हैं। स्वयं कह रहे, हैं कि पंचायत समिति का पैसा सुरक्षित रहे इसीलिए यह दे रहे हैं। उनके पास साधन नहीं हैं इसीलिए यह रखा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि ए० जी० के पास हों तो ये घटनायें न हों। अधिकारियों को अधिकार दिये हैं उनसे घोटाले होते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : उसको ठीक करने के लिए है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्वेश्चन यह है कि लोकल ऑडिट फण्ड के परव्यू से निकाल कर पंचायत समिति के अकाउन्ट्स, जिसमें बजट का १३ करोड़ रुपया निकलता है सारे ए० जी० के अधिकार में देने चाहिये। वह ऑडिट करे, हिसाब रखे तो जो इर्रेगुलेरिटीज पंचायत समितियों में घुसी हुई हैं वह दूर हो सकेंगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : पंचायत समितियों में आज तक अकाउन्ट्स हैं वे ठीक नहीं हैं और उनकी जांच नहीं हो पाई है। यदि अकाउन्ट्स जांच कराये जायं तो घोटाले मिलेंगे। जब तक ए० जी० का पूरा कन्ट्रोल नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं होगा।

पंचायत समितियों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। टैक्स की बात जहां तक है वह दूसरा मसला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी रकम है उसका सदुपयोग होना चाहिये। विकेन्द्रीकरण की नीति में पंचायत और पंचायत समितियां मूल इकाइयां हैं। यदि इनमें घोटाले होते रहेंगे तो जनता में अविश्वास की भावना का निर्माण होता रहेगा। जनता श्रमदान देती है, सहयोग देती है वह नहीं देगी। आज इस प्रकार के घोटाले पंचायत समितियों में चल रहे हैं। जो सारी बातें दिखाई देती हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, उनका हिसाब–किताब ठीक नहीं रखा गया, उनका ऑडिट नहीं हुआ और उस पर

Page No.103

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उचित कन्ट्रोल नहीं हुआ तो जनता में अविश्वास पैदा हो जायेगा। इसलिए इसका विरोध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ए० जी० को देना चाहिये। ए०–जी० को पॉवर्स ऑडिट के दे देने चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का विरोध यहां पर किया गया। यह कहा कि लोकल फण्ड ऑडिट विभाग है उसके पास न रह कर डाइरेक्ट ए० जी० के पास जाना चाहिये, जिससे वे ऑडिट कर सकें। मैं यह मानता हूं कि जब यह विधेयक दिया गया सरकार की ओर से तो यह केवल एक आगे का कदम है। हिसाब–किताब की व्यवस्था के लिए है। अब तक लोकल फण्ड ऑडिट विभाग सिर्फ ऑडिट ही करता था, हिसाब–किताब रखने की जिम्मेदारी नहीं थी। यह पाया गया कि अनुभवहीनता के कारण और कुछ कारणों से हिसाब सही तौर पर नहीं रखा जाता है। जब ऑडिट किया भी जाय तो हिसाब–किताब ही ठीक नहीं रखा गया तो ऑडिट के लिए चाहे ए० जी० को या लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट को अधिकार दें इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सरकार ने सोचा कि पहले इसकी बुनियाद ठीक करनी चाहिये। इससे पंचायत और पंचायत समितियों के लोगों को हिसाब–किताब व्यवस्थित रूप से रखने का अभ्यास होगा। इसलिए यह ठीक ही है कि ए० जी० का दखल न रख कर लोकल ऑडिट विभाग की इसमें हिसाब–किताब रखने की जिम्मेवारी डाल दी जाय। यदि यह कदम सही नहीं है और यह अनुभव हुआ तो आगे का कदम उठाया जायेगा। लेकिन विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं तो हिसाब–किताब और दूसरी जितनी बातें हैं उनको अनुभव से आगे ठीक करते जावेंगे तो बुनियाद–उनकी जड़ मजबूत होगी। मैं समझता हूँ ऊपर से हम जोर देकर रखते हैं तो नीचे की जड़ कमजोर होगी।

इसलिए अब तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का समाधान हो जाना चाहिये। आज जो कदम उठाया गया है उसको वे पसन्द करेंगे और अपने विरोध को वापिस लेंगे। सरकार भी यह चाहती है कि इनके अकाउन्ट्स ठीक प्रकार से रहें। इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगर इससे आगे का भी कदम उठाना पड़ा तो उस कदम को भी उठायेंगे। इसलिए माननीय सदस्य अपने विरोध को वापिस लेने की कृपा करेंगे और इस बिल को विचारार्थ स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव हूँ कि राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट (एमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट (एमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १६६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वेअर हाउसेज (अमेंडमेंट) बिल, १६६१ को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

प्रश्न यह है कि राजस्थान वेअर हाउसेज (अमेंडमेंट) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वेअर हाउसेज अमेंडमेंट बिल, १६६१ को पारित किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, आपके इस बिल की भावना अच्छी है। जबरदस्ती फीस लग जाती थी आप चाहते हैं वह नहीं लगे। लेकिन बात जरूर है कि वेअर हाउसेज कॉर्पोरेशन के जो मैनेजर हैं उनके बीच एग्रीमेंट होता है उसके लिए मेरा निवेदन है कि 'एग्रीड' के बाद 'इन राइटिंग' ये शब्द और जोड़ दिये जायं। इस प्रकार का संशोधन मैंने कल दिया था। इन टाइम दिया था। वह न मालूम क्यों नहीं मूव हो सका। अगर वह इसमें आ जाता तो अच्छी चीज हो जाती। जहां तक एग्रीमेंट का सवाल है जहां तक वह लिखित नहीं हो कोई महत्व नहीं दिया जाता और जब तक 'इन राइटिंग' शब्द नहीं बढ़ायेंगे तो इस तरह की संभावना रहेगी। कॉर्पोरेशन के प्रोवीजो में है :-

"Provided that nothing in this section shall apply to the goods deposited in a warehouse belonging to a Warehousing Corporation established under the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (Central Act 28 of 1956) where such Warehousing Corporation has agreed, in the prescribed manner, to compensate the depositor against loss or damage arising from the prescribed events." इसमें आपने लिखा है नियम बनायेंगे। एग्रीमेंट राइटिंग में हो, इस प्रकार का नियम बना लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रेसक्राइब्ड मेनर से यह समस्या हल नहीं होती। 'इन राइटिंग' इन शब्दों को जोड़ दिया जाय तो उचित रहेगा 'कॉर्पोरेशन इज एग्रीड इन राइटिंग'।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : प्रेसक्राइब्ड मेनर लिखने के बाद राइटिंग की बात आ जाती है। इसके अन्तर्गत रूल्स बनेंगे वे हाउस के सामने आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान वेअर हाउसेज अमेंडमेंट बिल, १६६१ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

Page No.105

माननीय उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी अध्यक्षीय निर्णय

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे नो कॉन्फिडेन्स मोशन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अभी बता रहा हूं ।

आज की कार्यवाही समाप्त हो गई है और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आज ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाने को था । माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ने हमारे संविधान के अनुच्छेद ७६ सब–क्लॉज़ (सी) के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय को इस पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है । हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के नियम १३४ के उप–नियम (२) के अन्तर्गत उसके लिए तारीख तय करनी है जब कि इस प्रस्ताव के नोटिस को सदन के समक्ष लाया जाय । वह तारीख सामान्यतया आज तय हो जानी चाहिये । मैं चाहता था हो जाय; लेकिन माननीय सदन के नेता यहां नहीं हैं, दिन भर उनसे सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, किन्तु सफलता नहीं हुई । उनसे विचार–विमर्श के बाद निश्चित तारीख इस नोटिस पर डिसकशन करने के लिए तय की जाकर माननीय सदस्यों को सूचना भेज दी जायेगी ।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ४.१५ पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई ।]

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, २२ सितम्बर, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२१६६	उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन ।	
मन्त्रियों द्वारा यात्रा व दैनिक भत्ते की वसूली ।		भूगर्भित पदार्थों की खोज ।	
थाना खन्डेला के भूतपूर्व एस.-आई. श्री दशरथसिंह के विरुद्ध शिकायतें ।		मूर्ति का खंडन ।	
ट्रेक्टर खरीदने के लिए दी गई धनराशि ।		बीकानेर में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता ।	
हिस्ट्रीशीट खोलने का मामला ।		राजस्थान केनाल के उद्घाटन के अवसर पर प्रेस पब्लिसिटी ।	
राजस्थान पुरातत्व विभाग, जोधपुर द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन ।		जयपुर में डेयरी फार्म खोलने की योजना पर कार्य ।	
मन्त्री महोदय के जबानी हुक्म से वितरित कोटा ।		पंचायत समिति, सरकाबाद द्वारा धनराशि का वितरण ।	
गंगानगर जिले की पंजीकृत सहकारी समितियां ।		मालीराम खाती (ग्राम मंडावरा) के कत्ल का मामला ।	
पुलिस विभाग में स्थानान्तरण तथा नियुक्तियां ।		अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन)	
तहसील में जाकर स्टॉक की सूचना देने में कठिनाई ।		कुम्हेर के पुलिस सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही ।	
तस्कर व्यापार ।		जोधपुर की चोपासनी स्कूल को वार्षिक सहायता ।	
		जालोर-बागोड़ा बस सर्विस ।	

उद्योगकारियों को लाइसेन्स ।

पशु मेले का कुम्हेर पंचायत द्वारा ही आयोजन ।

जैतारण पंचायत समिति को स्वीकृत धनराशि का उपयोग ।

बालोतरा–सांचोर बस सर्विस ।

फौजियों के लड़कों को वजीफा ।

मोटर गैरेज सर्विसेज की वेतन श्रृंखला ।

गङ्गा बाल विद्यालय, बीकानेर ।

सरकारी पूंजी ।

नापासर हाई स्कूल में साइंस का कमरा ।

नीम–का–थाना के ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें ।

पंचायत समिति, नोहर के अधीनस्थ पाठशालायें ।

बालोतरा-सांचोर बस का किराया ।

तहसील नोहर की ग्राम पंचायतों को दी गई सरकारी सहायता ।

स्थगित प्रश्न

अध्यापकों की पदोन्नति ।

ग्राम चोरू, तहसील उनियारा में 'बड़ा कुआ' ।

राज्य कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय तथा राज्य कोष में बचत ।

बीकानेर जिले के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, महाजन का स्थानान्तरण ।

पंचायत समिति का वार्षिक व्यय

अतारांकित प्रश्न

पलाना खान, बीकानेर ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

लैण्ड युटि लाइजेशन कमिटी का वार्षिक व्यय ।

सीकर जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंक का चुनाव ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र २२२७

(१) (क) राजस्थान पंचायत समिति (इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेन्डिंग कमेटी) रूल्स, १९५९ का नियम ४ तथा

(ख) राजस्थान पंचायत समिति (इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्टेन्डिंग कमेटी) रूल्स, १९५९ का नियम ६ (गत सत्र में

राजस्थान विधान सभा द्वारा इन नियमों में संशोधन किए गए थे अतः विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७२ के अनुसरण में इन्हें संशोधित रूप में सदन की मेज पर रखा गया ।)

(२) नियुक्ति विभाग (ए. III) की अधिसूचना संख्या एफ. २३ (५) नियुक्तियां (ए) ।६०। ग्रुप III, दिनांक २५ मई, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस (पनिश्मेन्ट एण्ड अपील) रूल्स, १९६१ प्रकाशित किए गए हैं ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भोलानाथ, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ ने आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में समिति का बाईसवां प्रतिवेदन तथा चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में समिति का तेईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री पी.के. चौधरी, सदस्य विधान सभा ने 'उजाला' पत्र के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव किया ।

सदन की अनुमति के पश्चात् उक्त प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना २२२८

श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा ने जयपुर जिले के अध्यापकों के वेतन बकाया होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया । राजस्व मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य–विचारार्थ लिए गए विधेयक

(१) राजस्थान बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ २२४८

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने अथवा प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने के प्रस्तावों पर आज भी बहस की गई ।

बहस का उत्तर श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री ने दिया । तत्पश्चात् विधेयक को

स्कम्भ स्कम्भ

प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६१ २२८४

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव जो दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ को श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पंचायात मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था आज स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १६६१ २३३६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १६६१

इस विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

(५) राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, १६६१ २३५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। उक्त प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात् विधेयक पारित भी किया गया।

(६) राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण (संशोधन) विधेयक, १६६१ २३५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री का यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(७) राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६१ २३६५

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया गया। तत्पश्चात् कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(८) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६१

उक्त विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर १५ मिनट पर अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की गई।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७४ का उत्तर देखिये)

Statement showing T. A. and D. A. drawn by the Ministers and Dy. Ministers for the period from 1/57 to 3/57

S. No. 1	Name. 2		1/57 3	2/57 4	3/57 2
1.	Shri M. L. Sukhadia, Chief Minister.	T A.	135.56	—	182.06
		D.A.	125.00	—	125.00
		Total.	260.56		307.06
2.	Shri Amrit Lal Yadav, R. R. Minister.	T.A.	146.37		119.00
		D.A.	37.50		37.50
		Total.	183.87	—	156.50
3.	Shri Bhogi Lal Pandya.	T.A.	137.81	—	187.24
		D.A.	174.00	—	125 00
		Total.	311.81		312.24
4.	Shri Ram Niwas Mirdha	T.A.	308.62		82.12
		D.A.	162.50	—	100.00
		Total	471.12		182.12
5.	Shri Badri Pd. Gupta.	T.A.	72.37		—
		D.A.	37.50	—	50.00
		Total	109.87		50.00
6.	Shri Brij Sunder Sharma	T.A.	1,221.00		270.81
		D.A.	237.50	—	125.00
		Total	1,458.50		395.81

1	2	3	4	5	6
7.	Shri Damodar Lal Vyas	T.A.	100.00		—
		D.A.	87.50	—	—
		Total	187.50		—
8.	Shri Ram Kishore Vyas	T.A.	50.00		—
		D.A.	37.50	—	37.50
		Total	87.50		37.50
9.	Shri Ram Chandra Chaudhry.	T.A.	346.12		94.62
		D.A.	234.06	—	25.00
		Total	580.18		119.62
10.	Shri Sampat Ram	T.A.	—		82.12
		D.A.	412.50	—	100.00
		Total	412.50		182.12
11.	Shri Shah Alimuddin	T.A.	123.06		—
		D.A.	137.50	—	62.50
		Total	260.56		62.50
12.	Shrimati Kamla Beniwal.	T.A.	50.00		—
		D.A.	59.50	—	—
		Total	109.50		—
13.	Shri Khet Singh.	T.A.	102.94	—	97:12
		D.A.	500.00	118.75	137.50
		Total	602.94	118.75	234.62
14.	Shri Brij Mohan	T.A.	—	—	—
		D.A.	112.50	—	—
		Total	112.50		—

Statement showing Monthwise Mileage travelled by State Car by each Minister from 1st Jan. 57 to 31st March, 57

S.No.	Name of Minister and Designation.	Jan. 57	Feb. 57	March 1957
1	2.	3	4	5
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister.	940	371	1,398
2.	Shri Ram Kishore Vyas, Home Minister.	809	149	265
3.	Shri Nathu Ram Mirdha, Transport Minister.	1,827	1,642	1,842
4.	Shri Damodar Lal Vyas, Revenue Minister.	437	—	—
5.	Shri Bhogilal Pandya Minister for Commerce & Industries.	652	—	613
6.	Shri Badri Pd. Gupta, Minister for L.S.G.	1,788	530	938
7.	Shri Amrit Lal, Yadav. Excise Minister.	840	424	211
8.	Shri Ram Chandra Choudhry. P.W.D. Minister.	711	—	—
9.	Shri Ram Karan Joshi, Health Minister.	2,225	522	505
10.	Shri Brij Mohan Lal Sharm Labour Minster.	3,277	1,174	2,249
11.	Shri Brij Sunder Sharma, Finance Minister.	875	—	461
12.	Shri Sampat Ram, Dy. Minister, Revenue.	2,674	402	989
13.	Shri Shah Alimuddin Ahmad, Dy. Minister for Law.	2,491	195	925

1	2	3	4	5
14.	Shri Khet Singh, Dy. Minister for Forests.	3,339	915	832
15.	Shrimati Kamla Beniwal. Dy. Minster for Education.	1,159	—	92
		24,044	6,324	11,320

Page No.115

परिशिष्ट

Statement showing T.A. & D.A. drawn by the Ministers and Dy. Ministers during the period 1st May, 1957 to 31st July, 1961

S. No.	Name.		5/57 to 4/58	5/58 to 4/59	5/59 to 4/60	5/60 to 4/61	5/61 to 7/61
1	2		3	4	5	6	7
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister.	T. A.	5,582.78	9,041.80	4,311,38	5,888.65	981.41
		D. A.	2,017.50	2,272.74	2,044.88	2,544.22	832.41
		Total.	7,600.28	11,314.54	6,356.26	8,432.87	1,813.82
2.	Shri Ram Kishore Vyas, Home Minister.	T. A.	2,744.83	3,144.42	4,726.91	5,431.85	1,269.44
		D. A.	1,307.49	1,812.69	2,294.06	1,249.62	207.82
		Total	4,052.32	4,957.11	7,020.97	6,681.47	1,477.26 bill for 6&7/61 not received.
3.	Shri Hari Bhau Upadhyaya, Finance Minister.	T. A.	1,741.95	3,268.73	1,571.21	2,044.94	bills for 6&7/61 not received.
		D. A.	1,053.75	1,541.82	1,976.68	1,988.54	
		Total	2,795.70	4,810.55	3,547.89	4.033.48	

परिशिष्ट

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	Shri Damodar Lal Vyas, Revenue Minister.	T. A.	872.32	1,059.89	1,568.35	362.87	220.40
		D. A.	1,043.75	1,584.88	1,570.97	1,969.00	520.19
		Total.	1,916.37	2,644.77	3,139.32	2,331.87	740.59
5.	Shri Badri Pd. Gupta, Health Minister.	T. A.	547.93	3,378.39	1,986.15	1,670.27	——
		D. A.	762.50	1,551.10	731 87	1,992.61	218 80
		Total.	1,310.43	4,929.49	2,718.02	3,662.88	218.10 bill for 6&7/61 not received.
6.	Shri Sampat Ram, L.S.G. & Forest Minister.	T. A.	641.42	519.35	——	1,510.46	——
		D. A.	1,737.50	1,674.98	1,006.75	1,633.30	196.92
		Total.	2,378.92	2,194.33	1,006.75	3,143.76	196.92
7.	Shri Poonam Chand Bisnoi, Dy. Minister, Education.	T. A.	866.47	2,629.93	3,006.81	1,430.45	243.11
		D. A.	1,450.00	1,138.10	2,912.11	1,962.59	202.29
		Total.	2,316.47	3,783.08	5,918.92	3,393.04	445.40

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Shri Bheekha Bhai, Irrigation	T. A.	2,280.35	2,628.45	5,204.91	1,918.54	30.29
	& Ayurvedic Depty Minister.	D. A.	2,403.75	2,736.44	4,098.13	2,826.51	787.68
		Total.	4,684.10	5,364.89	9,303.04	4,745.05	817.97
9.	Shri Nathu Ram Mirdha,	T. A.	1.851.43	1,730.98	1,129.79	1,354.98	349.20
	Agriculture Minister.	D. A.	1,225.00	1,309.23	1,000.00	1,499.88	382.90
		Total.	3,076.43	3,040.21	2,129.79	2,854.86	732.10
10.	Shri Daulat Ram Saran,	T. A.	1,264.55	624.18	1,154.86	750.25	135.24
	Dy. Minister.	D. A.	1,443.75	717.26	1,098.02	1,398.22	493.30
		Total.	2,708.30	1,341.44	2,252.88	2,148.47	628.54
11.	Shri Rikhab Chand Dhariwal,	T. A.	4,940.87	6,028.03	7,647.62	8,440.93	1,825.18
	Industries Minister.	D. A.	1,483.75	1,269.81	1,858 92	1,607.43	284.44
		Total.	6,424.62	7,297.84	9,506.54	10,048.36	2,109.62
12.	Shri Ram Chandra Chaudhari,	T. A.	408.06	—	554.90	1,798.90	651.96
	Excise & Taseation Minister.	D. A.	—	—	413.46	2,010.72	470.42
		Total.	408.06	—	968.36	3,809.62	1,122.38

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Shri Harish Chandra. P. W. D. & Power Minister.	T. A.	—	—	117.36	1,774.15	1,182.40
		D. A.	—	—	328.19	3,282.58	361.02
		Total.	—	—	445.55	4 056.67	1,543.42
14.	Shri Barkatullah Khan, Dy. Minister, Planning.	T. A.	—	—	2,062.32	10,386.32	2,942.82
		D. A.	—	—	481.36	1,764.85	481.34
		Total.	—	—	2,543.68	12,151.17	3,424.16

Statement Showing Year-wise mileage travelled by State Car by each Minister and Dy. Minister from 1st May, '57 to 31st July,'61

S. No.	Name of Minister.	Period: 1-6-57 to 31-12-57	1958	1959	1960	1-1-61 to 31-7-61
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister.	10,795	17,712	30,336	39,116	22,578
2.	,, Ram Kishore Vyas, Home Minister.	4,270	11,388	13,294	2,772	872
3.	,, Hari Bhau Upaddhyay, Finance Mininster.	15,910	26,395	24,943	30,515	13,094
4.	,, Nathu Ram Mirdha. Transport Minister (Agr. Min. from Mar. '60)	9,412	10,675	14,588	21,912	8,104
5.	,, Damodar Lal Vyas, Revenue Minister.	6,610	12,173	16,847	32,846	14,274
6.	,, Badri Prasad Gupta, L. S. G. Minister. (Health Min. from Mar. '60)	4,197	11,835	24,837	28,269	13,692
7.	,, Rikhab Chand Dhariwal, Dy. Finance Minister (Ind. Min. from Mar. '60)	1,355	2,582	463	2,714	1,058
8.	,, Poonam Chand Vishnoi Dy. Education Minister.	12,034	12,722	7,200	19,423	9,860
9.	,, Sampat Ram Dy. Revenue Minister (.LS.G. Min. from Mar. '60)	6,806	13,397	15,616	28,362	10,157

1	2	3	4	5	6	7
10. Shri	Bheekha Bhai, Dy. Minister for Health (Irr. Min. from Mar. 60)	9,667	21,750	24,379	38,429	33,719
11. ,,	Shri Daulat Ram Saran, Dy. Minister Agriculture.	5,380	5,133	3,685	14,423	11,254
12. ,,	Shri Harish Chandra P. W.D. Minister	-	-	-	26,647	10,274
13. ,,	Ram Chandra Chaudhry Excise Minister.	-	-	-	15,413	6,560
14. ,,	Barkatullah Khan, Dy. Planning Minister.	-	-	-	2,755	1,452

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८० का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

क्रम संख्या	नाम समिति, जिला गंगानगर	जिस सन् का ऑडिट होना शेष है।	ऑडिट न होने का कारण	अनुदान जो मिला ऑडिट के बाद	ऋण जो मिला ऑडिट के बाद	शेष	ऋण कब से यह ऋण शेष है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	गंगानगर कर्मचारी सहकारी समिति लि०	सन् १९५८–५९ और ५९–६०	रेकॉर्ड अपूर्ण होने से	ऑडिट के बाद में कोई अनुदान एवं ऋण नहीं मिला है।		–	–	–
२.	परवाना ग्राम सेवा स० स० लि०	सन् १९५९–६०	,,	२००)	–	–	–	–
३.	शेरडा ग्राम सेवा स० स० लि०	,,	,,	२००)	–	–	–	–
४.	डाबला बहुधंधी स० स०	,,	,,	६००)	–	–	–	–
५.	३ एम० के० ,, ,, ,,	,,	,,	४५०)	–	–	–	–

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६.	रायसिंहनगर आदर्श बहुउद्देशीय स० स०	१९५९–६०	रेकॉर्ड अपूर्ण होने से	३००)	–	–	–	–
७.	नव जाग्रत बहुउद्देशीय स० स०	,,	,,	४५०)	–	–	–	–
८.	१७ जी० बी० ,, ,, ,,	,,	रेकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण	३००)	८,५००) सन् ६०–६१	अभी ड्यू नहीं हुआ है।		
९.	७६ जी० बी० स० स०	१९५९–६०	रेकॉर्ड अदालत में होने के कारण	–	४,८००)	,,	,,	
१०.	गांधी बहुउद्देशीय स० स०	,,	,,	–	४,५००)	कोई बकाया नहीं है।		
११.	८० जी० बी० ,, ,, ,,	,,	रेकार्ड पुलिस में होने के कारण	–	–	–	–	–
१२.	८७ जी० बी० ,, ,, ,,	,,	,,	–	–	–	–	–
१३.	९३ जी० बी० ,, ,, ,,	,,	,,	–	–	–	–	–
१४.	रामसिंहपुर ईंट भट्टा उत्पादक स० स०	,,	रेकर्ड अपूर्ण होने के कारण	–	–	–	–	–

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१५.	दाबा बहुउद्देशीय स० स०	१९५९–६०	रेकर्ड अपूर्ण होने के कारण	–	–	–	– –
१६.	बुडोमल ,, ,, ,,	,,	,,	२००)	४,५००)	अभी ड्यू हुआ है	
१७.	मोहनपुरा साख सहकारी समिति	,,	,,	१५०) सन् १९६० २००) सन् १९६१	–	–	–
१८.	२. जी छोटी साख सहकारी समिति	,,	,,	–	७,०००)	अभी ड्यू हुआ है	
१९.	११ एस० एन० पी० बहु-उद्देशीय स० स०	,,	,,	१५०)सन् ५९-६० २००)सन् ६०-६१	२८,०००) १२–८–६० को	अभी ड्यू हुआ है	
२०.	सागर वाला बहुउद्देशीय सहकारी समिति	,,	,,	१५०)सन् १९५९–६० २००)सन् १९६०–६१	१४,६००) १३–८–६० को	अभी ड्यू हुआ है	
२१.	रिसालदार ,, ,, ,,	,,	,,	–	७,४२७) २७–१०–५९ को	२७–१२–६० से	
२२.	रामगढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति	,,	,,	२००) सन् १९६०–६१	—	—	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६२ का उत्तर देखिये)

S. N.	Name of official.	Present posting	Date of deputation.	Period of original deputation	Subsequent Extension.	Extra emoluments.
1	2	3	4	5	6	7
From Indian Audit & Accounts Department.						
1.	Shri G. V. C. Rao,	C. A. O. Jaipur	14—4-1960	2 years	-	Special pay of Rs. 150/-
From Office of Accountant General, Central Revenue.						
2.	Shri Mahendra Narain	A. O. Faridkot.	25—1-1961	1 Year	-	Deputation pay @ 20% of his pay.
From the office of the Accountant General, Rajasthan, Jaipur.						
3.	Shri H. R. Mehta	Accounts Officer, Hanumangarh.	11-11-1961	1 Year	up to 28—2-1962	-do-

1	2	3	4	5	6	7
4.	Shri Tek Chand Goel	S. A. S. Supdt., Hanumangarh.	1–4-1960	-do-	-do-	-do-
5.	„ G. L. Garg	S. A. S. Supdt., Suratgarh.	1—6-1961	-do-	—	-do-
6.	„ Jagdish Lal B. Mathur	-do-	1-10-1960	-do-	up to 28—2-1962	-do-
7.	„ Mohan Lal Kurana	S. A. S. Supdt., Hanumangarh.	8—9-1961	upto 28—2-62	—	-do-
8.	„ Hari Shankar Upman	U. D. C., Hanumangarh.	25—6-1960	1 year	upto 28—2-1962	-do-
9.	„ Badri Dan	-do-	31-12-1960	-do-	-do-	-do-
10.	„ Hari Ram Saxena	-do-	31-12-1960	-do-	-do-	-do-
11.	„ Kapoor Chand Jain	-do-	21—7-1961	1 year	—	-do-
12.	„ Kabool Chand Jain	-do-	-do-	-do-	—	-do-
13.	„ Rameshwar Nath	-do- Surajgarh	15—2-1961	-do-	up to 28—2-1962	-do-

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
14. Shri	Lalit Prasad Bhargava	U. D. C., Suratgarh	Joined in the last week of August, 1961.	1 year	—	Deputation pay @ 20% of his pay.
15. ,,	Phool Chand Sharma	-do-	-do-	-do-	—	-do-
16. ,,	K. C. Malhotra	U. D. C, Ferozepore	25—5-1960	1 year	up to 28—2-1962	-do-
17. ,,	Prakash Chand Jain	-do-Faridkot	1—9-1961	1 year	—	-do-
18. ,,	Ram Gopal Agarwal	-do-Gidderbaha	—	-do-	—	-do-
19. ,,	Ramesh Chandra Bhargava	-do-	—	-do-	—	-do-
20. ,,	Bhanwar Lal Mathur.	U. D. C, Jaipur	15-12-1960	1 year	up to 28—2-1962	-do-
21. ,,	Bhagwan Sahai Saxena	-do-	25—5-1960	-do-	-do-	-do-
22. ,,	Vijai Chandra Joshi	-do-	23-12-1960	-do-	-do-	-do-
23. ,,	B. D. Agarwal	-do-	11—1-1961	-do-	-do-	-do-
24. ,,	D. S. Shrivastava	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6	7
From Office of the Accountant General, U. P., Allahabad.						
25.	Shri Radhey Shyam Gupta.	S. A. S. Supdt., Jaipur.	1—3-1961	28—2-1962	—	-do-
26.	„ Karam Chand	S. A. S. Supdt., Gidderbaha	27—4-1961	1 year	—	-do-
27.	„ Harkishan Lal	-do-	9—5-1961	-do-	—	-do-
28.	„ Prakash Chand Trivedi	U. D. C., Jaipur	25-10-1960	1 year	upto 28—2-1962	-do-
29.	„ S. D. N. Singh	U. D. C., Hanumangarh	5-5-61	1 year	—	-do-
30.	„ S. C. Agarwal	-do-	21-7-61.	-do-	—	-do-
31.	„ S. L. Gulati	-do-	-do-	-do-	—	-do-
32.	„ S. G. N. Hajela	U. D. C., Suratgarh	11-5-61	-do-	—	-do-

1	2	3	4	5	6	7
33.	Shri B. L. Kakkar.	U. D. C., Hanumangarh	24-10-60	-do-	upto 28-2-62	-do-
34.	,, R. C. Sharma	U. D. C., Suratgarh	14-10-60	-do-	-do-	-do-
From Office of the Accountant General, Punjab, Simla.						
35.	Shri R. K. Jhamb.	S. A. S., Supdt. Ferojpur	30-1-61	1 year	upto 28-2-62	-do-
36.	,, H. L. Kohli	S. A. S., Faridkot.	20-2-61	-do-	-do-	-do-
37.	,, R. M. Shukla	U. D C., Gidderbaha	25-1-61	-do-	-do-	-do-
38.	,, B. N. Mehta	U. D. C., Faridkot.	27-1-61	-do-	-do-	-do-
From Office of the Accountant General, P & T. and his subordinate offices.						
39.	Shri Ved Prakash Agarwal	S. A. S. Supdt. Ferozepore.	12-12-60	1 Year	upto 28-2-62	-do-

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
40.	Shri Raj Kumar Chopra	S. A. S. Faridkot.	19-12-60	-do-	-do-	-do-
41.	„ Jogendra Paul Sharma,	U. D. C., Ferozepore	3-11-60	-do-	-do-	-do-
42.	„ Karam Chand	U. D. C., Ferojpore	7-12-60	-do-	-do-	-do-
43.	„ Asa Singh	-do-	9-12-60	-do-	-do-	-do-
44.	„ C. D. Dade.	U. D. C., Faridkot	31-10-60	-do-	-do-	-do-
45.	„ S. K. Gosian	-do-	23-1-61	-do-	-do-	-do-
46.	„ Bhagat Ram	-do-	20-1-61	-do-	-do-	-do-
47.	„ J. C. Sachdeo.	U. D. C., Ferozepore	6-5-61	-do-	-do-	-do-
From Director of Audit FRSCS. & M. New Delhi.						
48.	Shri Girdhari Lal Garg.	U. D. C. Gidderbaha	30-5-61	1 year	—	-do-

1	2	3	4	5	6	7
49. Shri	R. B. Singh Ahluwalia	-do-	21-4-61	-do-	—	-do-
50. ,,	J. N. Bahl	U. D. C., Ferozepore	31-5-61	-do-	—	-do-
From Office of the Account General, Rajasthan.						
51.	Shri S. S. Lal, I. A. S.	C. A. O. Chambal Project	4-10-57	1 year	upto 30-9-62	Deputation Pay Rs.272/- Project Allow. Rs. 100/-
52. ,,	B. N. Bhargava	S. A. S. Acctt. in C. A. O. C. P., Kota.	1—3-58	-do-	upto 28 2-62	Deputation Pay Rs. 69/- Project Allow. Rs. 25/-
53. ,,	D. S. Suri	-do-	-do-	-do-	-do-	Dep. Pay 63/- & Pro. Allow 25/-
54. ,,	M. D. Mathur	-do-	7—4-59	-do-	-do-	Dep. Pay 78/- & Pro. Allow 25/-

Page No.131

परिशिष्ट

1	2	3	4	5		6	7
55. Shri	Brijmohan Vijay	-do-	12-5-61	12-5-61 to 28-2-62	-do-	Dep. Pay 69/- &	Pro. Allow 25/-
56. ,,	Dharmendra Vir	-do-	15-5-61	15-5-61 to 28-2-62	-do-	-do-	-do-
57. ,,	B. L. Garg.	S. A. S. Acctt. in C.A.O.C.P., Kota.	17-5-61	17-5-61 to 28-2-62	—	-do	-do-
58. ,,	J. N. Mathur	U.D.C. in C.A.O. C. P., Kota.	17-12-57	1 year	28-2-62	Dep. Pay 70/-	Pro.All. 25/-
59. ,,	D. C. Bhandari	-do-	26-12-57	-do-	-do-	Dep. Pay 46/-	Pro. All. 25/-
60. ,,	B. N. Bhargava	-do-	6-12--57	-do-	-do-	,, 40/-	,, 24/-
61. ,,	S. N. Paul	-do-	23-12-57	-do-	-do-	,, 40/-	,, 24/-
62. ,,	T. C. Jain	-do-	29-1-58	-do-	-do-	,, 40/-	,, 24/-
63. ,,	Ramji Lal	-do-	27-8-58	-do-	-do-	,, 43.20	,, 25/-
64. ,,	J. D. Saxena	-do-	27-8-58	-do-	-do-	,, 40/-	,, 24/-
65. ,,	K. C. Bhandari	-do-	3-9-58	-do-	-do-	,, 43.20	,, 25/-

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
66. Shri	G. C. Jain	-do-	1-7-59	-do-	-do- ,, 40/-	,, 24/-
67. ,,	R. C. Joshi	-do-	7-7-59	-do-	-do- ,, 35.20	,, 21.12
68. ,,	K. M. Sharma	-do-	14-5-60	-do-	-do- ,, 40/-	,, 24/-
69. ,,	R P. Sharma I	-do-	16-5-60	-do-	-do- ,, 43.20	,, 25/-
70. ,,	A. R. Acharya	-do-	16-5-60	-do-	-do- ,, 43.20	,, -do-
71. ,,	H. N. Gupta	-do-	23-5-60	-do-	-do- ,, 44.80	,, 25/-
72. ,,	V. B. Sinha	-do-	26-7-60	one year	upto 28-2-62 Dep. Pay 46.40	& Pro. Al.25/-
73. ,,	B. D. Paliwal	-do-	14-4-61	14-4-61 to 28-2-62	— ,, 41.60	,, 24·96
74. ,,	S. N. Sharma	-do-	-do-	-do-	— ,, 44.80	,, 25/-
75 ,,	G. C. Sharma	-do-	18-4-61	18-4-61 to 28-2-62	— ,, 40/-	,, 24/-
76. ,,	R. L. Maini	A.X.O.F.D. (A-Rules)	1-11-58	1-11-58 to 29-2-60	For 2 years w.e.f 1-3-60	Deputation pay equal to 20% of grade pay.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
77. Shri	M. S. Grover.	A.O F.D(E-III)	10-9-60	10-9-60 to 9-9-61	proposed to extend upto 28-2-62	-do-
78 ,,	Gordhan Lal,	Accountant, L. F. A. Dept.	23-3-60	6 months	upto 28-2-62	-do-
79 ,,	Ram Dayal Gupta,	U. D. C. -do-	22-3-60	-do-	-do-	-do-
80. ,,	Satya Narain Pathak	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
81. ,,	Champeshwar Prasad	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
82. ,,	B. P. Sarabhai	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

चोपासनी स्कूल, जोधपुर को गत ७ वर्षों में दी गई सहायता की तालिका

१६५४–५५	३०,५२५	६० प्रतिशत
१६५५–५६	३०,२४६	६० प्रतिशत
१६५६–५७	४२,५६८	७५ प्रतिशत
१६५७–५८	६६,०४०	६० प्रतिशत एक वर्ष के लिए वृद्धि की गई।
१६५८–५६	७६,३५५	,, ,, ,, ,,
१६५६–६०	७५,५६५	,, ,, ,, ,,
१६६०–६१	८७,६६५	,, ,, ,, ,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायतान तहसील नोहर सन् १९५७-५८ एवं १९५८-५९ बाबत सहायता रकम भू-राजस्व व बाबत सहायता जन संख्या के आधार पर

क्र०सं०	नाम पंचायत	सहायता की रकम	सहायता भू राजस्व
१	२	३	४
१.	रावतसर	२१८.००	३४५.७८
२.	पोहड़का	१६२.००	२४०.५३
३.	हरदासवाली	२००.००	१३८.७२
४.	मोटेर	२००.००	१३८.१२
५.	पल्लू	१८१.००	३२.०६
६.	बिसरासर	१७३.००	२१७.०६
७.	सिरंगसर	२३७.१०	२८५.००
८.	न्योलखी	२५५.००	२५१.६०
९.	पांडूसर	२१८.००	२०४.६६
१०.	जयरासर	१४४.००	१३०.८४
११.	ललानिया	१३७.००	२८६.६६
१२.	गोरखाना	२७३.००	३८५.०३
१३.	बिरकाली	२०६.००	५०३.१२
१४.	थालड़का	२४६.००	४२४.६६
१५.	भूकरका	३१७.००	४७१.१६
१६.	जसाना	२६०.००	३२०.५६
१७.	मेघाना	१८२.००	२४२.९०

१	२	३	४
१८.	ललाना	३२८.००	६२.४४
१९.	बड़भिराना	२६३.००	१७९.१५
२०.	रामगढ़	२९०.००	५०.२८
२१.	परलिका	२६२.००	२३.६२
२२.	दलपतपुरा	१५५.००	१५०.९७
२३.	फेफाना	३७२.००	२२९.९२
	योग	५,३४५.००	५,३३६.५८

सन् १९५८-५९ के राजस्व के आधार पर अनुदान तहसील नोहर की जिन पंचायतों को दिया गया (वर्ष ५९-६०)

क्र० सं०	पंचायत का नाम	रकम जो दी गई
१	२	३
१.	जसाना	६१.३७
२.	रतनपुरा	२२९.६०
३.	फेफाना	२०२.५
४.	पद्मपुरा	१७१.३७
५.	रामगढ़	३४७.००
६.	परलिका	९७.३०
७.	भरवाली	१३०.००
८.	बड़ बीराना	२०८.००
९.	चक सरदारपुरा	७८७.०४
१०.	ढीलकी जाटान	१५१.००
११.	ललाना	३७६.८०
१२.	दलपतपुरा	१४४.७०
१३.	मेघाना	३२७.००
१४.	ललानिया	३३४.६०
१५.	मंदिरपुरा	१९३.२५
१६.	बेलासर	२२८.५०
१७.	जबरासर	२६६.००
१८.	पांडूसर	४३६.७०
१९.	सोनड़ी	४१६.६०

१	२	३
२०.	त्रिरकाली	३२३.५६
२१.	गोरखाना	३६९.८०
२२.	नौलखी	५५५.६२
२३.	नीमला	३९५.३७
२४.	सिरंगसर	३४६.००
२५.	भेदासर	३८०.००
२६.	बींभरासर	३४२.००
२७.	सरूपदेसर	२२८.००
२८.	पल्लू	२९८.३७
२९.	मोटेर	२९२.००
३०.	पोहड़का	१९५.२५
३१.	रावतसर	६०५.००
३२.	हरदासवाली	२१८.००
३३.	थालड़का	१९८.८०
३४.	गंधेली	४१३.६२
३५.	ढडोला	३८६.२५
३६.	भूकरका	२५७.३७
	योग	१०,६१८.५६

सूची ग्राम पंचायत जिनका ऑडिट हुआ

क्र. सं.	पंचायत का नाम	वर्ष ५७–५८ मय ऑडिट दिनांक	वर्ष ५८–५९ मय ऑडिट दिनांक	वर्ष ५९–६० मय ऑडिट दिनांक	विशेष
१	२	३	४	५	६
१.	तहसील पंचायत नोहर	१३–१२–५८	१७–९—५९	१४–२—६१	
२.	ललाना पंचायत	१३–१२–५८	६–१०–५९	—	
३.	रतनपुरा	—	—	७—२—६१	
४.	फेफाना	१८–१२–५८	१९-२०-९-५९	१—२—६१	
५.	रामगढ़	१५–१२–५७	१८–९—५९	१३-१४-३-६१	
६.	परलिका	१८–१२–५८	२१–९—५९	—	
७.	जरवाली	—	—	२—२—६१	
८.	बड़ बिराना	१३–१२–५५	३-६-२-६१	३ से ६-२-६१	
९.	चक सरदारपुरा	—	—	४—२—६१	
१०.	चसाना	१७–१२–५८	३०-३१-१-६१	३०-३१-१-६१	
११.	दलपतपुरा	१४–१२–५८	१०–१—५९	१४–३—६१	
१२.	मेघाना	१३–१२–५८	२८–९—५९	—	
१३.	ललानिया	१७–१२–५८	५—१०–५९	२४-२५-२-६१	
१४.	मंदिरपुरा	—	—	१५–३—६१	
१५.	ज़बरासर	१४–१२–५८	२६–९—५९	१८–२—६१	
१६.	बालासर	—	—	४—३—६१	
१७.	पांडूसर	१७–१२–५८	५—१०–५९	२१–२—६१	
१८.	सोनड़ी	—	—	१८–२—६१	
१९.	ढिकली (बरकाली)	१५–१२–५८	१—१०–५९	२७-२८-१-६१	

१	२	३	४	५	६
२०.	नोलखी	१६–१२–५८	२३–६—५६	—	
२१.	गोरखाना	१७–१२–५८	५—१०–५६	६—३—६१	
२२.	सिरंगसर	१६–१२–५८	२६–६—५६	२३–२—६१	
२३.	भेदासर	—	——	२२–२—६१	
२४.	त्रिसरासर	१६–१२–५८	२८–६—५६	२७–२—६१	
२५.	सरुपसर (नयासर)	—	—	१—३—६१	
२६.	पल्लू	१५–१२–५८	२३-६—५६	७-८-३-६१	
२७.	पोहड़का	—	२४–७—५६	—	
२८.	रावतसर	१६–१२–५८	२५-२६-६-५६ ७-८-१०-५६	१६ से २१–३–६१	
२९.	हरदासवाली	१७–१२–५८	६—१०–५६	—	
३०.	फालड़का	१४–१२–५८	—	—	
३१.	गघेली	—	—	१४–२—६१	
३२.	ढ़ढोला	—	—	१०–२—६१	
३३.	मूरका	१७–१२–५८	२२-२३-६-५६	१२–३—६१	

परिशिष्ट ६

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित एवं अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अध्यापकों की पदोन्नति

३४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टोरेट्स में अध्यापकों की सीनियर ग्रेड वाइज कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो यह कब कब प्रकाशित हुई है ?

(ख) सरकार ने अध्यापकों के प्रमोशन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था (criteria) बना रखी है ?

उत्तर

प्राय: हर निरीक्षणालय में अध्यापकों की ग्रेडवाइज़ वरिष्ठता की सूची बन गई है। ये कब प्रकाशित हुई, इसकी सूचना संलग्न है।

अध्यापकों को सीनिरियोटी-कम-मेरिट के आधार पर ही प्रमोशन दिये जाते हैं।

THE DATES OF PUBLICATIONS OF THE SENIORITY LISTS OF VARIOUS GRADES

AJMER INSPECTORATE

1. Untrained Inter	8. 10. 1959
2. Trained Matric	,,
3. Untrained Matric	,,
4. Untrained Middle of Ajmer including four tehsils of Kishangarh Sub-Division.	,,

Tentative Seniority lists

1. Trained Inter	2. 5. 1961
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Matric	,,
5. Trained Middle	,,
6. Untrained Middle	,,
of Ajmer District.	,,

Nagaur Inspectorate.

1. Trained Middle	5. 5. 1959
2. Untrained Matric	15. 10. 1957
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Inter	27. 5. 1959
5. Trained Inter	11. 10. 1960

Alwar Inspectorate

1. Ttrained Graduate	22. 10. 1960
2. Untrained Graduate	29. 10. 1960
3. Trained Inter	8. 11. 1960

4. Untrained Inter	25. 11. 1960
5. Trained Matric	1. 12. 1960
6. Untrained Matric	3. 10. 1960
7. Trained Middle	16. 11. 1960
8. Untrained Middle	17. 11. 1960

Sikar Inspectorate.

1. Trained Middle	25. 6. 1959
2. Untrained Middle	,,
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Matric	,,
5 Untrained Inter	,,
6. Trained Inter	23. 10. 1959
7. Untrained Graduate	,,

Sirohi Inspectorate.

1. Trained Inter	24. 8. 1959
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Matric	,,
5. Untrained Middle	,,

Bhilwara Inspectorate.

1. Trained Inter	5. 7. 1961
2. Untrained Inter	9. 7. 1961
3. Trained Matric	15. 7. 1961
4. Untrained Matric	27. 7. 1961
5. Trained Middle	29. 5. 1959
6. Untrained Middle	30. 6. 1959

Tonk Inspectorate.

1. Trained Inter	13. 6. 1960
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Matric	,,
5. Untrained Middle	22. 6. 1959
6. Trained Middle	,,

Pali Inspectorate.

1. Trained Inter	24. 8. 1961
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	26. 8. 1961

Chittor Inspectorate.

1. Trained Graduate	4. 4. 1958	
2. Untrained Graduate	,,	
3. Trained Inter	,,	8. 7. 60
4. Untrained Inter	,,	,,
5. Trained Matric	,,	,,
6. Untrained Matric	17. 6. 1958	,,
7. Trained Middle	,,	

Kota Inspectorate.

1. Trained Inter	13. 3. 1961
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	6. 3. 1961
4. Trained Middle	10. 7. 1960
5. Untrained Middle	,,

Barmer Inspectorate.

1 Trained Inter	26. 9. 1960
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	,,
4. Untrained Matric	,,
5. Trained Middle	,,

Dungarpur Inspectorate.

1. Untrained Graduate	1957	20. 3. 1961
2. Trained Inter	,,	,,
3. Untrained Inter	,,	,,
4. Trained Matric	,,	,,
5. Untrained Matric	,,	,,
6. Trained Middle	,,	,,
7. Untrained Middle	,,	,,

Jaipur-West Inspectorate.

1. Trained Graduate	15. 4. 1960
2. Untrained Graduate	13. 4. 1960
3, Trained Inter	13. 4. 1960
4. Trained Matric	13. 4. 1960
5. Untrained Matric	13. 4. 1960
6. Trained Middle	13. 4. 1960
7. Untrained Middle	13. 4. 1960

Bundi Inspectorate.

1. Trained Inter	1. 11. 1960
2. Untrained Inter	24. 4. 1959
3. Trained Matric	,,

4. Untrained Matric	30. 4. 1959
5. Trained Middle	,,
6. Untrained Middle	6. 5. 1959

JhunJhunu Inspectorate.

1. List of various grasde	26. 3. 1958

Jaisalmer Inspectorate.

1. List of various grades	9. 7. 1960

Ganganagar Inspectorate.

1. List of various grades	1. 10. 1959

Jaipur-East Inspectorate.

1. Trained graduate	14. 7. 1959
2. Untrained graduate	23. 11. 1959
3. Trained Inter.	13. 11. 1959
4. Untrained Inter	13. 11. 1959
5. Trained Matric	13. 11. 1959
6. Untrained Matric	31. 3. 1958
7. Trained Middle	31. 3. 1958

Bikaner Inspectorate.

1. Untrained Inter	14. 9. 1959
2. Trained Matric	,,
3. Untrained Matric	,,
4. Trained Middle	,,
5. Untrained Middle	,,

Churu Inspectorate.

1. List of various grades	18. 8. 1960

परिशिष्ट

Banswara Inspectorate.

1. Untrained Inter	23. 11. 1959
2. Trained Matric	,,
3. Untrained Matric	,,
4. Trained Middle	,,
5. Untrained Middle	,,

Udaipur Inspectorate.

1. Trained Inter	7. 1. 1960
2. Untrained Inter	18. 7. 1960
3. Trained Matric	23. 8. 1959
4. Untrained Matric	,,
5. Trained Middle	3. 9. 1959

Bharatpur Inspectorate

1. Trained Inter	10. 11. 1960
2. Untrained Inter	,,
3. Trained Matric	,,
4 Untrained Matric	,,
5. Trained Middle	,,
6. Untrained Middle	,,

Jalore Inspectorate.

1. Lists of various grades	1. 4. 1960

Karauli Inspectorate.

1. Untrained Inter	13. 12. 1960
2. Trained Matric	,,
3. Untrained Matric	,,
4. Trained Middle	,,

5. Untrained Middle		13. 12. 1960

Dy. Inspectress, Kota.

1. Untrained Middle	9. 1. 1960
2. Trained Middle	"
3. Trained Matric	"
4. Untrained Matric	"
5. Trained Inter	"
6. Untrained Inter	"
7. Trained graduate	"
8. Untrained graduate	"

Dy. Inspectress, Jodhpur

1. List of various grades	19. 6. 1959

Dy. Inspectoress, Udaipur.

1. Trained Inter		25. 7. 1960
2. Untrained Inter	Udaipur	"
3. Trained Matric	Dungarpur	"
4. Untrained Matric	Distts.	"
5. Trained Middle		"
6. Untrained Middle		"
1. Trained Inter		3. 7. 1960
2. Untrained Inter		"
3. Trained Matric	Chittorgarh	"
4. Untrained Matric	Bhilwara	"
5. Trained Middle	Banswara	"
6. Untrained Middle	Distts.	"

Dy. Inspectress (Ajmer Circle) Jaipur.

1. Trained Graduate	16. 9. 1959

2. Untrained Graduate	9. 9. 1959
3. Trained Inter	,,
4. Untrained Inter	,,
5. Trained Matric	,,
6. Untrained Matric	,,
7. Trained Middle	,,
8. Untrained Middle	,,

Dy. Inspectress, Bikaner.

1. List of Seniority in various grades of Bikaner District was published on	13. 5. 59
2. List of Seniority in various grades of Churu District was published on	3. 6. 59
3. List of Seniority in various grades of Ganganagar District was published on	4. 5. 59
4. List of Seniority in various grades of Jhunjhunu District was published on	30. 4. 59

Dy. Inspectress, Jaipur.

1. List of Seniority in various grades of Jaipur District was published on	December, 58
2. List of Seniority in various grades of Alwar District was published in	April, 60.

Jalore Inspectorate.

1. List of various grades was published on	4. 5. 61

Jhalawar Inspectorate.

1. List of various grades was published on	5. 7. 61

ग्राम चोरू तहसील उनियारा में बड़ा कुंआ

६०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम चोरू, तहसील उनियारा में बड़ा कुआं है और उसमे साविका जल बोर्ड, टोंक को ओर से धन राशि दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसके कार्य में जनता चोरू ने भी चन्दा दिया था ? यदि हां, तो कितनी धन राशि का और सरकार द्वारा क्या क्या सहायता दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कुंए का हिसाब पेश हो गया था तथा उसका ऑडिट भी हो गया था ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त कुंआ अब भी जनता के काम में आता है और उस पर किसी का व्यक्तिगत कब्जा नहीं है ? यदि किसी का व्यक्तिगत कब्जा है, तो किसका ?

(५) क्या यह भी सही है कि चोरू ग्राम में सिवाय इस कुंए के और अन्य कुंआ नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां। ग्राम चोरू में एक बड़ा कुंआ है। जलाशय योजना के अन्तर्गत चोरू पंचायत को विभिन्न जलाशय कार्यों के लिए सरकार द्वारा १५,०००) रु० स्वीकृत किये गये थे। उस रकम में इस कार्य के निमित्त १,४००) रु० खर्च करना पाया गया है।

(२) यह सही है कि इस कुंए की मरम्मत में जनता ने चन्दा दिया था। जनता द्वारा दिया गया चन्दा ८१७) रु० है परन्तु यह राशि बड़े कुंए एवं रामजी के कुंए दोनों में खर्च हुई है। बड़े कुंए पर सरकार द्वारा दी गई सहायता में से १,४००) रु० खर्च किये गये।

(३) जी हां, हिसाब पेश हुआ; परन्तु हिसाब अपूर्ण होने से पूरी जांच लोकल फंड ऑडिट विभाग द्वारा नहीं की जा सकी।

(४) यह सही है कि यह कुंआ जनता के भी काम आता है। इस पर श्री कल्याणमल पुत्र भैरोंलाल महाजन का व्यक्तिगत कब्जा है।

(५) इस कुंए के अतिरिक्त ग्राम चोरू में एक सार्वजनिक कुंआ है जिसका नाम रामजी का कुंआ है।

राज्य कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय तथा राज्य कोष में बचत

८८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग):–क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ कर्मचारियों को कम करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त निश्चयानुसार कितने कर्मचारी कम किये गये हैं ?

(२) उक्त कम किये गये कर्मचारियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) इस कमी के फलस्वरूप सरकार को कितनी बचत हुई है ?

(४) इस दौरान में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने नये कर्मचारी राज्य सेवा में लिये गये हैं और उनके वेतन, भत्ते आदि पर कुल कितना व्यय हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां; लगभग ५०२५ ।

(२)

प्रथम श्रेणी			१३
द्वितीय श्रेणी	—	लगभग	४६८
तृतीय श्रेणी	—		२४६
चतुर्थ श्रेणी	—	लगभग	४,२९८

(३) इस कमी के फलस्वरूप सरकार को लगभग ३५,६४,०००) रुपये सालाना की बचत होगी ।

(४) इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्थगित तारांकित प्रश्न

(१४. ६. १६६१)

बीकानेर जिले के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, महाजन का स्थानान्तरण

१२१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, महाजन कब से शुरू हुआ और उस केन्द्र का नवलगढ़, जिला झुंझनूं में स्थानान्तरण क्यों हुआ ?

(२) स्थानान्तरण होने से पूर्व उस केन्द्र पर जन हित का क्या क्या काम हुआ ?

(३) उस केन्द्र पर कुल कितने सांड किस नस्ल के रखे गये थे और ये सारे जानवर किस किस कीमत में और कहां कहां से खरीद किये गये थे ?

(४) उक्त केन्द्र का नवलगढ़ स्थानान्तरण होने से पूर्व उन सांडों को बैल बना कर क्यों बेचा गया और बेचा गया तो किस कीमत पर ?

(५) क्या ये सांड किसी अन्य स्थान पर काम नहीं आ सकते थे ?

(६) जिस अर्से में यह केन्द्र महाजन में रहा उस पर कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र महाजन की स्थापना २२ जनवरी, १६५८ को हुई। इसका स्थानान्तारण १८ जनवरी, १६६१ को नवलगढ़ में हुआ।

इसका स्थानान्तरण नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में निम्नलिखित कारणों से हुआ:—

१. महाजन क्षेत्र की जनता के सहयोग का पूर्ण अभाव।

२. प्रतिकूल ऋतुओं में ज्यादा संख्या में स्थानीय पशुओं के पानी के अभाव में अन्य स्थानों में चला जाना।

३. इस क्षेत्र में स्टॉकमैन के रहने व औजार आदि रखने के लिए उचित स्थानाभाव का होना।

४. गांव वालों का अन्धविश्वास के कारण बछड़ों को बधिया करने का विरोध।

स्थानान्तरण होने से पूर्व एक केन्द्र में जन हित के लिये २०५ कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिनमें से ६५ में कामयाब हुए।

महाजन केन्द्र में कुल ११ सांड थे व २ भैंसे थे। सांड सब साहीवाल नस्ल व भैंसे मुर्रानस्ल के थे। साडों व भैंसों की कीमत निम्नलिखित हैं:—

सांड नं०	कहां से खरीदा		कीमत-नस्ल साहीवाल
१) २८१	डाईरेक्टर, नेशनल इन्स्टीट्यूट		६००)
२) २८७	कनलि	,,	६००)
३) २६२	,,	,,	६००)
४) २६६	,,	,,	६००)
५) २६७	,,	,,	६००)
६) २५३	,,	,,	७००)
७) २५४	,,	,,	६००)
८) २४६	,,	,,	६००)
९) २७०	,,	,,	५००)
१०) २४५	,,	,,	७००)
११) ४०६	,,	,,	६००)
नम्बर भैंसा			
१) २७	,,	,,	२२५)
२) २४	,,	,,	१८५)

चार सांड व एक भैंसा नकार हो जाने के कारण बेचे गये; एवं ३९५) रु० कुल कीमत वसूल हुई।

जो सांड नस्ल सुधार में उपयोगी थे उनका वितरण कर दिया गया तथा जो सांड नकारा थे उनको बधिया करा कर नीलाम किया गया। महाजन केन्द्र में सन् १६५८-५६ में २७,२६६) २१ न० पै० खर्च हुए, सन् १६५६-६० में १७,८६५) ७२ न० पै० और सन् १६६०-६१ में ४२,३२१) ७ न० पै० खर्च हुए। इस प्रकार ८७,४५५)६० न० पै० खर्च हुए।

पंचायत समिति का वार्षिक व्यय

२२७ **श्री रामधन** (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

दौसा पंचायत समिति का वार्षिक खर्च क्या है ?

उत्तर

दौसा पंचायत समिति का खर्च ४,४३,०४० रु० है।

अल्प काल सूचना प्रश्नोत्तर

(१) श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Planning Minister be pleased to state:—

(a) Whether Report of the Land Utilisation Committee has been submitted to the Government ?

(b) If so,is Government willing to lay the same on the Table of the House so that it can be discussed in the House ?

उत्तर

Yes

A copy has been placed on the Table of the House.

(प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(२) श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंक का चुनाव ३०-१२-६० को हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि चुनाव बिल्कुल फर्जी एवं मनमाने ढंग से किया गया था उस कारण यह चुनाव रद्द घोषित कर दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त चुनाव में फर्जी कार्यवाही करनेवाले मनमाने अध्यक्ष उस समय बैंक के डाईरेक्टर भी नहीं थे परन्तु उस कार्यवाही से पुरस्कारस्वरूप उन्हें सरकार ने १७-१-६१ को व एक अन्य व्यक्ति श्री झाबरमल-सून्डा को डाईरेक्टर मनोनीत कर दिया ?

(घ) क्या यह सही है कि सीकर जिला क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष के नाते श्री झाबरमल द्वारा गंभीर अनियमिततायें हुई थी जिसके कारण विभाग के अध्यक्ष ने उनके संबंध में यह नोट देकर कि इस प्रकार का आदमी प्राइमरी सोसाईटी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए दिनांक १८-४-६१ को अपने द्वारा की गई नामजदगी वापिस ले ली ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन्हीं श्री झाबरमल को पुन: १०-५-६१ को डाईरेक्टर्स के बोर्ड में सहवृत कर बैंक का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जिसके सम्बन्ध में सहायक रजिस्टार ने अपनी रिपोर्ट दी है कि सहवरण एवं निर्वाचन दोनों ही गलत हैं।

(च) क्या यह सही है कि दिनांक १५-६-६१ को रजिस्ट्रार महोदय ने आज्ञा दी सारे ही चुनाव पुन: करवाये जावें परन्तु इस आदेश की कोई पालना नहीं हुई ?

(छ) क्या यह सही है कि दिनांक ५-८-६१ को बोर्ड भंग करने का जो आदेश हुआ व जिन डाईरेक्टर्स को बताया गया उनमें श्री झाबरमल का भी नाम था: बैंक के नोटिस बोर्ड पर यह आदेश चिपका दिया गया ?

(ज) क्या यह सही है ११-८-६१ को उपरोक्त आदेश को निरस्त करते हुए श्री झाबरमल को पुन: डाईरेक्टर एवं अध्यक्ष मान लिया ?

(झ) क्या यह सही है कि अब १४-६-६१ को बैंक के चुनाव में झुंझनूं जिले की सहकारी समितियों को भी मत देने का अधिकार दिया है जब कि लगभग ८ महिने पहले उक्त जिले का अलग बैंक बन गया है ?

(ञ) क्या यह सही है कि झुंझनूं जिले की समितियों को केवल मत देने का ही अधिकार दिया पर वहां के लोगों को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने से रोक दिया है ?

(ट) क्या यह सही है कि मतदाताओं की सूची तीन बार बदली है ?

(ठ) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा बार बार सरकार को ज्ञापन देकर यह शिकायत की है कि यह सब कार्यवाही एक दल विशेष को चुनाव में जितवाने के लिए की जा रही है ?

(ड) क्या सरकार इस सम्पूर्ण काण्ड की निष्पक्ष जांच करवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर :—

(क) जी नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केवल इतना सत्य है कि श्री भाबरमल सूरडा को बैंक के मनोनीत संचालक के पद से अपदस्थ इस कारण कर दिया गया था कि वह सीकर की मार्केटिंग सोसाइटी में नादेइन्द थे।

(ङ) जी हां। इस बारे में सहायक रजिस्ट्रार सीकर की रिपोर्ट पर क्षेत्रीय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड से रिपोर्ट मांगी गई है।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं, विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

(ज) इस कार्यालय के दिनांक ११-८-६१ के आदेश की मंशा केवल इतनी है कि दिनांक १५-६-६१ को ३१-१२-६० की साधारण सभा की कार्यवाही को अवैध करार देते हुए जो आदेश निकाले गये हैं उनका श्री भाबरमल सूरडा का बैंक के संचालक मण्डल की जिस बैठक में सहवरण हुआ है उस पर कोई असर नहीं है। श्री सूरडा का सहवरण वैधानिक है अथवा नहीं; इसका उपरोक्त आदेश से कोई सम्बन्ध नहीं।

(झ) यह सही है कि झुंझुनू जिले का अलग बैंक बन गया है। किन्तु झुंझुनू जिले की सहकारी समितियां जो पहले से सीकर बैंक की सदस्य बनी हुई हैं उनकी सदस्यता तब तक पृथक नहीं समझी जा सकती जब तक कि इस सम्बन्ध में सदस्यता पृथक् करने का और उससे सम्बन्धित लेनदारी और देनदारी के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रस्ताव सम्मिलित आम सभा में न ले लिया जाय। अतएव इस प्रकार की बैठक में झुंझुनू जिले की समितियों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना आवश्यक था।

(ञ) विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(ट) विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ठ) बैंक चुनाव सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो शिकायत प्राप्त हुई

Page No.159

उन पर यथोचित कार्यवाही की गई; किन्तु इसमें किसी पार्टी विशेष को चुनाव में जितवाने या न जितवाने की बात निराधार है।

(ड) ऐसा कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। परन्तु यदि बैंक के किसी सदस्य को कोई शिकायत है तो उसके लिये सहकारी कानून में पंच फैसले का प्रावधान मौजूद है जिसके अनुसार उसे कार्यवाही करनी चाहिए।

———

परिशिष्ट ७

(कृपया अल्पकाल सूचना प्रश्न १०६/सी. एम. का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF EXPENDITURE
1958-59

PALANA COLLIERY, PALANA (BIKANER)

Particulars 1	1958-59. Amount 2
Stores Consumed.	34,115.48
Wages of Labourers including Unday Wages.	1,92,763.58
Compensation.	400.00
Power Charges.	10,498.20
Coal Consumed for Boiler	8,168.00
Depreciation on Plant & Machinery including Colliery Siding.	10,496.50
	2,56,441.76
Postage & Telegrams	890.13
Stationery & Printing.	374.51
Lighting Charges.	1,855.37
Miscellaneous Expenses.	386.42
Telephone Charges	2,154.81
Running Expenses of Vehicles	6,858.19
Liveries.	243.67
Books & Periodicals.	83.87
Repairs & Renewals.	1,702.31

1	2
Uplift & Aminities.	6,133.50
Advertisement.	2,052.46
Depreciation.	6,466.00
Legal Charges.	13,083.32
Pension & Leave Contribution.	828.00
Audit Fee.	1,047.00
Direction & Supervision Charges.	1,750.00
Interest on Capital.	16,125.00
Salary & Wages to Office Staff ...	22,472.31
T. A. & Others Allowances.	4,245.54
Bonus & Labour.	19,290.75
Transportation & Freight.	13,673.01
Boring Expenses.	11,714.94
Provident Fund Contribution.	19,780.49
Development Expenditure (The cost of the shaft taken at Rs. 2,53,952.06 np. life 5 years @ of an year out put of 50,000 tons i. e. 2, 50,000 tons or Re.1/-per ton rate of development expenditure.)...	9,564.50
	1,62,776.10
Grand Total of item No. 1 & 2...	Rs. 4,19,217.86

NOTE: There was no production from 14-6-58 to 15-11-1959 due to shaft-Shinking & hence less expenditure all round.

(M. G. Fell)
Mine Manager, Palana.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, २२ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२१६२	३	बारे में मैं	बारे में
२१६४	११	कइयों प्रकार की	कई प्रकार की
२१७१	शीर्ष	(श्री आबिद अली)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
२१८२	२३	लिनाइट	लिग्नाइट
२१८४	८	परमानेन्ट अकाल की रोकथाम	अकाल की परमानेन्ट रोकथाम
२१९१	१७	दुग्घ	दुग्ध
२१९७	६	रभाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२१९९	शीर्ष	चतुवेंदी	चतुर्वेदी
२२२४	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
२२३५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)
२२३६	२८	अगेन्सस्ट	अगेन्स्ट
२२३९	२१	श्री भहेन्द्रसिंह	श्री महेन्द्रसिंह
२२४०	१८	mentione	mentioned
,,	अन्तिम से ८	श्रो अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२२४५-४६	शीर्ष	२२ सिम्वबर	२२ सितम्बर
२२७२	अन्तिम से ६	वितना है	बिकना है
२२७३	शीर्षक	राजस्थान आबकारी	राजस्थान बिक्रीकर
२२७९	८	व्यापरियों	व्यापारियों
२२८७	१२	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२२८९	४	Parishad	Parishads
२२९५	२१	मैं	में
२२९७	१५	दिए जाया	दिया जाये
२२९८	१०	कर की	कर कि
,,	अन्तिम से ६	की सब	कि सब
२३०४	,, ,, ३	कोर्ऑसन	कोर्ऑपरेशन
२३०८	८	आवेंगो	आवेंगी
,,	२३	consieeration	consideration
२३१८	४	सकंगे	सकेंगे
२३१९	स्कम्भ	३१९	२३१९

(२)

१	२	३	४
२३२०	अन्तिम से ६	Yes shri Brij Sunder,	Yes, Shri Brij Sunder
२३२२	अन्तिम	चीज़ आई।	चीज़ आई :—
२३२३	७	Pa anchayat	Panchayat
,,	अन्तिम से ५	वह पेन्डिग हैं	वह पेन्डिंग है
२३२४	२	Personbeing,a	Person being a
,,	५	puestion	question
,,	१६	iia	Jila
२३२५	अन्तिम से ६	asde	aside
२३२८	१२	उतने में दे	उतने में दें
२३२६	१३	त्रिकास	विकास
,,	अन्तिम से ७	बैठे रहे	बैठे रहें
२३३३	२०	Co-opti on	Co-option
२३३६	अन्तिम से ८	travelliing	travelling
२३४०	स्कम्भ	३४०	२३४०
२३४२	७	ि विलर	सिमिलर
,,	अन्तिम से ६	इमैल्युमेंट्स	इमोल्युमेन्ट्स
२३४३	१५	फे लिटी	फेसिलिटी
२३४४	१६	ओर	और
२३४७	२	मैं	में
२३४८	१८	sud-section	sub-section
,,	अन्तिम से ५	treatmel tobe	treatment to be
२३४६	५	औरडिप्टी	और डिप्टी
२३५०	१०	फेसिलिटज	फेसिलिटीज़
,,	१७	रहेमगर	रहे मगर
२३५२	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२३५४	शीर्षक	सदस्यपरिलभ	सदस्य परिलाभ
२३५६	,,	(प्रबर्तन)	(प्रवर्तन)
२३५८	१८	कामों खर्च में नहीं	कामों में खर्च नहीं
२३६१	६	के केस के	केस के
२३६४	अन्तिम से ८	मैं प्रस्ताव हूँ	मैं प्रस्ताव करता हूँ
२३६६	२२	'राइटिंग	राइटिंग'
२३६६	४	२१६६	२१५६
२३७२	६	अतारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न २२२५

१	२	३	४
२३७३	१६	उपस्थापन	उपस्थापन २२२८
,,	अन्तिम से २	प्रश्न	प्रश्न २२२८
२३७७	शीर्षक	संसिप्त	संक्षिप्त
२३७६	१५	12500	125.00
२३८४	६	73187	731.87
,,	,,	21880	218.80
२३८५	१७	1,85892	1,858.92
,,	२१	Taseation	Taxation
२३६०	अन्तिम से २	रोकॅर्ड	रेकॉर्ड
२४१८	प्रथम पंक्ति के नीचे	—	(१३–६–६१)
२४२०	,, ,,	—	,, ,, ,,
२४२१	अन्तिम से ७	स्थानान्तारण	स्थानान्तरण
२४२३	पंक्ति ६ के नीचे	—	(२०–६–६१)
२४२५	अन्तिम से ६	वदली है ?	बदली है ?

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२२३४	स्कम्भ	२४३६	२२३६
२३३३	अन्तिम से ४	Divsioon	Division
शुद्धि-पत्र	स्कम्भ ३, पंक्ति ७	रभाऊ	श्र रभाऊ